Monday, 23 August, 1965

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक—5 सोमवार, 23 अगस्त 1965/1 भाद्र, 1887 (शक)

No 5—*Monday, August* 23, 1965/*Bhadra* 1, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*ता०प्र०संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
121	वियतनाम में स्थिति	Situation in Vietnam .	497-502
122	पाकिस्तान द्वारा स्तम्भों का उखाड़ा जाना	Removal of Boundary Pillars by Pakistan . .	502-07
123	पूर्वी पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों के अल्प-संख्यक	Minorities in Border Districts of East Pakistan .	507-10
124	चीनियों द्वारा माना दर्रे के पास भारतीय गश्ती दलों को त्रस्त करना	Chinese Intimidation of Indian Patrol near Mana Pass	510-12
125	नये आयुध कारखाने	New Ordnance Factories .	512-14
126	मोटरगाड़ी कारखाना, जबलपुर	Vehicles Factory, Jabalpur	514-16
127	राजनयिक पदों पर नियुक्तियां	Appointments to Diplomatic Posts . . .	516-17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.			
128	पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Pakistan's Anti-Indian Propaganda . .	518
129	कलपाक्कम (मद्रास) में अणु-शक्ति केन्द्र	Atomic Power Station at Kalpakkam (Madras)	518
130	मज़गांव डॉक में फ़्रिगेटों का निर्माण	Construction of Frigates in Mazagaon Docks .	519
131	मूल्य सूचक अंक	Price Index . . .	519
132	पाकिस्तानी रज़ाकारों द्वारा भारतीयों का सिर काटा जाना	Head Hunting by Pakistani Razakars . .	519-20

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. .Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
133	शान्तिमय कार्यों के लिये अणु-शक्ति का विकास	Development of Atomic Energy for Peaceful Purposes . . .	520-21
134	मंत्रियों द्वारा यूरोपीय देशों की यात्रा	Ministers' Visit to European Countries . .	521
135	पाकिस्तान द्वारा भारतीय जल-प्रांगण का इस्तेमाल किया जाना	Use of Indian Territorial Waters by Pakistan .	522
136	भारत-चीन सीमा विवाद	India-China Border Dispute . . .	522-23
137	प्रधान मंत्री को अमरीका की यात्रा करने का निमंत्रण	Invitation to Prime Minister to visit U.S.A. . .	523
138	राजस्थान में एटौमिक रिएक्टर	Atomic Reactor in Rajasthan	523-24
139	इंडोनेशिया का संयुक्त राष्ट्र-संघ से अलग होना	Withdrawal of Indonesia from U.N.O. . .	524
141	निर्वाह-खर्च सूचक अंक	Cost of Living Index .	524
142	दहाग्राम में हिन्दुओं को तंग करना	Torture of Hindus in Dahagram . . .	525
143	मिग विमान परियोजना	M.I.G. Project	525-26
144	ब्रिटेन में आप्रवासियों का प्रवेश	Entry of Immigrants in U.K.	526
145	ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक रेडियो सेट	Community Listening Sets in Rural Areas . .	527
146	भारत तथा पाकिस्तान के गृह मंत्रियों का सम्मेलन	Indo-Pak Home Ministers' Conference . . .	527
147	कारगिल चौकियों का खाली किया जाना	Withdrawal from Kargil Posts	527-28
148	अफ्रीकी-एशियाई देशों की परमाणु अस्त्रों से सुरक्षा	Nuclear Shield for Afro-Asian Countries . .	528-29
149	जकर्ता स्थित भारतीय राजदूत	Indian Ambassador in Jakarta . . .	529

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
414	टलीविजन सेवा का विकास	Development of Television Service . . .	529-30
415	केरल विद्युत् बोर्ड	Kerala Electricity Board	530
416	केरल में मलेरिया उन्मूलन कर्मचारियों द्वारा सत्याग्रह	Satyagraha by Malaria Eradication Employees in Kerala . . .	530-31

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
417	केरल में काजू फैक्टरियां	ashew Factories in Kerala	531
418	केरल में "प्रॉन" कारखाने	Prawn Factories in Kerala	531
419	त्रिवेन्द्रम में लोक-निर्माण कार्य विभाग की इंजीनियरिंग वर्कशाप	P.W.D. Engineering Workshop, Trivandrum	532
420	सेना में भर्ती के लिये आयु सम्बन्धी नये नियम	New Age Rules for Recruitments to Army	532
421	बर्लिन में फिल्म समारोह	Film Fair in Berlin	532-33
422	चलते-फिरते डाकघर	Mobile Post Offices in Delhi	533
423	मनीआर्डर तथा अन्य डाक फार्मों का मूल्य	Pricing of Money Order and other Postal Forms	533-34
425	पाकिस्तानी सेना द्वारा काश्मीर में अमरीकी हथियारों का प्रयोग	Use of U.S. arms by Pakistan in Kashmir	534
426	भारत में अरब लीग मिशन	Arab League Mission in India	534
427	भारत में बने विमानों की परीक्षण उड़ानें	Test Flights of Indian made aircrafts	535
428.	कपड़ा उद्योग मजूरी बोर्ड	Textile Wage Board	535
429	प्रतिरक्षा संस्थानों में वार्ता-व्यवस्था	Negotiating Machinery in Defence Establishments	535
430	पश्चिम बंगाल व पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा-निर्धारण	Demarcation of West Bengal–East Pakistan Border	536
431	समारोह निदेशालय	Festival Directorate	536
432	सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की जीवन हानि तथा अंग हानि के लिये प्रतिकर	Compensation for loss of life and limbs of Armed Forces Personnel	536-37
433	कपड़ा बनाने वाले कारखाने	Clothing Factories	537
434	भारतीय दूतावासों मिशनों में कर्मचारियों की कमी	Inadequate staff in the Indian Embassies/Missions	537
435	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को रोज़गार देना	Employment of S.C. and S.T. Candidates	537-38
436	इंडोनेशिया-मलयेशिया विवाद	Indonesia-Malaysia Dispute	538-39
437	भारत को ब्रिटेन और अमरीका से मिलने वाले हथियार	Anglo-U.S. Arms for India.	539

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
438	अमरीका से एफ-105 विमान	F. 105 Aircrafts from U.S.A.	539
439	विद्रोही नागा	Hostile Nagas . .	539-40
440	श्रीलंका के एक परिवार का देश से निकाला जाना	Deportation of a Ceylonese Family . . .	540
441	शेख अब्दुल्ला की नज़रबन्दी	Sheikh Abdullah's Detention	540
442	उत्तर प्रदेश में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges in U.P. . . .	540
443	उत्तर प्रदेश में किराये की इमारतों में डाकघर	Post Offices in rented buildings in U.P. . .	541
444	कोयला खान श्रमिकों के लिये मकान	Houses for Colliery Workers	541-42
445	श्रीलंका में भारतीय	Indians in Ceylon. .	542
446	सीमावर्ती सड़कें	Border Roads . .	542-43
447	सीमान्त क्षेत्रीय प्रचार-समिति	Border Publicity Committee	543
448	नागालैंड के लिये विकास योजनायें	Development Plans for Nagaland . . .	543-44
449	विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुख	Heads of Indian Missions Abroad . . .	544
450	एवरेस्ट के फोटो	Photographs of Everest .	545
451	औद्योगिक तथा कृषिक श्रम का सर्वेक्षण	Survey of Industrial and Agricultural Labour .	545
452	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क	Hindustan-Tibet Road .	545-546
453	रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ	Radio-Active Waste .	546
454	कोयला खान मजदूरों के लिये जूतों की व्यवस्था	Supply of Footwear to Coal Mine Workers .	546-547
455	"एनसाइक्लोपेडिया अमेरीकाना"	"Encyclopaedia Americana" . . .	547
456	भारत-स्थित इजराइल का वाणिज्य दूत	Israeli Consul in India .	547-548
457	लुधियाना के निकट भारतीय वायु-सेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना	I.A.F. Accidents near Ludhiana . . .	548
458	चीन द्वारा तिब्बत तथा सिंकियांग से लोगों का हटाया जाना	China Evacuating Population from Tibet and Sinkiang . . .	548
459	न्यू जमाहारी कोयला खान	New Jemahary Colliery .	548-49

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
460	धनबाद में केन्दवाडीह कोयला खान दुर्घटना	Accident in Kendwadih Colliery, Dhanbad .	549
461	संयुक्त राष्ट्र-संघ में तिब्बत का प्रश्न	Tibet Issue in U.N.O. .	549-50
462	एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ	Pensionary Benefits to Emergency Commissioned Officers . .	550
463	अल्जीरिया को उपहार	Gifts to Algeria . .	550
464	प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण	Manufacture of Missiles .	550-51
465	भाषा समस्या के लिये पृथक मंत्रालय	Separate Ministry for Language Problem .	551
466	कामदिलाऊ दफ्तरों में दर्ज व्यक्ति	Persons Registered with Employment Exchanges.	551
467	जम्मू रेडियो स्टेशन	Jammu Radio Station .	551-52
468	मैसूर में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Mysore . .	552
469	हवाई और समुद्री डाक की दरें	Air and Sea Mail Rates .	552
470	विद्यार्थियों के लिये तकनीकी पद	Technical Jobs for students	552
471	कलकत्ता डाक ज़ोन	Calcutta Postal Zone .	553
472	सूचना और प्रसारण मंत्री की विदेश यात्रा	Visits abroad by Minister of Information and Broadcasting . .	553
473	पूर्वी सैक्टर में भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	I.A.F. crash in Eastern Sector . . .	554
474	संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय विद्यार्थियों का पीटा जाना	Indian students beaten in U.S.A. . . .	554
475	कीनिया तथा उगांडा के साथ आर्थिक सहयोग	Economic Co-operation with Kenya and Uganda	554
476	जार्ज टाउन तथा ज़ंज़ीबार में भारतीय दूतावास	Indian Missions in George Town and Zanzibar	555
477	तिब्बत से आने वाले शरणार्थी	Tibetan Refugees . .	555
478	दिल्ली और बम्बई के बीच ट्रंक काल	Delhi-Bombay Trunk Calls	555
479	आकाशवाणी से कार्यक्रमों का निरन्तर प्रसारण	Non-Stop A.I.R. Service .	556
480	नार्थ बिहार ऐक्सप्रेस में छंटाई अनुभाग	Sorting sections in North Bihar . . .	556
481	उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी के कारखाने	Sugar Factories in U.P. and Bihar . . .	556-57

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
482	पर्यटन सम्बन्धी मानचित्र	Tourist Map . . .	557
483	भूटान के महाराजा	King of Bhutan . .	557
484	नये ट्रांसमिटर	New Transmitters . .	558
485	केरल-स्थित मध्यवृत्तीय राकेट छोड़ने का थुम्बा केन्द्र	Thumba Equatorial Rocket Launching Station in Kerala . . .	558
486	भारत की परमाणु परियोजनाओं का सर्वेक्षण	Survey of India's Atomic Projects . . .	558-559
487	अणु शक्ति से बिजली तैयार करना	Electricity from Atomic Energy . . .	559-560
488	कॉफी तथा रबड़ के बाग़ान सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Coffee and Rubber Plantations	560
488-क	भारत-पाकिस्तान सीमा का सीमा-निर्धारण	A Demarcation of Indo-Pak Border . .	560-561
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of urgent Public Importance—	
	पंजाबी सूबे के लिये आंदोलन करने की धमकी	Threatened agitation for Punjabi Suba . .	561
	स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	Re : Motion for Adjournment and Calling Attention Notices . .	562
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	563-564
	राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	564
	मोटर गाडी अधिनियम, 1939 के बारे मे याचिका	Petition Re: Motor Vechicles Act, 1939 .	564
	सभा का कार्य	Business of the House .	564-565
	जम्मू तथा कश्मीर में स्थिति के बारे में वक्तव्य—	Statement Re: Situation in Jammu and Kashmir—	
	श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan . .	565
	भारतीय प्रतिरक्षा निर्माण-कार्य (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	Indian Works of Defence (Amendment) Bill— Introduced . .	566

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers—	
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	. 567-570
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravartty . .	. 570-571
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	. 572-573
श्री अ० प्र० शर्मा	,, A. P. Sharma	. 573
श्री कर्णी सिंहजी	,, Karni Singhji	. 574-575
श्री राधेलाल व्यास	,, Radhelal Vyas	. 575-576
श्री राम सहाय पाण्डेय	,, R. S. Pandey	. 576-577
श्री पु० रं० पटेल	,, P. R. Patel	. 577
श्री स० मो० बनर्जी	,, S. M. Banerjee	. 577-578
श्री केप्पन	,, Kappen	. 578-579
श्री उ० मू० त्रिवेदी	,, U. M. Trivedi	. 579-581
श्री खाडिलकर	,, Khadilkar	. 581-582

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 23 अगस्त, 1965/1 भाद्र, 1887 (शक)
Monday, August 23, 1965/Bhadra 1,1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नो के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वियतनाम में स्थिति

+

*121. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री हेम बरुआ :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री नारायण दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री रा० बरुआ :
श्री काजरोलकर :
श्री मधु लिमये :
श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री बसुमतारी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 10 मई 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार इस समस्या के बारे में किन-किन देशों से सम्पर्क बनाये हुए है ; और

(ख) वहां लडाई समाप्त करने की दिशा में और क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार उन सभी मित्र देशों से बराबर संपर्क बनाए हुए है जो वियतनाम की स्थिति से संबद्ध हैं ।

(ख) खेद की बात है कि भारत सरकार और शांति चाहने वाले अन्य देशों के प्रयत्नों के बावजूद इस समस्या का समाधान खोजने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि भारत, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव द्वारा रखे गये सभी शान्ति प्रस्तावों को दक्षिण वियतनाम सरकार ने तो मान लिया है परन्तु चीन तथा उसकी आश्रित उत्तरी वियतनाम सरकार ने उन को तिरस्कारपूर्ण ढंग से अस्वीकार कर दिया है । यदि हां, तो क्या यह निष्कर्ष निकालना ठीक नही होगा कि वियतनाम में शान्ति स्थापना करने में सब से बड़ी रुकावट चीन है और वह शान्ति का शत्रु है ? क्या प्रधान मंत्री इस बारे में मास्को में रूस के प्रधान मंत्री श्री कोसीजिन को यह बात जंचा सके है या नही ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें निष्कर्ष नही निकालने चाहियें, बल्कि तथ्य पूछने चाहियें ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने कहा था "क्या यह सच नही है" ।

अध्यक्ष महोदय : केवल तथ्य पूछिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं तथ्यों के बारे में पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री दिनेश सिंह : जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है यह ठीक नहीं है कि दक्षिणी वियतनाम ने तो सभी प्रस्ताव मान लिये हैं किन्तु उत्तर वियतनाम ने अस्वीकार कर दिये हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं मिला । प्रधान मंत्री पिछली गर्मियों में जब मास्को गये थे तो क्या वह रूस के प्रधान मंत्री को इस वास्तविकता के बारे में प्रभावित करने में सफल रहे थे कि चीन.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह 'वास्तविकतायें' प्रश्न का भाग नहीं बन सकती ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हों ने प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दिया । यह उन का दोष है । उन्होंने केवल 'दक्षिण वियतनाम' कहा है । मैं चीन के बारे में जानना चाहता हूं । आप ने इस की कैसे अनुमति नहीं दी ? सदन में पिछली बार सरकार ने कहा था कि चीन का रवैया इस बारे में सहयोगपूर्ण नहीं रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का दूसरा भाग पूछें ।

श्री हरि विष्णु कामत : यही तो दूसरा भाग था । मैं ने पूछा था कि क्या यह ठीक नहीं है कि चीन ही वियतनाम में सब से बड़ी रुकावट है । वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : सभा को भली भान्ति मालूम है कि चीन किसी भी स्थान पर शान्ति पूर्ण हल के विरुद्ध है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि चीन सैनिक (स्वयंसेवक), साज़सामान, हथियार और टैक्नीशियन लोगों को दक्षिण वियतनाम में चोरी छिपे भेज रहा है ? यदि हां, तो हमारी सरकार

जिस प्रकार अमरीका द्वारा की गई बमबारी की आलोचना करती है उसी प्रकार चीन की भी आलोचना करने में क्यों हिचकिचाती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो इस विषय पर तर्क कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इस के कारण जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय तर्क की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप यह प्रश्न नहीं पूछने देते तो मैं एक और प्रश्न करता हूं। मैं आप के इस प्रश्न संबंधी निर्णय से सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो भी हो मेरा निर्णय अन्तिम है।

श्री हरि विष्णु कामत : तब मैं एक और प्रश्न करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तीन प्रश्न किये जा चुके हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं वही प्रश्न दूसरे ढंग से करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह : प्रश्न के लिये पांच मिनट की सीमा है और उन्हें चार प्रश्नों को अनुमति दी जा रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : आप गिनना नहीं जानते। आपको स्कूल में जाना चाहिये (अन्तर्बाधा)।

अध्यक्ष महोदय : श्री वारियर।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या चीन स्वयंसेवक भेज रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपा कर के बैठ जायें। मैं आप को फिर बुलाने का प्रयत्न करूंगा। श्री वारियर।

श्री वारियर : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों की इन खबरों की ओर आकर्षित किया गया है कि अमरीकी बम वर्षक जहाजों ने उत्तर वियतनाम के बांध पर बम गिराये हैं और वहां बाढ़ लायी जा रही है ? इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : हम ने समाचार पत्रों में समाचार पढ़े हैं। हमें सरकारी तौर पर इस का पता नहीं है। यदि यह ठीक है तो बड़ी खेदपूर्ण बात है।

श्री प्रभात कार : प्रधान मंत्री ने कुछ समय पूर्व यह मांग की थी कि वहां पर बमबारी बन्द होनी चाहिये और अमरीकी सेनायें हटायी जानी चाहियें। इस समाचार को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर वियतनाम में बमबारी हो रही है, क्या सरकार अपना वही रवैया रखेगी कि बमबारी बन्द होनी और फौजें हटनी चाहिये ?

श्री दिनेश सिंह : भारत सरकार ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है और अमरीका से प्रार्थना की है कि उत्तर वियतनाम में बमबारी बन्द की जाये।

श्री स० मो० बानर्जी : प्रतिक्रिया क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रतिक्रिया सब को मालूम है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि हमारे प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के दौरान मास्को में जारी की गई संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति में और उन की बेलग्रेड की यात्रा के समय दी गई प्रैस विज्ञप्ति में वियतनाम के बारे में कही गई बातों तथा रवैये में कुछ अन्तर है ? यदि हां, तो वियतनाम के बारे में यह नरमी किन कारणों से आई है ? क्या चीन की कट्टर नीति को अनुभव करने के कारण यह अन्तर आया है ?

श्री दिनेश सिंह : संयुक्त विज्ञप्तियां उन देशों की यात्राओं के दौरान हुई बातचीत के परिणामों पर आधारित होती हैं । मैं नहीं मानता कि मास्को और युगोस्लेविया में जारी की गई विज्ञप्तियों में कोई भिन्नता है । ये दो देशों के नेताओं के बीच हुई बातचीत के आधार पर जारी की जाती हैं ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय: यह तो अपनी अपनी राय है कि रवैये में नरमी आयी है या नहीं ।

श्री हेम बरुआ : रवैये में नर्मी आई है । यदि आप दोनों विज्ञप्तियों की तुलना करें तो पता चलेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वियतनाम में चीन के कट्टरपन को अनुभव करने के कारण यह परिवर्तन आया है ?

श्री रंगा : क्या यह अधिक उचित नहीं होगा कि प्रधान मंत्री स्वयं अपने वक्तव्य पर प्रकाश डालें ?

अध्यक्ष महोदय : जब एक प्रश्न एक मंत्री से किया जाता है तो सामान्यत: उन्हीं को उसका उत्तर देना होता है । यदि प्रधान मंत्री उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री रंगा : यह उन का कर्तव्य है ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : श्रीमान, यह हमारा निश्चित मत है और उस में मेरे मास्को या यूगोस्लेविया जाने से कोई परिवर्तन नहीं आया है । परन्तु यह सच है कि इस समय दोनों पक्षों में बहुत सख्ती आई हुई है, इस लिये हमने यूगोस्लेविया में यह अनुभव किया कि एक ही बात पर ज़ोर देने में अधिक सार नहीं है जब कि वातावरण ही ठीक नहीं है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या यह सच है कि उत्तर वियतनाम ने यह शर्त हटा दी है कि दक्षिण वियतनाम से अमरीकी सेनायें हटायी जायें ?

श्री दिनेश सिंह : बातचीत के लिये रखी गई शर्तों का हमें पता नहीं है, परन्तु उत्तर वियतनाम ने अमरीकी सेनाएं हटाये जाने की मांग की है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि भारत ने चीन के कट्टरतापूर्ण रवैये के कारण राष्ट्रमंडल के वियतनाम सम्बन्धी दल में शामिल होने से इन्कार कर दिया था, यदि हां, तो इससे तनाव को कम करने तथा चीन की कट्टरता में क्या परिवर्तन आया है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा मैं ने पहले कहा है चीन शान्तिपूर्ण समाधान के विरूद्ध है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रधान मंत्री ने अपनी 27 जून की टेलीविज़न भेंट में कहा था कि साम्यवादी देशों को बातचीत के लिये सहमत कराना असंभव नहीं है, और यदि हां, तो क्या उन को इन देशों से इस बारे में कोई निश्चित आश्वासन मिला है ?

श्री दिनेश सिंह : यह हमारा अनुमान है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रपति जानसन द्वारा शान्ति के लिये रखी गई शर्तों का अध्ययन किया है ; यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और उन शर्तों के मार्ग में क्या बाधायें खड़ी हैं ?

श्री दिनेश सिंह : यह उत्तर वियतनाम सरकार का काम है कि वह शर्तों को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। हमने उन शर्तों का अध्ययन किया है और चर्चा भी की है ? यह वांछनीय नहीं है कि मैं इस का ब्योरा दूं।

Shri Bibhuti Misra : Is it a fact that America, Russia and China are supporting the various opposing parties in the Vietnam conflict ? If so, has the Prime Minister appealed to Russia and China to stop fighting just as he has appealed to America? If not to China, has he appealed to Russia?

Shri Dinesh Singh : Our difficulty is that we are Chairman of the Supervisory Commission on Vietnam. As such, when such things, which contravene the Gineva Agreement are brought to our notice, we give our reaction. It is impossible for us to say anything about what the hon. member has said.

श्री दे० द० पुरी : क्या मास्को में हाल ही में ब्रिटेन के पीयर लार्ड ब्रॉक्वे द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है, जिस में उन्होंने कहा है कि उन्हें दोनों पक्षों के बीच समझौते की बातचीत की आशा है; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई पग उठाया है ?

श्री दिनेश सिंह : समाचार पत्रों में यह समाचार था, परन्तु हमने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री स्वैल : मैं श्री पुरी वाले प्रश्न के सम्बंध में पूछना चाहता हूं कि लार्ड ब्रॉक्वे ने कहा है कि उत्तर वियतनाम इस बात के लिये सहमत है कि अमरीका की सांकेतिक सेनायें दक्षिण वियतनाम में रहें और यदि दक्षिण वियतनाम किसी गुट में शामिल न हो तो वह यथावत कायम रह सकती है। क्या सरकार ने उत्तर वियतनाम सरकार से या उसके यहां के प्रतिनिधि से इन बातों की पुष्टि करवाई है ?

श्री दिनेश सिंह : उत्तर वियतनाम के प्रधान मंत्री द्वारा पेश किये गये चार सूत्री प्रस्ताव में इन में से कुछ बातें भी हैं।

श्री स्वैल : क्या इन की उत्तर वियतनाम सरकार अथवा उस के प्रतिनिधि से पुष्टि करवायी गयी है ?

श्री दिनेश सिंह : नहीं, यह हमारा कार्य नहीं है।

श्री कपूर सिंह : काश्मीर में हुई नई घटनाओं के कारण हुई नवीन अनुभूति को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार अभी तक इस बात पर आग्रह कर रही है कि अमरीका वियतनाम से अपनी सेनायें हटा ले और वियतकांग को सीधे दक्षिण वियतनाम से उलझने दिया जाये ?

श्री दिनेश सिंह : सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार के पास इस बात की रिपोर्ट आयी है कि चीन चोरी छिपे सैनिकों को स्वयंसेवकों के रूप में दक्षिण वियतनाम में भेज रहा है और तकनीशियन तथा शस्त्रास्त्र एवं सामान भी भेज रहा है ताकि वे वियतकांग की सहायता करें ; और क्या पाकिस्तान भी चीन के संकेत पर काश्मीर में ऐसी ही कार्यवाही कर रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : हमें दक्षिण वियतनाम में चीनियों की घुसपैठ की कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं ? हथियारों और साजसामान के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री दिनेश सिंह : दक्षिण वियतनाम सरकार हमें जो कुछ बताती है उस के बारे में आयोग अपनी रिपोर्ट देता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, उन्होंने बात का उत्तर नहीं दिया । सरकार का यह कैसा तरीका है ? या तो वह प्रश्न की ओर ध्यान ही नहीं देते या जानबूझ कर कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है । यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो सदन का कार्य कैसे चल सकता है ? आप सामान्यतः सहायता करते हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव सहायक रहें । उन्हों ने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है । यदि वह उत्तर नहीं देना चाहते तो वह ऐसा कह दें । प्रधान मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ मंत्री चुप बैठे हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री दिनेश सिंह : यदि प्रश्न को फिर से पढ़ा जाये या आप उस को बताने की कृपा करें कि किस बात का उत्तर नहीं दिया गया तो मैं उत्तर देने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि पाकिस्तान चीन के संकेत पर काश्मीर में ऐसा कर रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : क्या यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होता है ? **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस की कोई सीमा होनी चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, एक व्यवस्था का प्रश्न है । उन के लिये भी कोई सीमा है । आप उनको ऐसा नहीं कहते जैसा हमें कहतें हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है ।

श्री रंगा : आप उत्तरों को भी तो देखें. . . . **(अन्तर्बाधायें)**

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है । यदि मैं उन के प्रश्न को ठीक समझा हूं तो क्या माननीय सदस्य यह कह रहे है कि पाकिस्तानी भी ऐसे भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं. . . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : अपने स्वामी के आधीन या अपने साथी चीन के प्रभाव में ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ये शब्द तो प्रयोग में नहीं लाता परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि तरीके एक जैसे ही हैं ।

पाकिस्तान द्वारा स्तभोंका उखाड़ा जाना

+

*122. **श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीराम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :

श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० के० देव
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मेघाना तथा नासीर-पाड़ा गांवों में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी पक्के सीमा स्तम्भों को उखाड़ दिया है ;

(ख) क्या सरकार के पास और भी कोई जानकारी है कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच कहीं अन्यत्र भी, विशेष कर आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर, सीमा स्तम्भों को उखाड़ दिया है या उखाड़ने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सीमा स्तम्भों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) । सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

12 मई 1965 की रात को बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आए और पूर्व पाकिस्तान तथा पश्चिम बंगाल के बीच ज़िला नादिया, पुलिस स्टेशन करीमपुर के अंतर्गत मौजा शेकपाड़ा मेघना (जे० एल० नं० 112) और मौजा अंधरकोट (जे० एल० नं० 111) के किनारे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 8 स्तम्भ उखाड़ ले गए । 26 मई 1965 को पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान सरकार से इसके खिलाफ विरोध प्रकट किया ।

त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा :

अलग-अलग दिनों पर 46 सीमा स्तम्भ उखाड़ लिए गए और 58 को नुकसान पहुंचाया गया ।

असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा :

राज्य सरकार को सीमा स्तम्भों को नुकसान पहुंचाने और नष्ट कर देने की ख़बरें समय-समय पर मिलती रही हैं । लेकिन इस सीमा पर भारी नुकसान नहीं हुआ है, हां ब्रम्हपुत्र क्षेत्र में नदी के कारण नुकसान ज़रूर हुआ है ।

पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा :

पश्चिम बंगाल सीमा के कुछ अन्य भागों से सीमा स्तम्भ उखाड़ ले जाने के कुछ मामले भी आए हैं ।

सीमा सेनाओं को गश्त बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है ताकि स्तम्भ उखाड़े न जा सकें और न उन्हें नुकसान ही पहुंचाया जा सके । पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा के मामले में पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के लैंड रिकार्डस् एंड सर्वेज़ विभाग के डाइरेक्टरों ने सीमा स्तम्भों की रक्षा और रख-रखाव के संबंध में कुछ परस्पर सहमत निर्णय किए हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने पाकिस्तान की शरारत संयुक्त राष्ट्र संघ को बता दी है, और यदि हां, तो इन घटनाओं के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव की प्रतिक्रिया क्या है ?

क्या वह इस घटना के कारण इतने उत्तेजित हुए हैं, जितने कि वह उस समय हुए थे जब हमने कारगिल की दो चौकियों पर कब्जा किया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वी पाकिस्तान से कुछ खम्बे हटा दिये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं सरकार का ध्यान हाल ही में रेडिओ पाकिस्तान से प्रसारित हुए एक समाचार की ओर दिला सकता हूं जिस में कहा गया है :

"प्रत्येक पाकिस्तानी युवक महमूद, बुत्तशिकन (मूर्ति नाशक) है । वह सदा युद्ध भूमि में कूदने, आक्रमक का मुकाबला करने और उसे नष्ट करने को तैयार रहता है" ।

यह संभवत: वही महमूद गजनी है जिसने दसवी अथवा ग्यारहवीं शताब्दी में भारत को नष्ट किया था।

अध्यक्ष महोदय : इतिहास अथवा ऐतिहासिक तथ्यों पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं । इससे मामला बिगड़ता है और मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है । इससे तर्क वितर्क आरम्भ हो जाता है और काफी समय नष्ट हो जाता है ।

श्री हेम बरुआ : इस संदर्भ में मैं अपनी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इन महमूदों को कड़े हाथों से ठीक करने का विचार रखती है, और क्या उसका विचार इन महमूदों से बातचीत करना तथा कथित शांति प्रिय समझौता करने का है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सरकार को भी इसका पता है और देश भी इसे जानता है । पाकिस्तान का रेडिओ बहुत ही आपत्तिजनक और भयानक भाषा का प्रयोग कर रहा है और यह सब उस बात से मेल नहीं खाता जो ऊपर से पाकिस्तानी नेता शांति पूर्ण समझौते के सम्बन्ध में करते हैं । उनकी कथनी और करनी में आकाश पाताल का अन्तर है ।

Shri Bade : It has been Stated in your Statement that 46 pillers were broken on the Tripura–East Pakistan Border and 58 pillers damaged. I want to know the extent of the damage had been caused at different places and in how many months and whether the Government have rebuilt these pilers or not?

श्री स्वर्ण सिंह : 46 सीमा स्तम्भों हटा दिये गये थे और 5 स्तम्भों को हानि पहुंचाई गई थी, यह सब कुछ विभिन्न तिथियों को हुआ और वे तिथियों की जानकारी मेरे पास नहीं है । जो स्तम्भ हटा दिये गये थे, उनमें से 11 स्तम्भ पुन: लगा दिये गये हैं । हटायें हुए स्तम्भों को पुन : लगाने और क्षतिगस्त स्तम्भों की मरम्मत करने के लिए त्रिपुरा के जिलाधीश, पाकिस्तान के संबंधित जिलाधीश से पत्रव्यवहार कर रहे हैं ।

Shri Bade : It has been Stated that these pillors were demolished at different dates. I want to know the period in which they were demolished, one month, two months or four months?

Mr. Speaker : Honourable member should resume his seat. Its reply has already been given.

Shri Ram Sewak Yadav : Has our Government written to the Government of Pakistan regarding the demolition of these pillers? If so, whether Pakistan Government have admitted the fact?

श्री स्वर्ण सिंह : ये स्तम्भ दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच हुए विचार परामर्श और समझौते के फलस्वरूप लगाये गये थे। इनको हानि पहुंचाने की बात पाकिस्तान सरकार नहीं मानती। वह हमेशा यही कहती है कि शरारत करने वाले कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा। कुछ स्तम्भ पुन: लगा भी दिये गये है। वहां के स्थानीय अधिकारी उन सभी स्तम्भों को पुन: लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Bade : A point of order, Sir.

Mr. Speaker : Now another question has been taken up.

Shri Bade : My information is that these 48 pillars were demolished during one complete year, but Government were not aware of it. Was our administration sleeping over it for 6 months or one year? I want to know when the Govt. came to know of it. I want your guidance in this matter. Why is the House kept in dark in this matter?

Mr. Speaker : My guidance is that you should now sit down.

Shri Bade : We have information that they are continuously removed during full one year.

Mr. Speaker : What is the matter for guidance?

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल-आसाम सीमा निर्धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है, और जो नयी चौकियां हटा दी गयी है, वे हाल ही में बनाई गई थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : सारे क्षेत्र का सीमांकन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वहां से स्तम्भ हटाये गये हैं, वे वही स्थान हैं जहां पर संयुक्त सीमांकन के फलस्वरूप स्तम्भ लगाये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : श्री बड़े बार बार इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इन स्तम्भों को हटाने में कितना समय लगा। विभिन्न तिथियों तो नहीं दी जा सकती परन्तु यदि अवधि बताई जा सकती हो, तो बता दी जाये।

श्री स्वर्ण सिंह : यह हाल ही की घटनायें नहीं हैं। और एक ही घटना के फलस्वरूप ये नष्ट नही हुये हैं। लगभग एक आध वर्ष में ये स्तम्भ हटाये जाते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह भी जानना चाहते हैं कि इस बीच सरकार क्या करती रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जैसे कि मैंने इस से पूर्व भी कहा है कि पाकिस्तान सरकार यह नही मानती कि उसने यह कार्य किया है। कहा यह जाता है कि कुछ शरारतियों ने पाकिस्तानियों या अन्य लोगोंने ऐसा किया होगा। फिर हम दोनों इन स्तम्भों को पुन: लगाने का प्रयत्न करते हैं।

Shri Yashpal Singh : I want to know the number of places where our powerful Government have yet to restare these pillars and the date by which the work would be completed?

Mr. Speaker : This has been stated by him.

Shri Yashpal Singh : He should tell the dates.

Mr. Speaker : That is very difficult.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार इन स्तम्भों को वहा से हटाया गया तथा पुनः लगाया गया। क्या सरकार ने नींव पर कंकरीट से स्तम्भ बनाने का विचार किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : नींव वाले कंकरीट बने होने पर भी ये स्तम्भ नष्ट कर दिये गये हैं।

श्री वसुमतारी : आसाम में हर समय पाकिस्तानी लोग बड़ी संख्या में आते रहते हैं और कुछ आक्रमण इत्यादि भी हुए हैं अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आसाम सरकार एक दिवार बनाने या सीमा से कुछ भूमि से लोगों को हटाने का विचार कर रही है ? यदि हां तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक हैं, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Shri Hukam Chand Kachhaviya : I want to know mileage of area from which the pillars were removed? Honourable Minister has stated that 11 pillars are reinstalled. I want to know when other pillars will be reinstalled. Has any arrangement been made to ensure that the remaining pillars are not removed in future.

श्री स्वर्ण सिंह : इसका कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। ये स्तम्भ सीधी पंक्ति में लगाये जाते हैं और दो स्तम्भों के बीच काफी अन्तर होता है। जहां बांध इत्यादि हों तो ये स्तम्भों थोड़े अन्तर पर लगाये जाते हैं। मैंने इन स्तम्भों की संख्या बता दी है। इस विषय में यही कार्यवाई की जाती है कि पाकिस्तान और भारत के साथ साथ लगने वाले जिलों के जिलाधीश ही इसकी देखभाल करते हैं। यदि कोई विवाद हो या खम्बे उखाड़े जाये तो महां सर्वेक्षकों की सहायता ली जाती है। परन्तु इस मामलें में ऐसा कोई विवाद नहीं है, और इस मामलें को इस दृष्टी से नहीं देखना चाहियें।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I had asked the information regarding area of the land.

Mr. Speaker : He has stated that he could not tell that.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : By what time will the remaining pillars be reinstalled?

Mr. Speaker : He has already replied.

श्री रंगा : भूमि संबंधी कुछ ऐसे नियम जिलाधीशों के मार्गदर्शन के लिये अवश्य होंगे, ताकि विवाद के समय उनके अनुसार मामला निपटाया जा सके। मैं यह जानना चाहता हूँ कि दोनों ओर के जिलाधीशों की बैठक कितने समय बाद होती है। क्या गत वर्ष अथवा छः मास में कोई बैठक हुई थी ? और क्या कारण है कि उनके लिए इन स्तम्भों को अबतक लगाना सम्भव नही हुआ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम अपने आप कुछ नहीं करते, मिल मिलाकर समझौते से चलते हैं। यह ठीक है कि पाकिस्तान के अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। अतः हमारे कारण देरी नहीं हुई। अपने आप हम कार्यवाही कर लें, यह सम्भव नहीं है। वैसे दोनों ओर से सीमा स्वीकार की गई है। स्तम्भों का हटाया जाना निसंदेह आवेश का कारण बनता है और हमे यह बात पसन्द भी नहीं परन्तु इससे हमारे हितोंको कोई हानि नहीं पहुंचती।

श्री रंगा : मैंने पूछा था कि दोनों ओर के जिलाधीश कितने समय बाद मिलते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसका उत्तर मैं तत्काल नहीं दे सकता ।

Shri Bagri : Whether on account of the removal of those pillars the Government has a feeling that Pakistan will try to occupy that part of the land after removing intermediate signs? Does the Government intend to take some measures to protect them ?

Shri Swaran Singh : We have done all arrangement for their protection.

Mr. Speaker : Is it feared that the Pakistani Govt. intend to occupy our land?

Shri Swaran Singh : If they intend like that it will be their greatest mistake. By doing so they can anticipate the consequences. Where there is an agreed frontier there is no ground for quarrel.

पूर्वी पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों के अल्प-संख्यक

+

*123. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दी०चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान पूर्वी-पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों से अल्पसंख्यकों को निकालने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन अल्पसंख्यकों को पूर्वी-पाकिस्तान से निकाल दिया गया है अथवा उन्हें पाकिस्तान के अन्य भागों में बसाया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन अल्पसंख्यकों ने भारतीय उच्चायोग से भारत आने के लिये परमिट मांगे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को इस आशय की कुछ खबरें मिली हैं ।

(ख) यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान के सीमावर्ती ज़िलों से अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत से लोग भारत आए हैं ।

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यकों ने इतनी बड़ी संख्या में प्रव्रजन प्रमाण-पत्रों के लिए प्रार्थना-पत्र दिए थे जो पूर्व पाकिस्तान के समूचे अल्पसंख्यक समुदाय के अनुपात में बहुत थे ।

(घ) पूर्व पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी सदस्यों को प्रव्रजन प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं जो मुसीबत में हों ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि अल्पसंख्यक समदाय के कितन लोगों नें जो कि पाकिस्तान से विस्थापित बन कर आये हैं, पार पत्र के लिए आवेदन किया हैं, और जिन्हों पार पत्र दिया गया है उनकी संख्या क्या है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा यातनाओं की क्या व्याख्या की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे पास क्षेत्र वार आंकड़े नहीं है कि इस तरह के सीमावर्ती जिलों वा ों लोगों की संख्या क्या है, और अन्य जिलों के लोगों की संख्या क्या है। परन्तु जैसा कि मैंने संकेत दिया है, प्राय: उनकी तथा अन्य जिलों की संख्या लगभग समान ही है।

श्री दी० चं० शर्मा : अल्पसंख्यक लोगों को पूर्वी बंगाल के लोगों से निकाल कर पाकिस्तान स्पष्टत: उनके मकान पर अपने पदनिवृत सेना अधिकारियों, मुजाहिदों, रजाकारों तथा अन्य छाता सैनिकों को वहा बसाना चाहता है। मैं यह जानना चाहता कि इस कृत्य का प्रत्युत्तर देने के लिये हमारी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं पर सैनिक तथा अर्ध-सैनिक लोगों का जमाव न होने पाये?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अल्पसंख्यक समुदायों में जो भगदड़ है वह बहुत ही भयानक है और हमारे अधिकारी उसके प्रति पूर्ण रूप से सजग हैं। वे सभी सिविल और सैनिक व्यक्ति, जिनपर हमारी सीमा की अखण्डता की रक्षा का उत्तरदायित्व है, इस पर नजर रखे हुए हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं यह जान सकता हुँ कि अल्पसंख्यक लोगों को पूर्वी पाकिस्तान से निकालने की योजना पाकिस्तान सरकार ने जान बज कर बनाई है और इससे उनका लक्ष्य उन लोगों का समूल नाश करना है, यदि हां, तो इसे अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर जनमत के समक्ष तथा अन्य ढंगों से दुनिया के सामने लाने के बारें में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारा दुर्भाग्य है कि काफी समय से पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्य ों पर निरन्तर अत्याचार हो रहा है, इसी कारण अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भारत में आने को बाध्य हुये हैं। हमारें लिए यह बहुत खतरनाक बात है। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय-शास्त्री भी वहां गये थे और उनका एक प्रतिवेदन भी हमारे सामने आया था, जिसे माननीय सदस्य देख चुके होंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या पूर्वी पाकिस्तान सरकार के इस कृत्य को सरकार अल्प-संख्यकों के समूल नाश का प्रयत्न मानती है, यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। न्याय-शास्त्रीओं के प्रतिवेदन का मुझे पूरा ज्ञान है।

श्री स्वर्ण सिंह : जब निरन्तर असुरक्षा का वातावरण अल्पसंख्यकों के लिए बना रहे तो स्पष्ट है कि इसे यही कहा जायेगा। परन्तु इस शद्व का वास्तविक अर्थ क्या है इसके बारे में मैं नहीं जानता।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : माननीय मंत्री जानते ही होंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : शद्व कोष देख कर इसका अर्थ मालूम किया जा सकता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कुछ प्रश्नों के उत्तर में माननिय मंत्री ने कहा था कि उच्चायुक्त के पास सीमावर्ती जिलों से आये हुए लोगों की ओरसे जो असंख्य पत्र आये हैं उसकी संख्या उनको मालूम नहीं हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें चले जाने के लिए कहा गया हैं। जो बहुत ही कठिनाई वाले मामले हैं, उन्हें पासपोर्ट अथवा वीसा दे दिया जाता है। क्या उच्च आयुक्त को विशेष रूप से ऐसे लोगों की संख्या का पता है जिन्हें सीमान्त जिलों से चले जाने के लिए कहा गया है, और यदि हां तो क्या उनके यहां आ जाने पर उन्हें वही सुविधायें दी जायेगी, जो कि आजकल काश्मीर के विस्थापित लोगों को दी जा रही हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, उसके लिए यदि अलग नोटिस दिया जाय तो मैं जानकारी एकत्रित कर सकूंगा। इसके मांग के बारे में मेरा निवेदन है कि हम विस्था-पितों की हर प्रकार की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुर्नवास मंत्री इस दिशा में सब तरह की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि भारत सरकार ने काफी कडा कदम उठाया है ताकि पाकिस्तानी घुसपैटियों को काश्मीर से निकाला जाय, इस कारण पूर्वी पाकिस्तान में भीषण आतंक छा गया है। अल्पसंख्यको का दमन किया जा रहा है। बहुत से लोग भारत आना चाहते हैं तो क्या उन्हें आने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं दिए जाते? यदि हां तो क्या उच्चायुक्त को इस आशय के आदेश दे दिये गये हैं कि इस प्रकार आने वाले लोगों को प्रमाणपत्र दे दिये जाये और भारत में प्रवेश करने की सभी सुविधायें प्रदान की जायें ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि हमें रिपोर्टें मिली है कि पूर्वी पाकिस्तान में असुरक्षा की भावना है और बहुसंख्याक समुदाय काफी आक्रमक हो रहा है। इसके लिए नये आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सभी बातें उन आदेशों के अन्तर्गत आ जाती हैं जो इस से पूर्व दिय जा चुके हैं। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि अपेक्षित प्रमाण देने में औपचारिक कार्यवाही की जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के अन्तिम भाग का क्या उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : यह किया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने पूछा है कि जो आयेंगे और यहां बसेंगे उन्हें क्या यहां बसने की सुविधायें दी जायेंगी ? इसका उत्तर नहीं दिया गया।

श्री स्वर्ण सिंह : निश्चित रूप से वे सभी सुविधायें दी जायेंगी।

श्री स० मो० बनर्जी : वह उत्तर नहीं दे रहे।

अध्यक्ष महोदय : अब वह सारी सुविधाओं की सूची तो यहां प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा औचित्य प्रश्न है। यह प्रश्न वैदेशिक कार्य मंत्रालय से दो कारणों से पूछा गया है। एक तो यह कि उनको पता है कि पाकिस्तान अपने यहां अल्पसंख्यकों से क्या व्यवहार कर रहा है। दूसरेयह कि यह समझा जाता है कि कुछ अनुपूरक प्रश्नों के पूछे जाने के कारण माननीय मंत्री पुनर्वास मंत्री से परामर्श करके इसका उत्तर देंगे, क्योंकि उन सब की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। परन्तु मुझे किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया गया, और यह नही बताया गया कि यहां आने वाले विस्थापितों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : डा० सरोजिनी महिषी ।

डा० सरोजिनी महिषी : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय उच्चआयुक्त द्वारा सभी सुविधायें दी जा रही हैं, परन्तु "कठिनाई वाले लोगों" की क्या परिभाषा की गई है?

श्री स्वर्ण सिंह : इस का उत्तर पहलेही दिया जा चुका है। कुछ श्रेणियां हैं। उनकी स्थिति बिलकुल असुरक्षा की है, उनके सम्बन्धी भी उनसे जुदा हो गये हैं। सभा की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 8,000 या 9,000 है। बहुत से लोगों को प्रव्रजन प्रमाण पत्र दिये जा चुके हैं। लाखों की संख्या में लोग विस्थापितों के रूप में भारत आ गये हैं और वे प्रतिदिन आ रहे हैं। यह कहना ठीक नहीं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे और जिनको सहायता की आवश्यकता है उन्हें सहायता नहीं दे रहे।

श्री स० मो० बनर्जी : जब वे यहां आते हैं तो आप उन्हें क्या सहायता देते हैं?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कुछ भी नहीं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि चीनी चौकियां पूर्वी पाकिस्तान के खुलना और जैसोर जिलों में भी बन गई हैं ? यदि हां, तो क्या इससे अल्पसंख्यक लोग परेशान हो रहे हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : यह तो मैं बता चुका हूं कि विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं चीनी चौकियां का उल्लेख कर रहा हूँ ।

श्री स्वर्ण सिंह : चीनी चौकियों के बिना भी वे असुरक्षित महसूस कर रहे है । उन्हें स्थानीय लोग भी परेशान कर रहे हैं और प्रशासन भी तंग कर रहा है ।

चीनियों द्वारा माना दर्रे के पास भारतीय गश्ती दलों को त्रस्त करना

+

*124. **श्री यशपाल सिंह :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री श्रीनारायण दास : **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री गुलशन :**
श्री दे०द० पुरी : **श्रीमती जोत्सना चन्दा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माना दर्रे के पास, जो उत्तर प्रदेश और तिब्बत के बीच की सीमा के दर्रों में से एक है, चीनियों ने भारतीय गश्ती दलों को त्रस्त करने के प्रयत्न किये थें तथा कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) 9 मई 1965 को भारत-तिब्बत सीमा के मध्य क्षेत्र में माना दर्रे के उस पार से भारतीय क्षेत्र में लगभग आधा मील एक चीनी दल घुस आया था। भारतीय ओर पर भारतीय पोलीस के एक गश्ती दस्ते को दूर से देखतें हुए चीनी अतिक्रमियों ने तीन गोलियां चलाई और वह माना दर्रे से तिब्बत लौट गए। इस क्षेत्र में और कोई अतिलंघन अथवा घटना नही हुई ।

(ख) इस, जान बूझ कर हमारे भूक्षेत्र के, किए गए अतिक्रमण के लिए, चीन सरकार को एक विरोध पत्र भेजा गया था । अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं ।

Shri Yashpal Singh : How many Chinese army personnel are there near the Mana Pass?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माना दर्रे के दूसरी ओर थोड़ी संख्या में कुछ चीनी सैनिक हैं, परन्तु चीनके सैनिक निश्चय ही माना दर्रे के दूसरी ओर ही आते हैं ।

Shri Yashpal Singh : Is the Govt. in a position to mention the date when those troops will be asked to go back and that force will be met with force if they do not withdraw ?

Shri Y. B. Chavan : Definitely force will be met with force.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह देखते हुए कि माना दर्रे के लिये अभी ऐसी सड़क नहीं है जैसी कि होनी चाहिये और विशेषत: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माना दर्रे के रास्ते चीनी आक्रमण का डर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई नया प्रयास किया गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि मैं ने बताया है, हमारे गश्ती दल माना दर्रे तक जाते हैं। उसके बाद इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मेरा प्रश्न सड़क संचार के बारे में है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सड़क संचार के साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हैं। कुछ कठिन क्षेत्रों में सड़कें बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है वे दूसरे पक्ष के लिये उपयोगी सिद्ध हों।

श्री श्रीनारायण दास : क्या पिछले तीन महीनों में चीन के साथ लगती हुई हमारी सीमा पर हमारे गश्ती दलों की मुठभेड़े चीनी गश्ती दलों से हुई हैं और यदि हां, तो इन अवसरों पर क्या परिणाम हुआ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। उसके बाद कोई घटना नहीं हुई है।

श्री दे० द० पुरी : क्या चीनकी तथाकथित एकपक्षीय युद्धविराम व्यवस्था के अनुसार चीनी लोग माना दर्रे तक अपने सैनिक रख सकते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारी ओर हमारे सैनिक हैं ; उनकी ओर उनके सैनिक हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : चीनी गश्ती दल द्वारा की गई कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिये, कि वे ऐसी घटनाओं को न दोहराएं, क्या विशेष कार्यवाही की गई है, और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये वहां पर काफी कुमुक भेजी गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां, प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर स्वीकारन्तीक है, परन्तु उनको रोकने का केवल एक ही तरीका है और वह यह कि हमारे गश्ती दल उस स्थान तक लगातार और बराबर जाते रहें।

Shri Onkarlal Berwa : How many times has China committed such border incidents during the period since Pakistan attacked on Kutch?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पिछले कुछ सप्ताहों में जब कि पाकिस्तान की कार्यवाही तेज़ हो गई थी, हम ने सीमा के अपनी ओर कोई कठिनाई अनुभव नहीं की।

Shri Gulshan : Has the Government made any arrangement for the safety of Indians living near the Mana pass?

Shri Y. B. Chavan : I have told that some arrangements have been made.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या विरोधपत्र का कोई उत्तर सरकार को प्राप्त हुआ है, यदि नहीं तो, अब सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उस विरोध पत्र का कोई उत्तर नहीं आया है।

Shri Brij Raj Singh : Is the hon. Minister prepared to give an assurance in connection with construction of Bareilee-Bilaspur and Faridpur-Bilaspur roads to connect Mana pass from Bareilee, when the Head Office of the Area Command is situated and where such a big aerodrome has been built which is said to be one of the biggest in the world?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पिछली बार भी माननीय सदस्य ने यही प्रश्न उठाये थे। सीमा क्षेत्रों के लिये संचार साधनों के विकास के लिये कुछ योजनाएं आरम्भ की गई हैं। उन्हों ने कुछ विशेष सड़कों का उल्लेख किया था और उसके संबंध में मैंने उत्तर भी भेज दिया था। कुछ पग उठाये गये हैं।

श्री हेम बरुआ : हाल के विरोध पत्र में, चीन ने यह आरोप लगाया है कि हमारे लड़के उनके क्षेत्र में चले गये और दो चीनी युवतियों को पकड़ कर ले आये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : वहां पर चीनी औरतें क्यों लाई जाती हैं?

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां तक सच है। क्या उन्होंने उनका पता लगाने का और वापस देने का प्रयत्न किया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो कुछ हुआ है वह इस प्रकार है। कोई आदमी वहां नहीं गया और चीनी स्त्री को पकड़ कर नहीं लाया। दो तिब्बती लड़कियां, क्योंकि उनके परिवारों पर अत्याचार किया गया था, तिब्बत छोड़ कर उन क्षेत्रों में आ गई, और उन्होंने हमारी गश्ती टुकड़ियों से, जो कि उस ओर गई थी, रक्षा की प्रार्थना की।

श्री श्यामलाल सर्राफ : चीनियों द्वारा हमारी गश्ती टुकड़ियों को अभियस्त किये जाने के संबंध में क्या हमारी गुप्तचर सेवा को यह पता लगाने के लिये, कि सीमा की दूसरी ओर वास्तव में क्या हो रहा है, जांच करने के लिये कहा गया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में गुप्तचर विभाग के संबंध में शायद कुछ गलतफहमी है। वास्तव में गश्ती दस्ते उस क्षेत्र में जाते हैं; यह गुप्तचर कार्य का ही एक अंग है।

नये आयुध कारखाने

*125. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 23 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 157 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये आयुध कारखाने खोलने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उनमें से कितनों में उत्पादन शुरू हो गया है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (अ० म० थामस) : (क) और (ख) : सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

नए आयुध कारखानों की स्थापना संबंधी प्रगति नीचे दर्शाई गई है :—

आर्डनेंस फैक्ट्री, वरंगांव :

7.62 एम० एम० गोली बारूद का घान उत्पादन प्रगतिशील है। सम्पूर्ण शिफ्ट उत्पादन कई भवनों तथा सेवाओं और कर्मचारियों के लिए वास्य भवनों की सम्पूर्ति पर निर्भर है। पूर्ण क्षमता उत्पादन 1966 के मध्य तक प्रत्याशित है।

इंजीनियरी फैक्ट्री, आम्बाझरी :

यू० एस० मन्त्रणादाताओं द्वारा इस प्रायोजना के इंजीनियरी अध्ययन के जो शुरू 1965 में शुरू हुआ था, इस मास के अन्त तक सम्पूर्ण होने की आशा है। वास्य भवनों तथा असैनिक निर्माण

कार्यों का निर्माण, जहां तक वह मंत्रणादाताओं द्वारा निर्वाधित घोषित किए गए हैं, शेड्यूल के अनुसार प्रगतिशील हैं। 20 लाख गेलन साफ पानी प्रतिदिन मुहय्या करने की योजना सम्पूर्ण हो चुकी है। फैक्ट्री में जून 1967 से अन्त 1968 तक, प्रायोजनाओं में, उत्पादन आरंभ कर देना प्रत्याशित है।

पूरक फैक्ट्री, चांदा :

औद्योगिक तथा वाम्य भवनों का निर्माण शेड्यूल के अनुसार प्रगतिशील है। डी० जी० ओ० एफ० संस्था के अफसरों का एक दल, यू० के० सहायता के तौर पर आने वाले, विशिष्ट संयन्त्र तथा मशीनों और सम्पूर्ण संमिश्र के लिए शेष संयन्त्रों के निर्धारण के लिए, इस समय यू० के० में है। वर्तमान् संकेतों के अनुसार फैक्ट्री में लगभग दो वर्ष में उत्पादन का आरम्भ प्रत्याशित है।

स्माल आर्म्ज फैक्ट्री, तिरूचिरपल्ली :

औद्योगिक तथा वाम्य भवनों का निर्माण शेड्यूल के अनुसार प्रगतिशील है, और संयन्त्र तथा मशीनों का कुछ भाग स्थान पर पहुंच चुका है। वर्तमान् संकेतों के अनुसार, फैक्ट्री में मध्य 1966 तक, उत्पादन का आरम्भ शुरू हो जाएगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कुछ कारखानों के विस्तार में विलम्ब हो रहा है क्योंकि नई मशीनें आयात नहीं की जा सकती और यदि हां, तो उत्पादन के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हो गई है, सरकार उस को किस प्रकार दूर करना चाहती है ?

श्री अ० म० थामस : मुख्य प्रश्न नये आयुध कारखानों से संबंधित है। माननीय सदस्य ने वर्तमान कारखानों के संबंध में प्रश्न किया है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि विस्तार योजनाएं योजना के अनुसार ही चलती हैं ; उनमें विलम्ब नही किया जाता।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सभा में बताया गया था कि एक नये प्रस्तावित आयुध कारखाने का विचार अब कुछ कारणों से छोड़ दिया गया है। जिन आयुध कारखानों के लिये वायदा किया गया था क्या उन सब को लगाया जायेगा अथवा एक या दो को छोड़ दिया जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : कई बार यह बताया जा चुका है कि प्रस्तावित नये आयुध कारखानों में से हम चार को लगा रहे हैं। एक में उत्पादन आरम्भ हो गया है और शेष का निर्माण कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है ; कार्यक्रम के अनुसार उनमें भी उत्पादन चालू हो जायेगा। मैं पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्य को बता चुका हूँ कि पानवेल और बुरला कारखानों में, जिनको स्थापित करने का इरादा छोड़ दिया गया है, पैदा की जाने वाली जो वस्तुएं तैयार की जानी थीं उनका आयात किया जायेगा और उनको जमा किया जायेगा।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Government ensure that the foreign spies working here in the disguise of Indians will not be employed in Ordnance factories?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

श्री हरि विष्णु कामत : पटल पर रखा गया विवरण चार नये आयुध कारखानों के संबंध में है—3 महाराष्ट्र में और एक मद्रास राज्य में। विवरण में बताया गया है कि एक कारखाने में उत्पादन 1966 से आरम्भ हो जायेगा, और दूसरे में 1967 से, तीसरे में 1968 से। इसी प्रकार क्या सरकार आपातकाल को पूरी तरह महसूस कर रही है जो अभी चालू है और यदि हां, तो शीघ्रतापूर्वक उत्पादन न करने के क्या कारण हैं?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है; निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है इनके लिये बराबर प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। हम आपातकाल के आधार पर काम कर रहे हैं।

श्री इकबाल सिंह : कुछ कारखानों को छोड़ दिया गया था और कुछ में देरी हो गई थी। आयुध कारखानों को विदेशी मुद्रा आवंटित करने की क्या स्थिति है ? क्या इसको पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान दिया गया है ?

श्री अ० म० थामस : विदेशी मुद्रा के आवंटन में कोई कठिनाई नहीं है। अम्बाझरी, चांदा और वरनगांव कारखानों के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर दी गई थी ; लिचि फैक्टरी के लिये हमारे पास निर्बन्ध विदेशी मुद्रा है और वह 1966 के मध्य तक उत्पादन आरम्भ कर देगी।

श्री दाजी : इस कारखाने में कितने व्यक्तियों को रोज़गार मिलने की संभावना है और क्या वर्तमान कारखानों के फालतू कर्मचारियों को इस कारखाने में लगाया जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : इस समय कोई कर्मचारी फालतू नहीं हैं। हम विभिन्न आयुध कारखानों के वर्तमान मज़दूरों का वैज्ञानिकन कर रहे हैं और कुछ मज़दूरों को नये आयुध कारखानों में भेजा जा रहा है। वारनगांव कारखाने में इस समय लगभग 1,000 मज़दूर काम करते हैं। कारखानों के विकास के साथ साथ प्रत्येक कारखाने में 3000 या 4000 या 5000 तक मज़दूरों को रोज़गार मिल सकेगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Does the Government feel that the production will meet out total demand ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक हथियारों और गोलाबारुद का संबंध है, हम इस मामले में लगभग आत्म निर्भर हैं ; हम बहुत कम मात्रा में आयात करते हैं।

मोटरगाड़ी कारखाना, जबलपुर

+

*126. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना०तिवारी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :
श्री राम हरख यादव :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा ;
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'शक्तिमान' ट्रक और 'निशान' मोटर गाड़ियां बनाने के लिये सरकार ने जबलपुर में एक नया मोटरगाड़ी कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या तोपगाड़ी बनाने वाले कारखाने के मोटरगाड़ी विभाग को भी इस नये कारखाने में मिला दिया जायेगा ;

(ग) क्या इस कारखाने के लिये नागर निर्माण कार्य योजनाओं को मंज़ूर कर लिया गया है तथा क्या परियोजना प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है ; और

(घ) इस प्रस्तावित कारखाने में अनुमानतः कितनी मोटरगाड़ियां तैयार होंगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर में शक्तिमान तथा निशान गाड़ियों के उत्पादन में इस समय नियुक्त सयन्त्र और मशीनें तथा सेविवर्ग नई विहिकल फैक्ट्री में अन्तिरित कर दिए जाएंगे।

(ग) प्रारंभिक कार्यों से संबद्ध असैनिक कार्यों के एक छोटे से भाग के लिए स्वीकृति दे दी गई है, और असैनिक कार्यों तथा प्रायोजना रिपोर्ट की अन्य मदों के अनुमानित निरीक्षण आधीन है।

(घ) अनुमान है कि उत्पादन क्षमता को आठ घण्टों की शिफ्ट में, 13000 वार्षिक गाड़ियों की होगी, जिनमें से 6000, 3 टन शक्तिमान ट्रक होंगे, और शेष 7000 निशान गाड़िएं। निशान गाड़ियों के उत्पादन की संख्या 7000 से 12000 तक वार्षिक बढ़ाने का एक सुझाव विचाराधीन है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इसपर कुल कितनी लागत आयगी और क्या कोई विदेशी सहयोग भी प्राप्त किया जायगा।

श्री अ० म० थामस : जहां तक शक्तिमान ट्रकों का संबंध है, उसके लिये 'मान' जर्मनी का सहयोग प्राप्त किया जायेगा, 'निशान' के लिये जापान से सहयोग प्राप्त किया जायेगा। कुल खर्च लगभग 32 करोड़ रुपये होगा और इसमें विदेशी मुद्रा परिव्यय लगभग 9 करोड़ रु० का होगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या ट्रक निर्माण से संबंधित हमारे पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन ट्रकों की शक्ति और कार्यकुशलता इसके बड़े नाम 'शक्तिमान' के अनुरूप ही होगी ?

श्री अ० म० थामस : शक्तिमान ने अपनी शक्ति सिद्ध कर दी है और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है।

Shri Bibuthi Mishra : Just now the hon. Minister has stated that 32,200 'Shaktiman' trucks and about 9,000 'Nishan' motor vehicles would be manufactured. To what extent will they meet the requirement of our country? When will the 'Shaktiman' and 'Nishan' be put into services?

श्री अ० म० थामस : इस समय लगभग 1200 शक्तिमान ट्रक 1 टनवाली 3600 निशान गाड़ियां और 1200 निशान पेट्रोल गाड़ियां प्रति वर्ष बनाई जा रही है। यह हमारी विद्यमान क्षमता है। तीन टन वाली गाड़ियों की हमारी अनुमानित आवश्यकता लगभग 44,000 की होगी।

श्री कपूर सिंह : यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस तथा अन्य प्रतिरक्षा फैक्टरियों में कॉफी परकोलेटर नहीं बनायें जाएगें, सरकार ने यदि कोई कदम उठायें हैं तो क्या?

श्री अ० म० थामस : असैनिक सामग्री बनाने का इस समय प्रश्न ही नहीं उठता। शायद कुछ क्षेत्रों में ऐसा करना आवश्यक हो। जब उत्पादन सैनिक आवश्यकता से बढ़ जायेगा तो कुछ क्षेत्रों में असैनिक उत्पादन करना ही ठीक होगा; परन्तु उसे सरलता से सैनिक उत्पादन के लिये लगाया जा सकता है **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : वह केवल इतना आश्वासन चाहते हैं कि वहां पर कॉफी परकोलेटर नहीं बनायें जायेंगे।

श्री अ० म० थामस : इसकी आवश्यकता नहीं है ; यह तो पुरानी बात है।

श्रीमती सावित्री निगम : इन दोनों मोटागाड़ियों की अनुमानित लागत क्या होगी और क्या सैनिक काम के अतिरिक्त वे असैनिक उपयोग के लिये भी उपलब्ध की जायेंगी ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में बहुत सी गाड़ियां इस समय असैनिक प्रयोग के लिये दी जाती हैं। संसद सदस्य भी उसका खूब लाभ उठा रहे हैं। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। वे जानना चाहते हैं कि क्या संसद सदस्यों को शक्तिमान गाड़ियां दी जायगी।

श्री अ० म० थामस : नये कारखाने में शक्तिमान की लागत 37,000 रु० और 1 टन निशान की लागत 18,000 रु० होगी। शक्तिमान और निशान की वर्तमान लागत क्रमशः लगभग 44,000 रु० और 20,000 रु० है।

Shri Bagri : Mr. Speaker, Sir, my name is left out.

Mr. Speaker : I have indeed to give an explanation. The complaint of Shri Bagri is justified. It is my mistake. My office did not know that Shri Bagri will come to day **(Interruptions)**. I am not saying this by way of Joke, but speaking seriously. Shri Bagri's name has been deleted from the list and therefore I made mistake for the second time. I shall take care of it in future.

Shri Yashpal Singh : Even those Members are left out whose names are there on the list and who sit before you.

Mr. Speaker : I am not calling all the names.

Shri Ram Sewak Yadav : The Members, whose names appearing on the list and who are present, should be called.

Mr. Speaker: Even those hon. Members have not been called whose names appear on the list. His complaint is that his name was included in the list but he has not been called. I have given explanation for that. I am not calling all those hon. Members whose names appear on the list.

राजनयिक पदों पर नियुक्तियां

+

*127. **श्री विद्याचारण शुक्ल :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 8 मार्च 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजनयिक पदों पर राजनीतिज्ञों तथा सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों आदि की नियुक्ति के बारे में भारतीय विदेश सेवा एसोसियेशन के अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। इस सवाल पर तथा इस एसोसिएशन ने नौकरी की शर्तों के बारे में जो अन्य मामले उठाए हैं; उनपर भी वह समिति विचार कर रही है जो सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के काम और इसके संगठन की जांच करने के लिए हाल ही में नियुक्त की थी और जिसके अध्यक्ष श्री एन० आर० पिल्ले है (जो पहले विदेश मंत्रालय में प्रधान सचिव थे)।

श्री विद्याचरण शुक्ल : राजनयिक पदों पर गैर-असैनिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में विचार करने का काम ऐसी समिति को सौंपने से पहले, जिसमें अधिकतर असैनिक अधिकारी हैं, क्या सरकार ने इसके औचित्य का विचार किया है? क्या सरकार ऐसे मामले में, जो उसके अपने हितों से संबंधित है, इस समिति से निष्पक्ष सिफारिश की आशा करती है ?

श्री दिनेश सिंह : सार्वजनिक जीवन वाले लोगों को लेने के प्रश्न पर इस संस्था ने कभी भी आपत्ति नहीं की है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या सरकार ने राजनयिक पदों पर सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करने के संबंध में कोई कसौटी अथवा प्रतिशतता निर्धारित की है ?

श्री दिनेश सिंह : इसके लिये उपयोगिता तथा उपयुक्तता की कसौटी रखी गई है । जहां तक प्रतिशतता का संबंध है, मैं नहीं समझता कि प्रतिशतता निर्धारित करना वांछनीय होगा । सामान्य रूप से हम यह ख्याल रखते हैं कि उनकी एक निश्चित संख्या होनी चाहिये ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : विदेश सेवा में सार्वजनिक जीवनवाले लोगों के योग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार विदेश सेवा में इनको अधिकाधिक संख्या में लेने का विचार कर रही है?

श्री दिनेश सिंह : वे पहले ही काफी संख्या में हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पिछले सत्र में प्रश्नों के उत्तर में वैदेशिक-कार्य मंत्री ने सभा को बताया था कि उनका विचार विदेश सेवा के पुनर्गठन सम्बन्धी मामले में विचार करने का नहीं है । तब से अब तक इस समिति की नियुक्ति करने के लिये सरकार को सहमत करवाने के लिये क्या कुछ किया गया है, और इस समिति की नियुक्ति करते समय इसको व्यापक बनाने का क्यों विचार नहीं किया गया?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): सेवा की शर्तों, प्रशिक्षण की अवधि, भर्ती के स्रोतों, आदि से संबंधित प्रश्न इस संस्था द्वारा तथा इस सभा में भी उठाया गया था । अतः यह आवश्यक समझा गया कि समूचे प्रश्न की जांच न्यूनाधिक विशेषज्ञ आधार पर होनी चाहिये और उस समिति का प्रतिवेदन मिलने के पश्चात ही सरकार निर्णय कर सकती है । समिति सरकार को केवल प्रतिवेदन देगी और प्रतिवेदन की जांच करने के बाद हम निर्णय करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यही था कि सदन में आलोचना होने के बावजूद और संस्था का अभ्यावेदन सरकार के पास होने के बावजूद सभा में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी । क्या संसद की कोई परवाह ही नहीं की गई जब मंत्री महोदय ने यह कहा कि उन का विदेश-सेवा के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने की कोई इरादा नहीं है ।

यदि बाद में इस समिति की नियुक्ति करने के लिये बाध्य करने वाले और तथ्य प्राप्त हुए है, तो उन्होंने सभामें की गई आलोचना की अवहेलना क्यों की और इस समिति को व्यापक क्यो नहीं बनाया और इसे इतना संकीर्ण क्यों बनाया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक दृष्टि से संकीर्ण नहीं है । श्री पिल्ले पहले सेवामें थे परन्तु अब वह सेवा से निवृत्त हो चुके हैं । वाणिज्य सचिव, गृह-कार्य सचिव तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के दो सचिव इस के सदस्य हैं । वेतन क्रम तथा प्रशिक्षण की अवधि जैसे मामलों पर उस को रिपोर्ट देने को कहा गया है । इस लिये विशेषज्ञ स्तर पर जांच कराना आवश्यक समझा गया । कुछ माननीय सदस्यों ने प्लौडन कमीशन की भांति एक समिति बनाये जाने की मांग की थी । हमने इसे आवश्यक समझा परन्तु यह आवश्यक है कि कुछ पहलुओं पर विशेषज्ञ समिति विचार करे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Pakistan's Anti-Indian Propaganda

*128. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri Subodh Hansda : **Shri Vidya Charan Shukla :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the action taken by Government to counter the baseless and false propaganda carried on by Pakistan after its attack in the Rann of Kutch; and

(b) whether publicity to Indian views has also been given in the foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) & (b) Various possible media of publicity were used not only to counter the false and baseless propoganda carried on by Pakistan after its attack in the Rann of Kutch but also to present India's case correctly in foreign countries.

कलपाक्कम (मद्रास) में अणु-शक्ति केन्द्र

*129. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री लक्ष्मी दास :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर : **डा० महादेव प्रसाद :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरूआ : **श्री पे० वेंकटासुबय्या :**
श्री बासप्पा : **श्री राम हरख यादव :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** 29 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1960 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट कलपाक्कम में एक अणु-शक्ति केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर अब विचार कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां तो, इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) मद्रास के समीप कलपाक्कम में परमाणु बिजलीघर बनाने की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है बशर्ते कि इस प्रायोजना के लिये आयात किये जाने वाले उपकरणों को खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध हो सके।

(ख) यह आशा की जाती है कि यह बिजलीघर चौथी योजना के अन्त तक चालू हो जायेगा।

मज़गांव डांक में फ्रिगेटों का निर्माण

*130. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मज़गांव डाक में फ्रिगेटों का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ख) प्रथम फ्रिगेट का नौतल (कील) कब तक तैयार होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय मे प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) :(क) जी हां।

(ख) पहले फ्रिगेट के नौतल का न्यास लगभग मध्य 1966 में रखे जाने की आशा है।

मूल्य सूचक अंक

*131. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, मई और जून 1965 में मूल्य सूचक अंक में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो मजदूरों को अन्तरिम सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) अप्रैल, मई और जून 1965 सम्बन्धी अखिल भारतीय (अंतरिम) श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949 = 100) निम्न प्रकार हैं:—

अप्रैल, 1965	160
मई, 1965	161
जून, 1965	163

अप्रैल से मई में एक पायंट का बढ़ना और मई से जून में दो पायंटों का बढ़ना बहुत ज्यादा नहीं समझा जा सकता।

(ख) जहां कहीं भी महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा है वहां कामगारों को सूचकांक में वृद्धि होने से संबंधित पंचाट या समझौते के अनुसार बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है। अन्य मामलों में राहत पाने का प्रश्न नियोजकों और मज़दूरों के आपसी समझौते और सामूहिक सौदाकारी का विषय है।

पाकिस्तानी रज़ाकारों द्वारा भारतीयों का सिर काटा जाना

*132. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री बृजराज सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बड़े :
श्री हेमराज :
श्री व० बा० गांधी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हे० वी० कौजलगी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रति रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान रजाकारों से काश्मीर में भारतीयों की हत्याएं कराने का काम ले रहा है ;

(ख) क्या रजाकारों द्वारा मारे जाने वाले प्रत्येक भारतीय के सिर के लिये कोई विशिष्ट मूल्य रखा गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे ऐसे जुल्मों की ओर मित्र देशों का ध्यान दिलाया है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) कुछ ऐसे उदाहरण सरकार के सामने आए हैं जिनमें पाक अधिकृत काश्मीर क्षेत्र से सशस्त्र सेविवर्ग जम्मू में युद्धविराम रेखा/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का अतिलंघन करके निश्शस्त्र अबोध भारतीय असैनिकों को मारकर उनके सिर काट कर पाक अधिकृत काश्मीर क्षेत्र में ले गये हैं। यह घटनायें उन रिपोर्टों को सच्चा सिद्ध करती हैं कि पाक अधिकृत काश्मीर क्षेत्र के अधिकारियों ने अपने सशस्त्र सेविवर्ग को पारितोषक देना घोषित किया है जो अपनी वीरता के प्रमाण स्वरूप भारतीय असैनिकों के सिर ले जाएं। अन्यथा इस प्रकार के बरबरतापूर्ण तथा जघण्य कार्य निरर्थक हैं।

(ग) जी नहीं ।

शान्तिमय कार्यों के लिये अणु-शक्ति का विकास

*133. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांतिमय कार्यों के लिये अणु शक्ति का अधिक तेजी से विकास करने के लिये कोई प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

शान्तिमय कार्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का विकास करने के लिये सरकार के पास महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

जदुगुडा में एक यूरेनियम खान का विकास किया जा रहा है जिससे 1000 मीट्रिक टन धातुक का उत्पादन प्रति दिन होगा। इस खान में उत्पादन कार्य सन् 1966 के अन्त तक शुरु हो जायेगा। जदुगुडा में ही एक यूरेनियम मिल का भी निर्माण किया जा रहा है और यह मिल अगले वर्ष के शुरु में कार्य करने लगेगी ।

राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन के दूसरे यूनिट और मद्रास परमाणु विद्युत स्टेशन के लिये 200-200 मैगावाट के दो एकसे यूनिटों का निर्माण करने का फैसला किया गया है, बशर्ते कि आयात किये

जाने वाले उपकरणों के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष 200 मीट्रिक टन भारी पानी तैयार करने वाले संयंत्र को लगाने की एक योजना विचाराधीन है।

इन बिजलीघरों के लिए आवश्यक कैलन्ड्रिया ट्यूबों, दबाव ट्यूबों, क्लैडिंग पदार्थों और अन्य पुर्जों को बनाने के लिये ज़रकन रेत से ज़रकालाय तैयार करने के लिये एक ज़रकोनियम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

राजस्थान और मद्रास के बिजलीघरों के लिये आवश्यक ईंधन तैयार करने वाले ज़रकोनियम संयंत्र के साथ एक यूरेनियम आक्साइड संयंत्र तथा एक केरेमिक ईंधन बनाने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

तारापुर बिजलीघर की भविष्य की ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समृद्ध ईंधन बनाने का संयंत्र स्थापित करने का विचार है।

ट्राम्बे स्थित इलेक्ट्रानिक उत्पादन प्रभाग को ट्राम्बे से हटाकर एक आत्मनिर्भर संयंत्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसमें न्यूक्लीय इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा पुर्जे बनाये जायेंगे तथा यह संयंत्र सिविल और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा।

2. चौथी और पांचवी योजनाओं के दौरान इसका और विकास करने के लिये अन्य योजनायें भी विचाराधीन हैं।

Minister's Visit to European Countries

*134. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri M.L. Dwivedi :
Shri S.C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri M. R. Krishna :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he visited Automatic Telephone and Posts and Telegraphs Offices in Belgium, France and West Germany during his recent tour to foreign countries; and

(b) if so, the useful techniques noticed by him in the aforesaid countries, the implementation of which is considered necessary in India?

Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Saty Narayan Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) In Belgium, I saw the actual working of the Crossbar telephone equipment, which we are going to have in India. In France, I observed the conveyor belt system for carrying parcels and packages at the time of sorting and also the automatic sorting of letters and packets. The question of introducing this system in India is being examined. In Munich, West Germany, I saw a specially designed sorting machine which sorted out letters of different sizes in separate lots before detailed sorting. The Managing Director, Indian Telephone Industries who accompanied me is also examining the possibility of manufacturing the special kind of sorting machines with indigenous materials. I also saw a stamp machine which produces stamps in four colours in sufficiently large numbers. We are examining the question of importing such a machine for producing our stamps.

पाकिस्तान द्वारा भारतीय जल-प्रांगण का इस्तेमाल किया जाना

*135. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स०चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अपनी सेना को पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान ले जाने के लिये भारतीय जल प्रांगण का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दी गई ; और

(ग) क्या भारतीय जल प्रांगण में से गुजरने वाले पाकिस्तानी जहाजों पर कोई निगरानी रखी जाती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तानी युद्धपोतों द्वारा अपनी सेना ले जाने के लिए भारत के जलक्षेत्रों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि किसी भी भारतीय बन्दरगाह में किसी पाकिस्तानी युद्धपोत ने प्रवेश नहीं किया है, न ही कोई पाकिस्तानी युद्धपोत भारतीय जलक्षेत्रों में देखा गया है । अन्तर्राष्ट्रीय जहाज़रानी व्यवहार के अनुसार, पाकिस्तानी व्यापारी जलपोत, भारतीय बन्दरगाहों में रहते जब हमारे जलक्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, उनकी जांच पड़ताल नहीं की जाती । इस व्यवहार का व्युत्क्रमण भी किया जाता है ।

भारत-चीन सीमा विवाद

*136. **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री बासप्पा :**
श्री स०मो० बनर्जी : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री रा० बरुआ :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : **श्री काजरोलकर :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र०चं० बरुआ : **श्री बागड़ी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी मित्र देश ने भारत-चीन सीमा विवाद के निपटारे के बारे में रुचि ली है अथवा राजनयिक स्तर पर बातचीत चलाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रुचि ली गई है और ऐसी बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की अल्जीयर्स में बैठक करने का कोई सुझाव दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) जिस तरह के सुझाव का ज़िक्र किया गया है वैसा हाल ही में सिर्फ एक सुझाव राष्ट्रपति नासिर ने दिया था जिन्होंने गत जून में प्रधान मंत्री से उनके तथा श्री चाउ एन-लाई के बीच एक अनौपचारिक बैठक की संभावना की बात कही थी । परंतु, यह ठीक तरह से समझ में नहीं आया कि इस बात को देखते हुए कि चीन कोलंबो प्रस्तावों को अथवा

लद्दाख में विसैन्यीकृत क्षेत्रों से सभी चौकियां हटाने से संबद्ध इन प्रस्तावों के और आगे के संशोधनों को ही मानने के लिए तैयार नहीं तब फिर बात किस विषय में की जाए।

प्रधान मंत्री को अमरीका की यात्रा करने का निमंत्रण

*137. **श्री प्र०चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बासप्पा :
श्री क०ना०तिवारी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री म०ला० द्विवेदी :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री स०चं०सामन्त :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान मंत्री को इस शरद् ऋतु में अमरीका की यात्रा करने के लिए निमंत्रण भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने उसका क्या उत्तर भेजा है?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) पिछली अप्रैल में, जब संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ने यह सुझाव दिया था कि भारत के प्रधान मंत्री संयुक्त राज्य अमरीका की अपनी यात्रा स्थगित कर दें, उस समय उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि वे सर्दियों के शुरू में अमरीका आएं। हमारे प्रधान मंत्री ने अपने जवाब में लिखा था कि संसद और अन्य दूसरे कामों में व्यस्त रहने के कारण सर्दियों में उनका अमरीका जाना शायद ही सम्भव हो सके। इसके बाद के पत्राचार में अमरीका के राष्ट्रपति ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि प्रधान मंत्री सर्दियों में यात्रा न कर सकेंगे पर साथ ही उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि भविष्य में जब कभी भी उन्हें सुविधा हो वे अमरीका पधारें। आगे चलकर, राजनयिक सूत्रों के ज़रिए कोई ऐसी तारीख़ निश्चित की जाएगी जो दोनों के लिए सुविधाजनक हो।

राजस्थान में एटोमिक रिएक्टर

*138. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री बागड़ी :
श्री बासप्पा :
श्री प्र०चं० बरूआ :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ०ना० विद्यालंकार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में एटोमिक रिएक्टर की स्थापना के बारे में प्रगति संतोषजनक रही है;

(ख) क्या यह मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया है और इसमें अधिकतर भारतीय सामान तथा मशीनें लगी हुई हैं; और

(ग) क्या कोई विदेशी सहायता ली गई है और यदि हां, तो किस सीमा तक और किस देश से?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) शायद माननीय सदस्य राजस्थान में स्थापित होने वाले उस परमाणु बिजलीघर के बारे में जानकारी चाहते हैं जिसका निर्माण कार्य संतोषजनक रूप से जारी है। दूसरे यूनिट को स्थापित करने की मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है बशर्ते कि इसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध हो सके।

(ख) इस बिजलीघर का निर्माण कनाडा के सलाहाकारों की सहायता से भारतीयों द्वारा किया जा रहा है और प्रायोजना को प्रोग्राम के मुताबिक पूरा करने के लिये जहां तक हो सकेगा अधिकतर भारतीय सामान तथा मशीनों को प्रयोग किया जायेगा।

(ग) जी हां, । कनाडा से प्राप्त 3 करोड़ 70 लाख कनाडियन डालर के कर्ज में से जून 1965 के अन्त तक 1,106,143.66 कनाडियन डालर व्यय किये जा चुके हैं।

इंडोनेशिया का संयुक्त राष्ट्र-संघ से अलग होना

*139. **श्री दी०चं० शर्मा:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडोनेशिया से संयुक्त राष्ट्र संघ छोड़ने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की सरकार की अपील के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सरकार इस बारे में अभी भी कुछ प्रयत्न कर रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) इंडोनेशिया सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग होने का जो निर्णय किया था उस पर हमने उसे जो पत्र लिखा था उसका कोई जवाब नहीं आया है ।

(ख) जी नहीं ।

निर्वाह-खर्च सूचक अंक

*141. **श्री दीनेश भट्टाचार्य:**
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने गलत तरीके से निर्वाह-खर्च सूचक अंक निकालने के बारे में जांच करने के लिए तुरन्त विशेषज्ञ समितियों का गठन करने के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) केवल पश्चिमी बंगाल की सरकार ने ही कलकत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों राज्य सरकारों द्वारा संकलित दोनो पुराने आधार (1939-100) और (1944-100) तथा श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा संकलित नया आधार (1960-100) के तथा कथित त्रुटिपूर्ण संकलन की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का सुझाव दिया है।

(ख) पश्चिमी बंगाल की सरकार को यह सूचित किया गया है कि जहां तक कलकत्ता के पुराने सूचकांक का सम्बन्ध है, विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का कार्य उन्हीं का है। जहांतक कलकत्ता सूचकांक (आधार 1960-100) की नयी सीरीज़ का प्रश्न है, राज्य सरकार को यह बताया गया है कि संकलन की प्रणाली टेकनिकल सलाहकार समिति की सिफ़ारिशों और अन्तर्राष्ट्रीय रीति पर आधारित है, जिसकी इस समय जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

दहाग्राम में हिन्दुओं को तंग करना

*142. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी पुलिस कर्मचारी भारतीय राज्य-क्षेत्र के अन्दर दहा ग्राम की समावृत्त वस्ती में घुस आए थे और वे हिन्दू निवासियों को लगातार यंत्रणा देते हुए तथा तंग करते हुए पाये गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसके विरुद्ध संघ सरकार ने कड़ा विरोध प्रकट किया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पाकिस्तानी पुलिस द्वारा दी गई इन यंत्रणाओं को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां। दहाग्राम भारत में पाकिस्तानी वस्तियों में से एक है। अप्रैल 1965 के अंत में पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसी ख़बरें मिली थीं कि दहा ग्राम की पुलिस पाकिस्तान की इस वस्ती में रहने वाले हिंदुओं को सताती रही है।

(ख) जब यह महसूस किया गया कि राज्य स्तर के संपर्कों से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो 22 मई 1965 को भारत सरकार ने पाकिस्तान के नई दिल्ली-स्थित हाई कमिशनर से विरोध प्रकट किया।

(ग) पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

(घ) संबद्ध स्थानीय प्राधिकारियों ने अल्प-संख्यकों पर अत्याचार करने की इस तरह की वारदातों के ख़िलाफ़ अनेक वार पाकिस्तान के अपने समकक्ष प्राधिकारियों से विरोध प्रकट किया है। चूंकि दहा ग्राम इस समय एक पाकिस्तानी वस्ती है, इसलिए दहाग्राम के अल्प संख्यक हिंदुओं के प्रति भी वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है जैसा कि पूर्व पाकिस्तान के अल्प संख्यकों के साथ आम तौर से दुर्व्यवहार किया जाता है।

मिग विमान परियोजना

*143. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र०चं० बरूआ :
श्री दी०चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म०ला०द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स०चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दे०द० पुरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री मा०ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री रा० बरूआ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के सहयोग से मिग विमान परियोजना को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या परियोजना को पूरा करने के लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें निर्माण कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ०म० थामस) : (क) असैनिक कार्यों के निर्माण का कार्यक्रम सन्तोषजनक प्रगति से चल रहा है। तकनीकियों का प्रशिक्षण, विस्तृत उत्पादन योजनाओं (प्रायोजना कार्यों की रिपोर्ट) की तैयारी तथा लेखबन्धों का अनुवाद इत्यादि सोवियत विशेषज्ञों के सहायता के साथ इस समय प्रगतीशील है।

(ख) तथा (ग) : जी हां। प्रावस्थित कार्यक्रम में शामिल है चार प्रावस्थाओं में मिग फैक्ट्री में विमानों का उत्पादन। अर्थात वृहत् संयोजनो से, उपसंयोजनो से, विस्तृत अंशो से तथा खाम पदार्थों से। इसमें तकनीकियों का प्रशिक्षण। असैनिक कार्यों की विभिन्न प्रावस्थाओं सम्पूर्ति तथा उत्पादन की विभिन्न प्रावस्थाओं से संबंधित संयंत्र और मशीनों, संयोजन और घटक इत्यादि के वितरण भी अन्तग्रस्त हैं।

(घ) पहली प्रवस्था का आरंभ आगामी वर्ष के आरंभ में प्रत्याशित है। और अन्तिम प्रवस्था के अन्तर्गत विमान उत्पादन पंक्ति से लगभग 4 वर्षों मे बाहर आने शुरू हो जाएंगें।

ब्रिटेन में आप्रवासियों का प्रवेश

*144. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी०चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री स०मो०बनर्जी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र०चं० बरुआ :
श्री प्र०रं चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरूआ
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री श०ना० चतुर्वेदी :
श्री राम हरख यादव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार राष्ट्रमण्डलीय देशों से आने वाले व्यक्तियों के ब्रिटेन में प्रवेश पर रोक लगाने के लिये कोई नया विधान बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है कि इस देश के राष्ट्रजनों के साथ प्रस्तावित विधान के अधीन कोई भेदभाव न बरता जाये ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) यूनाइटेड किंगडम सरकार ने 2 अगस्त 1965 को जो नए उपाय शुरू किए हैं उनके कारण राष्ट्रमंडल देशों से आप्रवासियों को ब्रिटेन में प्रवेश और कम हो गया है। ब्रिटेन की सरकार ने यह घोषणा भी की है कि आप्रवास कानूनों की उपेक्षा न होने पावे इसके लिए और कानून बनाया जाएगा।

(ख) जी हां। यूनाइटेड किंगडम की सरकार को भारत सरकार के विचारों से अवगत करा दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक रेडियो सेट

*145. **श्री स०चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म०ला० द्विवदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 8 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 810 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में बेकार पड़े 40 प्रतिशत सार्वजनिक रेडियो सेटों को चालू रखने तथा उनकी मरम्मत कराने के लिये क्या उपाय किये गये है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : राज्यों की रिपोर्टों से पता चलता है कि बहुत से राज्यों में पंचायती सेटों की देख रेख का प्रबन्ध नाकाफ़ी है। इस प्रबन्ध को बढ़ाने में बड़ी बाधा रुपये की कमी रही है।

2. मई, 1965 में राज्यों के सूचना निदेशकों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें केन्द्र से फिर यह निवेदन किया गया था कि वह उक्त काम के लिए आर्थिक सहायता दे, क्योंकि जिन्हें ये सेट दिये गये हैं वे इनके पुर्जे और बैटरियां बदलने का खर्च नहीं उठा सकते। इसके बाद जून, 1965 में योजना आयोग ने एक बैठक में इस विषय पर विस्तार पूर्वक विचार किया : किन्तु बात चीत में यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार की सहायता से कोई खास लाभ नहीं होगा। मुख्य समस्या राज्यों में एक ऐसा संगठन कायम करने की है जो सेटों की अच्छी तरह देख भाल करे। कुछ राज्य सरकारों ने इस काम के लिए पहले ही अच्छे संगठन कायम कर लिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अन्य राज्यों के साथ बात चीत कर रहा है कि किस प्रकार उनके यहां भी अच्छे संगठन कायम किए जा सकते हैं।

भारत तथा पाकिस्तान के गृह मंत्रियों का सम्मेलन

*146. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के गृह मंत्रियों के सम्मेलन को, जो महीनों पहले स्थगित कर दिया गया था, पुनः बुलाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो दोनों देशों के गृह मंत्रियों के बीच दुबारा बातचीत के विरोध में पाकिस्तान द्वारा क्या कारण पेश किये गये है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) पाकिस्तान की प्रार्थना पर आखिरी समय यह सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इसका आयोजन करने की कोई बात नहीं चली है।

कारगिल चौकियों का खाली किया जाना

*147. **श्री प्र० चं० बरूआ**
श्री हेमराज :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गुलशन :
श्री प०ह० भील :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री श०ना० चतुर्वेदी :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री अ०ना० विद्यालंकार :

श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी०चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम सेवक :
श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सीमा संचार साधनों की सुरक्षा के लिये कारगिल क्षेत्र में (भारतीय) चौकियों की देख-भाल के बारे में जून 1965 के मध्य में अमरीका तथा भारत के बीच कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब भारत इन चौकियों को खाली करने के लियें सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में तथा उक्त संचार साधनों की सुरक्षा के किन आश्वासनों पर भारत ऐसा करने के लिये सहमत हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) वाशिंग्टन स्थित हमारे राजदूत जब अमरीकी विदेश विभाग के पदाधिकारियों से किसी और सिलसिले में मिलने गए थे तब उन पदाधिकारियों ने इस मामले का भी सरसरी तौर पर ज़िक्र किया था ।

(ख) और (ग) : रक्षा मंत्री 16 अगस्त 1965 को सदन के सम्मुख अपने वक्तव्य में इस स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर चुके है ।

अफ्रीकी-एशियाई देशों की परमाणु अस्त्रों से सुरक्षा

*148. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री श्री नारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 22 फरवरी 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा तथा शांति के लिये इस विषय के महत्व को देखते हुए परमाणु अस्त्रों से सुरक्षा की संयुक्त गारंटी सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में एशिया तथा अफ्रीका के अन्य देशों की सरकारों से, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, बातचीत की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या 72 का उत्तर देते समय पहले ही बताया जा चुका है, प्रधान मंत्री ने केवल सामान्य रूप से इस समस्या को उठाया था और इस बात पर विचार करना मुख्यता प्रमुख आणविक शक्ति वाले राज्यों का ही काम है कि आणविक अस्त्र विहिन राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए । यह सभी राज्यों के लिए चिंता का विषय है और इसपर संयुक्त राष्ट्र में तथा 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में

विचार करना सबसे अच्छा होगा। इन परिस्थितियों में, एशिया और अफ्रीका के आणविक अस्त्र विहीन राज्यों से कोई ख़ास बातचीत करना आवश्यक नहीं समझा गया।

जकर्ता स्थित भारतीय राजदूत

*149. **श्री प्र०चं० बरुआ :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री राम हरख यादव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 जुलाई, 1965 को सुरेकती के केंद्रीय जावा नगर में मलेशिया सम्बन्धी भारत की नीति के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाली एक उपद्रवी भीड़ ने जकर्ता स्थित भारतीय राजदूत को घेर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के सम्बन्ध में इंडोनेशिया की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस घटना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) इंडोनेशिया में भारत के राजदूत जिस समय जावा का दौरा कर रहे थें उस समय उन्हें भारतीय राष्ट्रिकों से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से सूरेकती आने का निमंत्रण दिया गया था। जब वे अपने मेजबान के घर पहुंचे तो मलयेशिया संबंधी भारत की नीति के ख़िलाफ़ विरोध प्रकट करने के लिए प्रदर्शनकारियों का एक दल वहां आ गया। हमारे राजदूत ने मलयेशिया संबंधी भारत की नीति उन्हें समझाई परंतु भीड़ भड़क उठी और उसने आक्रमक रवैया अख्तियार कर लिया। स्थानीय पुलिस की सलाह पर राजदूत सुरेकती से चले आए।

(ख) और (ग) : भारतीय राजदूत ने इस मामले को इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री के सामने रखा है। इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

टेलीविजन सेवा का विकास

414. **श्री राम हरक यादव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीविजन सेवा के विकास के बारे में आकाशवाणी को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है; और

(ख) यदि हां; तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और यह क्या कार्य करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) : विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है जो सरकार को नीचे लिखी बातों के बारे में सलाह देगी :—

(1) टेलीविज़न के विकास के टेकनीकी पहलू पर, और

(2) उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को टेलिविज़न व्यवस्था चलाने के लिये नये तरीकों और विधियों पर।

समिति के सदस्य ये होंगे :—

1.	डा० एस० भगवन्तम्, वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा मंत्रालय, **नई दिल्ली**	अध्यक्ष
2.	श्री बी० वी० बालिगा, प्रबन्ध संचालक, भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, जलहल्ली पो० ओ० **बंगलोर**—13।	सदस्य
3.	डा० एच० रक्षित, एलेक्ट्रोनिक्स एंड एलेक्ट्रीकल कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ़ टेकनोलाजी, **खड़गपुर**।	सदस्य
4.	डा० ए० एस० राव, निर्देशक, एलेक्ट्रोनिक्स ग्रुप, परमाणु शक्ति संस्थान, ट्राम्ब, चैम्बूर. पो० ओ० **बम्बई**।	सदस्य
5.	डा० अमरजीत सिंह, निदेशक, सेंट्रल एलेक्ट्रोनिक्स, इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, **पिलानी**।	सदस्य
6.	श्री पी० एन० देवभक्त, विकास अधिकारी (लाइट एलेक्ट्रीकल), टेकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग और संभरण मंत्रालय, **नई दिल्ली**।	सदस्य
7.	श्री चमन लाल, बेतार सलाहकार, संचार विभाग, भारत सरकार, **नई दिल्ली**	सदस्य
8.	श्री एस० एस० अय्यर, मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी, **नई दिल्ली**	सदस्य—संयोजक

केरल विद्युत बोर्ड

415. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल विद्युत् बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को 1958 में इस बोर्ड तथा इस बोर्ड के कर्मचारियों के बीच हुए समझौते की जानकारी है ;

(ग) क्या बोर्ड ने इस समझौते का पालन किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सच है कि कर्मचारियों ने 1964 में बोर्ड को अपनी मांगें पेश की थीं; और

(च) यदि हां। तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) लगभग 10,000.

(ख) बोर्ड और इस के कर्मचारियों के बीच 1958 में कोई समझौता नहीं हुआ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कार्यालय कर्मचारियों ने, जिनका प्रतिनिधित्व केरल राज्य विद्युत् बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने किया है, दिसम्बर, 1964 में अपना मांग-पत्र पेश किया।

(च) ये मामले केरल हाई कोर्ट के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश के पास पंच-फैसले के लिए भेज दिए गये हैं।

केरल में मलेरिया उन्मूलन कर्मचारियों द्वारा सत्याग्रह

416. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छंटनी किये गये मलेरिया उन्मूलन कर्मचारियों ने केरल सरकार के सलाहकार के निवास स्थान के बाहर सत्याग्रह किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या थीं;

(ग) क्या कोई समझौता हुआ; और

(घ) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां।

(ख) मांग यह थी कि छंटनी किए गए 74 कर्मचारियों को वैकल्पिक रोज़गार दिये जाने चाहिये।

(ग) और (घ) सत्याग्रह केरल सरकार के इस आश्वासन पर समाप्त कर दिया गया था कि छंटनी किये गये कर्मचारियों को भावी रिक्त स्थानों पर नियुक्त करने के लिए पूरे प्रयत्न किये जायेंगे।

केरल में काजू फैक्टरियां

417. **श्री अ०क० गोपालन** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कितनी काजू फैक्टरियां हैं;

(ख) इस उद्योग में कितने लोग काम कर रहे हैं;

(ग) क्या काजू फैक्टरियां वर्ष में कुछ समय के लिये ही काम करती हैं;

(घ) क्या श्रमिकों को प्रतिदिन काम मिल रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन श्रमिकों को प्रति दिन काम दिये जाने के बारे में कोई योजना बनाई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 225।

(ख) 95,423।

(ग) से (ङ) जी हां।

केरल में "प्रौन" कारखाने

418. **श्री अ०क० गोपालन** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में प्रौन कारखानों की संख्या क्या है और उनमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस उद्योग में न्यूनतम मजूरी तथा महंगाई भत्ता दिये जाने की व्यवस्था है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को कारखाना अधिनियम से उपन्यासों के पालन न दिये जाने के बारे में किफायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाहि की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) क्रमश: 16 और 1298।

(ख) और (ग) : न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, जोकि इस समय केरल राज्य में लागू है, प्रौन कारखानों का रोज़गार अनुसूचित रोज़गार नहीं है, इसलिये मजूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां । 7 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) एक मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण, अलेप्पी के पास है। अन्य शिकायतों की जांच केरल सरकार द्वारा की जा रही है।

त्रिवेन्द्रम में लोक निर्माण-कार्य विभाग की इंजीनियरिंग वर्कशाप

419. **श्री अ०क० गोपालन :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में लोक निर्माण कार्य विभाग की इंजीनियरिंग वर्कशाप में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं;

(ख) वर्कशाप के स्टाफ में कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सरकार को श्रमिकों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो श्रमिकों ने क्या मांगे प्रस्तुत की हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 85 ।

(ख) 64 (इनमें से, केरल सरकार ने किफायत के उद्देश्य से 17 की छंटनी के आदेश दिये हैं) ।

(ग) जी हां, केरल सरकार को मजदूर यूनियनों से अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) मुख्य मांगों की एक सूचि संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 4587/65]**

(ङ) ज्ञापन में निर्दिष्ट अनेक मांगें केरल सरकार के विचाराधीन हैं ।

सेना में भर्ती के लिये आयु सम्बन्धी नये नियम

420. **श्री राम हरख यादव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना में मैट्रिक पास तथा शिक्षित व्यक्तियों की भर्ती के लिये आयु सम्बन्धी नये नियम लागू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) भर्ती के लिये नई सीमाएं उस दस्तकारी और वर्ग के अनुसार निर्धारित की जाती है, जिसके लिए किसी व्यक्ति को भर्ती किया जाता है । इस उद्देश्य से सेना की विभिन्न दस्तकारियों और वर्गों को चार विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है । इन समूहों के लिए भर्ती की आयु सीमायें इस प्रकार हैं :—

समूह 1 और 2	17 से 21 वर्ष
समूह 3	17 से 24 वर्ष
समूह 4	17 से 27 वर्ष

बर्लिन में फिल्म समारोह

421. **श्री राम हरख यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में बर्लिन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में कितनी भारतीय फ़िल्में दिखाई गयीं तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रतियोगिता का क्या परिणाम रहा और इन फ़िल्मों तथा अभिनेताओं को सामान्य रूप से क्या सफलता मिली ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 26 जुन, 1965 से 6 जुलाई, 1965 तक हुए बर्लिन अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में सरकारी तौर से नीचे लिखी दो फीचर फ़िल्में भेजी गई थीं :–

(1) आर० डी० बी० एण्ड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा निर्मित, चारुलता (बंगला) ।

(2) मैसर्स आइवरी मर्चेंट प्रोडक्शन्स, बंबई, द्वारा निर्मित, शेक्सपीयरवाला (अंग्रेजी) ।

(ख) : "चारुलता" फ़िल्म को बर्लिन समारोह में सर्वोत्तम फ़िल्म होने के लिए कैथोलिक जूरी पुरस्कार मिला । श्री सत्यजित राय को इसी फ़िल्म के लिये, समारोहका "सर्वोत्तम निदेशक पुरस्कार" मिला । श्रीमती जाफ़री को "शेक्सपीयरवाला" फ़िल्म में उनके अभिनय के लिये सर्वोत्तम अभिनेत्री पुरस्कार मिला ।

चलते-फिरते डाकघर

422. **श्री राम हरख यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कितने चलते-फिरते डाकघर हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और अधिक डाकघर चालू करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो वे किन क्षेत्रों में काम करेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) दो ।

(ख) जी हां ।

(ग) तीसरे चलते-फिरते डाकघर को मंजूरी दे दी गई है । चलते-फिरते डाकघर यान का निर्माण हो रहा है और अक्तूबर, 1965 तक उसके चालू हो जाने की संभावना है। उक्त चलते-फिरते डाकघर के कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी इस चलते फिरते डाकघर द्वारा निम्न-लिखित स्थानों/क्षेत्रों में सेवा प्रदान की जाने की संभावना है ।

(1) सुन्दर नगर
(2) फ्रेन्ड्स कोलोनी
(3) शान नगर
(4) शंकर मार्केट
(5) सेन्ट्रल डेरी मिल्क कोलोनी
(6) रेलवे कोलोनी
(7) घौला कुआं
(8) भैरौं मंदिर लेबर कैंम्प
(9) साउथ मोतीबाग मार्केट

मनीऑर्डर तथा अन्य डाक फार्मों का मूल्य

423. **श्री हेमराज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीआर्डर फार्म का मूल्य लेने से डाक विभाग को सारे देश में प्रत्येक सर्कल में कितनी आय हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य फार्मों के लिए भी मूल्य लेने का है ; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन-कौन से फार्म हैं और प्रत्येक का कितना मूल्य रखा जायेगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) कोई अतिरिक्त आय नहीं हुई है क्योंकि मनीआर्डर बूक करने के समय मनीआर्डर फार्म के बिक्री मूल्य को कमीशन से काट दिया जाता है । फिर भी, 1, मार्च, 1964 से 15 जूलाई, 1965 तक वसूल किये गए अग्रिम कमीशन की रकम 35,26,638 रु० 61 पैसे थी, इसका परिमंडलानुसार विवरण अनूबन्ध मै दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4581/65] ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तानी सेनाद्वारा काश्मीर में अमरीकी हथियारों का प्रयोग

425. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 29 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 638 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना द्वारा काश्मीर में अमरीकी हथियारों के प्रयोग के बारेमें अमरीका के साथ बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : अमरीकी सरकार ने वाशिंगटन-स्थित हमारे राजदूतावास को सूचित किया है कि पिछले वर्ष युद्ध-विराम रेखा पर टिठवाल और उरी क्षेत्रों में अमरीका के बने जो तीन हथियार पकड़े गए थे वे अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी गई सैनिक सहायता में शामिल नहीं हैं।

भारत में अरब लीग मिशन

426. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी०चं० शर्मा :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र०के० देव :
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रा० वरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री वसुमतारी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब राज्य लीग को राजनयिक दर्जा प्रदान करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत में अरब लीग का स्वतंत्र कार्यालय स्थापित करने और इस देश में अरब लीग के प्रतिनिधि को कतिपय उन्मूक्तियां और विशेषाधिकार देने के बारे में 12 जुलाई 1965 को अरब लीग के महासचिव से पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था। ये उन्मूक्तियां और विशेषाधिकार वैसे ही होंगे जैसे संयुक्त राष्ट्र और उसकी संश्रित एजेंसियों जैसी अंतर-र्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रदान की जाती हैं।

भारत में बने विमानों की परीक्षण उड़ानें

427. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री दी०चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, बंगलौर में बने सुपरसानिक जेट विमान एच० एफ० 24 मेक 1 और एच० जे० टी०–16, की, जो प्रशिक्षण देने के मूल जेट विमान (किरन) हैं ; परीक्षण उड़ानें की जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ०म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) परीक्षण उड़ानों के परिणाम सन्तोषप्रद रहे हैं

कपड़ा उद्योग मजूरी बोर्ड

428. **श्री स०मो० बनर्जी :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग मजूरी बोर्ड ने अपना काम आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने मंजूरी बोर्ड को एक अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने मजदूरी बोर्ड को विशिष्ट रूप से अन्तरिम रिपोर्ट देने के लिए नहीं कहा है।परन्तु बोर्ड में कामगार प्रतिनिधियों ने अन्तरिम सहायता की मंजूरी के लिए प्रश्न उठाया है और इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

प्रतिरक्षा संस्थानों में वार्ता-व्यवस्था

429. **श्री स०मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा संस्थानों में वार्ता व्यवस्था काम करने लगी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में शीघ्र अन्तिम निश्चय करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी अभी नहीं।

(ख) तथा (ग) मामला केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त मन्त्रणा मशीनरी स्थापित करने की योजना के साथ संबद्ध है और सरकार के विचाराधीन है। उच्च अधिकारी स्तर पर तथा रक्षा कर्मचारी संघ के साथ स्थगित समस्याओं को सुलझाने के लिए भी बातचीत अकसर होती रहती है।

पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमांकन

430. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री प्र०चं० बरूआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल सीमा के उन भागों की सीमा निर्धारण का काम पूरा करने के लिये, जिनकी अभी सीमा निर्धारित की जानी है, मई 1965 में भारत-पाक सर्वेक्षण अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था :

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अगली बैठक ढाका में जुलाई 1965 में हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सीमा अंकित करने से संबद्ध विभिन्न तकनीकी मामलों पर विचार-विमर्श हुआ था और बहुतसी मदों पर निर्णय किए गए थे।

(घ) कई तकनीकी मामलों पर फैसला किया गया था, जैसे—धज्जीदार नक्शों (सिट्रप मैप्स) की संयुक्त जांच, 4″ वाले रेखा-मानचित्र को अंतिम रूप देना आदि।

समारोह निदेशालय

431. **श्री मरण्डी :** **श्री स०चं० सामन्त :**

श्री उटिया : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 29 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 632 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्थायी समारोह निदेशालय स्थापित करने के प्रश्न को अन्तिम रूप दे दिया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं, और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (ग) साधनों की वर्तमान कठिनाई के कारण स्थायी समारोह निदेशालय स्थापित करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की जीवन हानि तथा अंग हानि के लिये प्रतिकर

432. **श्री प्र०चं० बरूआ :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की जीवन हानि तथा अंग हानि के लिये प्रतिकर देने के विषय में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के समान ऐसी जोखिमों के विरूद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिये कोई नियम बनाए गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग कों जीवन और अंगों की हानि का मुआवज़ा देने के लिए, वर्कमेन्ज़ कम्पेन्सेशन अधिनियम की परम्परा के अनुसार, कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेन्शनी पंचाट (अर्थात् नियोग्यता पेन्शन, निर्बलता पेन्शन/उपदान, विशेष कुटुम्ब पेन्शनी पंचाट तथा साधारण कुटुम्ब पेन्शनी पंचाट) इन सेविवर्ग के निधन अथवा सेवा से निबलित होने की दशाओं में, निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत तथा दरों पर देय हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपड़ा बनाने के कारखाने

433. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के कपड़ा बनाने वाले कारखानों में क्षमता बेकार पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कपड़ा बनाने वाले इन कारखानों से अन्य सरकारी विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ०म० थामस) : (क) जी अभी नहीं, परन्तु कुछ समय पश्चात होगी।

(ख) आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्रियों की क्षमता का पूर्णतया प्रयोग करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, तथा राजकीय क्षेत्रों के उपक्रमों से वस्त्र तैयार करने के आर्डर मांगनें के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय दूतावासों/मिशनों में कर्मचारियों की कमी

434. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे कुछ दूतावास/मिशन बराबर यह मांग करते रहे हैं कि कर्मचारियों की कमी के कारण काम में कठिनाई हो रही है और इसलिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये ; और

(ख) कितने दूतावासों ने ऐसी मांग रखी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) कुल मिलाकर 29 मिशनों ने अतिरिक्त पदों के लिए प्रार्थना की है। इनमें से 15 पदों का संबंध विदेश मंत्रालय से, जिनमें विदेश प्रचार के लिए दो पद भी शामिल है, और 17 का संबंध वाणिज्य मंत्रालय से है। इन प्रार्थनाओं पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय कठिनाइयों और खासकर विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत की बजह से उन सभी पदों को बनाने पर आसानी से सहमत हो जाना कठिन है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को रोज़गार देना

435. **श्री सुबोध हंसदा** :
डा० पू०ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म०ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 में काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के बारे में कोई अध्ययन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या उक्त अवधि में काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से विज्ञापित किये गये सभी रक्षित पदों को भर लिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां।

(ख) यह अध्ययन मुख्य रूप से रोजगार कार्यालयों में जुलाई, 1962 से जून, 1963 के दौरान परिगणित जाति और परिगणित कबीलों के उम्मीदवारों को काम दिलाते हुए प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। इस अध्ययन द्वारा मालूम की मुख्य बातें हैं :—

(1) नाम लिखाने वालों की कुल संख्या में से 12.7 प्रतिशत परिगणित जाति के उम्मीदवारों और 14.4 प्रतिशत परिगणित कबीलों के उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालयों की सहायता से काम मिला जब कि अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से सम्बन्धित यह संख्या 12 प्रतिशत रही।

(2) रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने वाले इन श्रेणियों के उम्मीदवारों में से बहुत बड़ी संख्या ऐसे उम्मीदवारों की थी जिनकी शिक्षा बहुत थोड़ी थी। इनमें से मैट्रिक या इससे ऊंची परीक्षा पास करने वाले अधिकांश उम्मीदवारों का शैक्षणिक रिकार्ड (अभिलेख) अच्छा नहीं था।

(3) इन उम्मीदवारों में से अधिकांश ने अपना नाम अकुशल कर्मचारियों की जगहों के लिए लिखाया था। इसके मुकाबिले में बहुत थोड़े लोग ऐसे थे जो कुशल दस्तकार की हैसियत से काम खोज रहें थे।

(4) परिगणित जाति और परिगणित कबीले के उम्मीदवारों में से बहुत थोड़े उम्मीदवारों ने मंजूरशुदा तकनीकी संस्थाओं से प्रशिक्षण पाया था।

(5) अपने मूल निवासस्थान को छोड़ कर अन्यत्र जाने की क्षमता इनमें कम थी।

(6) केन्द्रीय सरकार के अधीन इस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रिक्त स्थानों में से जो स्थान, इन वर्गों के योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण खुली भर्ती के लिए छोड़ दिए गये थे, उनमें अधिकांश स्थानों के लिए व्यावसायिक और दस्तकारी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार चाहिए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) सुरक्षित सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की जा सकी। इसके कई कारण थे जैसे उम्मीदवारों का अपने मूल स्थान को छोड़ अन्य स्थान पर काम अस्वीकार करना अथवा पद विशेष के लिए निश्चित न्यूनतम् योग्यताओं का न होना आदि। इसके अलावा व्यावसायिक और तकनीकी पदों पर काम करने के लिए उचित स्तर का प्रशिक्षण पाये लोगों की कमी भी थी।

इंडोनेशिया-मलयेशिया विवाद

436. **श्री दी० चं० शर्मा :** [**श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या भारत ने इण्डोनेशिया और मलयेशिया के विवाद को सुलझाने के लिये मध्यस्थता का कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत को ब्रिटेन और अमरीका से मिलने वाले हथियार

437. **श्री दी०चं० शर्मा :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री रा० बरूआ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ कच्छ विवाद के कारण भारत को ब्रिटेन और अमरीका से मिलने वाले हथियारों पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कच्छ में स्थिति का यू० एस०/ यू० के० सैनिक सहायता कार्यक्रम के अधीन मदों की सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका से एफ-105 विमान

438. **श्री दी०चं० शर्मा :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री रा० बरूआ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारत को एफ-105 विमानों को देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) यू० एस० ए० की रिपब्लिक एविएशन कार्पोरेशन द्वारा निर्मित एफ-105 एक ही याचिका सीट का लड़ाकू अतिस्वन बम्बर है जो यू० एस० ए० की वायु सेना की सेवा में है। भारत सरकार ने यू० एस० सरकार से उन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं की है।

विद्रोही नागा

439. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि मई, 1965 के मध्य में विद्रोही नागाओं ने एक गुप्त अधिवेशन आयोजित किया;

(ख) क्या यह सम्मेलन उस समय हुआ जबकि भारत की पूर्वी सीमाओं पर पाकिस्तानी सेनाओं का भारी जमाव था ; और

(ग) क्या विद्रोही नागा पाकिस्तानी सैनिकों से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अखबारों में ऐसी खबरें छपी थीं कि मई 1965 में नागा राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी जो कि छिपे नागाओं का राजनीतिक संगठन है। यह बैठक 22 मई

को हुई थीं। इसका अधिवेशन गुप्त नहीं था क्योंकि यह जनता के लिए खुला था। परंतु, प्रेस प्रतिनिधियों को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी।

(ख) अप्रैल 1965 में कच्छ के रन में कंजरकोट की घटना के बाद से भारत-पाकिस्तान की समूची सीमा पर बहुत-सी जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों का भारी जमाव था। परंतु, नागा राष्ट्रीय परिषद की बैठक का पाकिस्तानी सैनिकों के जमाव से कोई सीधा संबंध प्रतीत नहीं होता।

(ग) छिपे नागाओं का पाकिस्तान के साथ संबंध है और वे पाकिस्तान सरकार से सैनिक प्रशिक्षण और अस्त्र-शस्त्र लेते रहे हैं।

श्रीलंका के एक परिवार का देश से निकाला जाना

440. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों से नई दिल्ली में रहते आ रहे तथा जन सेवा का कार्य करते आ रहे श्रीलंका के एक परिवार को तुरन्त भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) श्री और श्रीमती नदराजा और उनके बच्चे, जो श्रीलंका के राष्ट्रिक हैं, 1962 में भारत आए थे और ज्यादातर दिल्ली में ही रहे थे। चूंकि उनकी गतिविधियां अवांछनीय समझी गईं, इस कारण भारत में ठहरने की अवधि बढ़ाने की उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई थी और उनसे भारत छोड़ देने के लिए कहा गया था। चूंकि उन्होंने इस आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिए 7 जुलाई 1965 को उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया गया।

Sheikh Abdullah's Detention

441. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistan Government have sent a protest note against India to the U.N.O. on Sheikh Abdullah's detention ; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The restrictions imposed on Sheikh Abdullah being purely an internal matter, Government do not consider that Pakistan has any *locus standi* in it.

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन केन्द्र

442. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1965 तक उत्तर प्रदेश में कितने टेलीफोन केन्द्र थे ; और

(ख) 1965–66 में कितने टेलीफोन केन्द्र खोले जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 230।

(ख) अतिरिक्त 25।

उत्तर प्रदेश में किराये की इमारतों में डाकघर

443. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय किराये की इमारतों में कितने डाकघर हैं;

(ख) 1964–65 में सरकार ने ऐसे डाकघरों के लिये कुल कितना किराया दिया ; और

(ग) इन डाकघरों के लिये विभागीय इमारतों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 1,315।

(ख) 5,58,677 रुपये।

(ग) हाल ही की तथा आगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार जमीन प्राप्त करने के कदम उठा रही है। जहां कहीं ज़मीन उपलब्ध है इमारतों को जल्दी ही बनाने की कार्रवाई की जाती है।

कोयला खान श्रमिकों के लिये मकान

444. **श्री प्र०रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र०चं० बरुआ :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान श्रमिकों को अपने मकान बनाने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए एक योजना स्वीकार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और श्रमिकों को ऋण कम शर्तों पर दिया जायेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना से केवल वे श्रमिक लाभ उठा सकते हैं जो किसी कोयला खान में लगातार 19 वर्ष पूरे कर चुके हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग) 1962 में सरकार ने एक योजना मंजूर की, जिसका नाम है—कोयला-खान मज़दूरों के लिए अपने निवास-गृह स्वयं बनाइये योजना।" इस योजना में 325 रु० तक के अनुदान की व्यवस्था की गई है। यह अनुदान कोयला खान श्रमिक आवास बोर्ड द्वारा दी जायेगी। इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि यह सहायता जहां तक हो सके साज-सामान के रूप में ही दी जाये। वे मज़दूर जो निकट के गांवों में रहते हैं उन्हें उनके द्वारा अधिकृत जगहों पर मकान बनाने के लिए सहायता मिलेगी। मज़दूर यदि खनिक न भी रहे, तो भी वह मकान का मालिक बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो कोयला खान उद्योग में 10 साल से नौकरी करते आ रहे हैं, वे योजना के अधीन सहायता पाने के हकदार होंगे। फिर भी ऐसे लोगों को इस शर्त से छूट दी जा सकती है जो अप्रत्याशित खान संबंधी परिस्थितियों से बेघर हो जाते हैं। शर्त से छूट देने का अधिकार कोयला खान श्रम आवास बोर्ड को होगा। मज़दूर को केवल एक ही मकान बनाने की अनुमति है।

सरकार ने जनवरी, 1964 में एक अन्य योजना भी मंजूर की है जिसका नाम है—"कोयला खान क्षेत्रों में आवास सहकारी समितियों को कोयला खान श्रम कल्याण फंड द्वारा वित्तीय सहायता देने की योजना। हम योजना के अधीन फंड द्वारा मज़दूरों की पंजीकृत समितियों को उन मज़दूरों के मकान निर्माणार्थ आर्थिक सहायता दी जाती है जिनकी मासिक आमदनी 350 रु से अधिक न हो और जो कोयला खान उद्योग में काम करते हों। यदि मकान फंड की नयी आवास योजना के द्वारा अनुमोदित

रूप-रेखा के अनुसार बने तो उस पर कुल खर्च अधिक से अधिक 4,250 रु० आना चाहिए और यदि सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन दो कमरे वाले मकान के अनुरूप हो तो उस पर कुल खर्च अधिक से अधिक 3,650 रुपये आना चाहिए। 65 प्रतिशत का ऋण (जो सहकारी समिति द्वारा 30 वार्षिक समान किश्तों में चुकाया जाना चाहिए) और निर्धारित कुल खर्च के 25 प्रतिशत की आर्थिक सहायता, या स्वीकृत मूल्य अथवा वास्तविक मूल्य उनमें जो रकम की सबसे कम निकले। फंड द्वारा दी जायगी। शेष 10 प्रतिशत, जो कि मूल्य का मजदूर का अपना हिस्सा है, उसे मजदूर अपने प्रोविडेंट फंड से वापिस न किये जाने वाले कर्जे के रूप में ले सकता है। फंड से सहकारी समितियों को उनके उन सदस्यों के निवास-गृह बनाने के लिए कर्ज दिया जाता है जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (एच) की परिभाषा के अनुसार कोयला खान उद्योग में "नियुक्त" हैं। योजना के अधीन मकानों के अलाटमेंट के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है जो मज़दूरों के कार्य-काल से संबंधित हो।

श्रीलंका में भारतीय

445. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में (1 अगस्त, 1965 तक) ऐसे कितने भारतीयों ने अपनी सम्पत्ति बेची जो श्रीलंका सरकार द्वारा एकाएक कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण अपना धन नहीं ला सके तथा यह रकम कितनी है ; और

(ख) उस राशि को भारत लाने की अनुमति दिलाने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) श्रीलंका के निवासी भारतीयों को अपनी संपत्ति बेचने से जो रक़म मिलती है उसे श्रीलंका सरकार उन्हें उस समय अपने साथ लाने की इजाज़त देती है जबकि वे श्रीलंका से हमेशा के लिए आ रहे हों। एक परिवार अपने साथ अधिक से अधिक 75,000 रूपए ला सकता है। अभी तक किसी भी भारतीय राष्ट्रिक ने हमारे हाई कमीशन से आकर यह नहीं कहा है कि उसे अपनी संपत्ति को बेचकर जो रक़म मिली है श्रीलंका सरकार उसे ले जाने नहीं दे रही।

अनिवासी विदेशियों के मामले में, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, संपत्ति को बेचने से उन्हें जो रक़म मिलती है उसे उन्हें अपने देश ले जाने की इजाज़त नहीं है। यह रक़म श्रीलंका की मान्यता प्राप्त सिक्यूरिटियों में लगाई जा सकती है और इससे जो लाभांश/लाभ मिले वह स्वदेश ले जाया जा सकता है। परंतु, इस तरह रक़म भेजने पर जुलाई 1964 में प्रतिबंध लगा दिया गया था।

भारत सरकार की जानकारी में केवल एक ही ऐसा मामला आया है जिसमें इस प्रतिबंध से एक भारतीय परिवार पर असर हुआ है। श्रीलंका स्थित हाई कमीशन को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है।

सीमावर्ती सड़कें

446. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री राम हरख यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री० क० ना० तिवारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ, नेफा तथा राजस्थान में सड़कों का निर्माण करने तथा अन्य संचार साधनों का जाल बिछाने के लिये कोई स्पष्ट योजना और कार्यक्रम तैयार किया गया है जो आगामी दो वर्षों में पुरा किया जाना है।

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों तथा अन्य संचार साधनों की अपनी आवश्यकताओं का पुरीक्षण किया गया है। फोरी आवश्यकताएं भी निर्धारित कर ली गई हैं। द्रुत गति से परिणामों की उपलब्धी के लिए आवश्यक पग उठाए गए हैं।

(ख) जी हां, कई क्षेत्रों में कार्य आरंभ हो चुका है। दूसरों में सर्वेक्षण, सिधाई इत्यादि आरंभिक कार्यों का संच्चालन हो रहा है।

(ग) इस प्रावस्था में वित्तीय प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता।

Border Publicity Committee

447. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the Border Publicity Committee was held on the 14th June, 1965 in Nainital ;

(b) if so, the matters discussed thereat; and

(c) the number of members who attended the meeting?

Minister of Information & Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The matters discussed related to publicity in border areas. It would be against public interest to disclose the details of discussion.

(c) Five members of the Committee attended the meeting.

Development Plans for Nagaland

448. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government is bearing the expenditure on development plans in Nagaland ;

(b) if so, the amount proposed to be spent in this behalf during the Third Five Year Plan ; and

(c) the manner in which this amount will be given?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The overall expenditure likely to be incurred on the development plans of Nagaland during the Third Five-Year Plan will be of the order of Rs. 1123·17 lakhs. The expenditure already incurred during 1961-62 to 1963-64 on development plans of Nagaland is as follows:—

1961-62	Rs.	93·61 lakhs
1962-63	Rs.	101·93 lakhs
1963-64	Rs.	127·63 lakhs

The accounts for 1964-65 have not yet been closed. The total expenditure during 1964-65 is however, expected to be nearly Rs. 300 lakhs. A plan allocation of Rs. 500 lakhs during 1965-66 has since been approved by the Planning Commission.

(c) Prior to the formation of the State of Nagaland on 1st December, 1963, the entire expenditure on plan schemes of the Third Five-Year Plan was directly incurred by the Ministry of External Affairs from the grant "Naga Hills Tuensang Area". After 1st December, 1963, the expenditure of the Government of Nagaland on this account is financed by the Government of India through grants-in-aid to cover the revenue expenditure and through loans to cover the capital expenditure.

विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुख

449. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों के कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) अब तक कितने पद खाली पड़े है;

(ग) क्या इन पदों के लिये मनोनीत व्यक्तियों ने ये पद स्वीकार नहीं किये ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (स्वर्ण सिंह) : (क) (1) टोकियो

(2) कोलंबों

(3) तेनेनेरिव

(4) सान्तियागो

(5) वैलिंगटन

(6) कैनबेरा

(7) पेरिस

(8) दारेस्सलाम

(9) लियोपोल्डवील

(ख) (1) पीकिंग

(2) नोम पेन्ह

(3) कोपनहागन

(4) वियना

पीकिंग में इस पद के रिक्त होने के कारण स्पष्ट हैं। नोम पेन्ह और वियना के मिशन प्रमुख मनोनीत कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि वे शीघ्र ही अपने पदों का कार्यभार संभाल लेंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एवरेस्ट के फोटो

450. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के विमान ने एवरेस्ट के फोटो लिये थे;

(ख) यदि हां, तो वे किस ओर से लिये गये थे; और

(ग) ये फोटो भारतीय पर्वतारोहियों के लिये कहां तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) चित्र शिखर के पूर्वी ओर से लिए गए थे।

(ग) यह चित्र और चलचित्र इंडियन न्यूज़रिव्यू की मार्फत संसार के समाचारपत्रों, भारतीय-सिनेमाओं और टेलीवीज़न संस्थाओं के लिए विमुक्त कर दिए गए हैं। इन चित्रों की मांग पूरा करने के अतिरिक्त, आशा है कि वह, अधिक संख्या में देश के जवानों को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

औद्योगिक तथा कृषिक श्रम का सर्वेक्षण

451. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री हुकमचन्द कछवाय :

श्री प्र०चं० बरूआ :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औद्योगिक तथा कृषि श्रम का व्यापक सर्वेक्षण करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ये सर्वेक्षण किये जायेंगे;

(ग) सर्वेक्षण समितिओं में कौन-कौन व्यक्ति होंगे; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विशेष हिदायतें दी गई हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों का उल्लेख किया गया है ; संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4582/65]।**

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के लिए विवरण में जिन सर्वेक्षणों का उल्लेख किया गया है, उन्हें आयोजित करने के लिए सर्वेक्षण समितियां नहीं बनाई गई थीं। ये सर्वेक्षण जो कि तथ्य ज्ञात करने से संबंधित हैं, निदेशक, श्रम ब्यूरों, शिमला द्वारा आयोजित किये जाते हैं। इन सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य रोज़गार, बेरोजगारी, अर्ध रोजगार, मजूरी और आमदनी कार्य और रहने की दशाओं, सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक संबंधों आदि के बारे में सूचना एकत्र करना है, इस संबंध में किसी प्रकार का निर्देश देने का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क

452. **श्री प्र०चं० बरूआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या लागत आई ; और

(ग) इस सड़क के निर्माण में कुल कितने मज़दूर मरे?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सड़क अभी सम्पूर्ण नहीं हुई। काम अभी प्रगतिशील है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि काम अभी प्रगतिशील है।

(ग) निर्माण कार्य में अब तक 393 व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा।

रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ

453. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ को निपटाने के लिये सुरक्षित प्रविधि तथा उपाय निकालने तथा इनका विकास करने के लिये क्या विशेष कदम उठायें गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : ट्राम्बे में पैदा होने वाले समस्त रेडिय-सक्रिय पदार्थों को सुरक्षित तरीके से एकत्र करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, उनका शोधन करने तथा निपटाने का कार्य परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे के अपशिष्ट पदार्थ शोधन प्रभाग को सौंपा गया है।

द्रव अपशिष्ट पदार्थों का उपचार वाष्पीकरण, आयन विनिमय आदि द्वारा किया जाता है। उनके सांद्रण (concentrates) को विशेष तरीके से बनाये गये कंक्रीट लगे स्टेनलेस स्टील के भूमिगत टैंकों में एकत्र किया जाता है। इन टैंकों के साथ सहायक पात्र भी लगाये गये हैं।

ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उपचार उन्हें जलाकर तथा बेलिंग की क्रिया द्वारा किया जाता है। निर्दाहक से प्राप्त सांद्रण और अधिक रेडिय-सक्रियता वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंक्रीट के पात्रों में इकट्ठा करके रखा जाता है।

रेडिय-सक्रिय गैसों को वायुमण्डल में बहुत ऊंची चिमनियों द्वारा फैंकने से पहले उनका उपचार तथा सफाई निरपेक्ष फिल्टरेशन द्वारा की जाती है।

ट्राम्बे में उपचार के ऐसे तरीके अपनाये गये हैं जिनसे कम से कम और सुरक्षित मात्रा में रेडिय-सक्रियता को पर्यावरण में अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुसार छोड़ा जाता है।

वर्तमान तथा भविष्य काल में पैदा होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का उपचार करने तथा उनको इकट्ठा करने के तरीकों में सुधार करने के लिये अनुसंधान तथा विकास कार्य किये जा रहे हैं तथा प्रायोगिक संयंत्रों का अध्ययन किया जा रहा है।

कोयला खान मजदूरों के लिये जूतों की व्यवस्था

454. **श्री किशन पटनायक :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री कपूर सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान मज़दूरों के जुतों की दरें जिनके लिये रूबी इण्डस्ट्रीज, कानपुर को आर्डर दिया गया है, बढ़ाने के लिये किस को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या मध्यस्थ ने लगने वाले सामान की लागत के बारे में विस्तारपूर्वक जांच की थी;

(ग) क्या उसने रिपोर्ट दी थी; और

(घ) क्या रूबी इण्डस्ट्रीज के साथ करार तथा मध्यस्थ के पंचाट की एक-एक प्रति सभापटल पर रखी जायेगी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) खनिकों के जूतों की दरों के प्रश्न पर रूबी इन्डस्ट्रीज तथा संयुक्त क्रय समिति के बीच के विवाद की मध्यस्थता करने के लिये श्री आर०एल०मेहता को नियुक्त किया गया था जो उस समय श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे।

(ख) मध्यस्थ ने दोनों पक्षों द्वारा उसके समक्ष रखे गये समझौते के अनुसार तथा इस बात का स्वयं समाधान करने के पश्चात कि सम्मत दरों में वृद्धि युक्तियुक्त थी और यह वृद्धि निविदा प्रस्तुत करने तथा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बीच की अवधि में कच्चे माल की दरों तथा मजूरी में हुई वृद्धि के अनुसार थी, अपना पंचाट दिया था।

(ग) जी, हां।

(घ) रुबी इन्डस्ट्रीज के साथ हुए करार तथा मध्यस्थ के पंचाट की एक-एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल.टी. 4583/65]

"एनसाइक्लोपेडिया अमेरिकाना"

455. **श्री बागड़ी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "एनसाइक्लोपेडिया अमेरीकना" के 1961 के संस्करण के खण्ड 16 में कच्छ की खाड़ी के बारे में दिये गये एक लेखांश की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है "कि यह बड़े 'एल' ('L') के आकार का एक खारा दलदली प्रदेश है जिसका कुछ भाग दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है परन्तु मुख्य रूप से यह अरब सागर पर कच्छ के उत्तरी तथा पश्चिमी ज़िलों के साथ साथ लगभग 9000 वर्ग मील में फैला हुआ है"; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने वाशिंग्टन-स्थित अपने राजदूतावास को लिखा था कि वह इस मामले की छानबीन करे और इस पर अपनी रिपोर्ट दे। हमारे राजदूतावास ने बताया है कि इस एनसाइक्लोपीडिया के 1965 के संस्करण में यह प्रविष्टि निकाल दी गयी है और उसमें जो नक्शा दिया है उसमें कच्छ के रन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। 1965 के संस्करण में यह भी कहा गया है :

> "गुजरात.....इसकी नानारूप स्थलरूपरेखा में उत्तर में कच्छ के रन का खारा दलदल भी शामिल है....."

भारत स्थित इजराइल का वाणिज्य दूत

456. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई में इज़राइल के वाणिज्य दूत की मई, 1965 में कलकत्ता में कुछ अवांछनीय गतिविधियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इज़राइल के वाणिज्यदूत ने अनेक सभाओं में दिये गये अपने भाषणों में इज़राइल के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोण की निन्दा की और इस सम्बन्ध में भारतीय नीति में आमूल परिवर्तन करने की मांग की; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार इस मामले में जांच-पड़ताल कर रही है ।

(ख) सरकार को यह मालूम है कि इज़राइल के पूर्व कोंसल के कम-से-कम दो अवसरों पर भारत सरकार की नीतियों की आलोचना की थी ।

(ग) सरकार ने समुचित रूप से इज़राइली-कोंसल को यह बता दिया था कि वे इस देश में अपने उचित और वैध कार्यों का अतिक्रमण कर रहे हैं ।

लुधियाना के निकट भारतीय वायु सेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

457. **श्री दे०द० पुरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या 10 जून, 1965 को लुधियाना जिले में खमानोन कलां के निकट भारतीय वायुसेना के दो जेट विमानों की आसमान में हुई टक्कर के कारणों की कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) कोर्ट आफ इन्क्वायरी द्वारा जांच प्रगतिशील है : इस रिपोर्ट का निरीक्षण करने के पश्चात भविष्य में ऐंसी घटनाओं की रोक-थाम के लिए उचित पग उठाए जाएंगें ।

चीन द्वारा तिब्बत तथा सिकियांग से लोगों का हटाया जाना

458. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन तिब्बत तथा सिकियांग से अपने सैनिकों के परिवार हटा रहा है;

(ख) क्या यह भारत पर पुन: आक्रमण करने के चीन के नये खतरनाक इरादे का द्योतक है; और

(ग) यदि हां, तो इस खतरे का सामना करने के लिये क्या कदम उठायें गयें हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार के सामने ऐसी रिपोर्ट आई है, कि चीन अपनी सीमाओं से सैनिक सविवर्ग के कुटुम्बों को निकाल रहा है । जबकि, इस चीनी पग का ठीक ठीक, उद्देश्य स्पष्ट नही है, सरकार हर हालत का सामना करने को, फोरी पग उठाने के लिये, सतर्कता से स्थिति के प्रति सावधान है ।

न्यू जेमाहारी कोयला खान

459. **श्री महम्मद इलियास** :

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को न्यू जेंमाहारी खास कोयला खान में मासिक मजूरी, बोनस, अवकाश वेतन, रेल-किराया न दिये जाने तथा बोनस-कार्डों के जारी न किये जाने के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस समय इस कोयला खान के श्रमिकों को कुल कितनी मजूरी का भुगतान किया जाना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ।

(ख) मई और जून 1964 में कोयला खान बोनस योजना के अतर्गत मैनेजमेंट के खिलाफ बोनस न दिए जाने, बोनस रजिस्टर तैयार न करने, बोनस कार्ड जारी न करने और बोनस विवरण न भेजने के बारे में छः मामले दायर किये गए । इन में दोष प्रमाणित हुए और मैनेजमेंट पर 2,300 रु० जुर्माना किया गया । मासिक मजूरी, अवकाश-मजूरी रेल किराया आदि न दिए जाने के बारे में शिकायत-कर्ता युनियन को सलाह दे दी गई थी कि वह बकाया-राशि की वसूली के लिए मजूरी-अदायगी सम्बन्धी प्राधिकारियों के पास दावे के प्रार्थना-पत्र दे दें ।

मजूरी की अदायगी (खान) नियम, 1956 के अन्तर्गत अनियमितताओं के लिए 1964 से जुलाई 1965 तक मैनेजमेंट के खिलाफ तीन मामले दायर किए गए । इन में से दो मामलों में मैनजमेंट सिद्ध-दोष पाई गई और उसपर 155 रुपये जुर्माना किया गया । तीसरा मामला न्यायालय में निलम्बित है ।

(ग) यह सूचना एकत्र न की जा सकी क्योंकि मैनजमेंट ने अपने रिकार्ड निरीक्षण के लिए पेश नहीं किए । लेकिन श्रमिकों को 19 जून, 1965 से 21 जुलाई, 1965 तक की मजूरी और सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रानीगंज के निर्णय अनुसार 20,790.47रु० की राशि का भुगतान किया जाना बाकी है । इस सम्बन्ध में आगे आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

धनबाद में केन्दवाडीह कोयला खान में दुर्घटना

460. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 10 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1262 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में केन्दवाडीह कोयला खान में काम कर रहे छः खनिकों के डूब जाने के बारे में जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मृतकों के परिवारों को और क्या राहत दी गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां । जांच रिपोर्ट की एक प्रति 16 अगस्त, 1965 को सभा की मेज़ पर रख दी गई थी ।

(ख) मैनेजमेंट के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरु कर दी गई है ।

(ग) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि में से प्रत्येक मृतक के परिवार को 100 रुपये का भुगतान किया गया है । मृतक कामगारों के परिवारो और बच्चों को कोयला खान मज़दूर कल्याण निधि से मासिक भत्ता और शिक्षा भत्ता की मंजूरी के सम्बन्ध में कोयला खान कल्याण आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जा रही है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले दावों की जांच की जा रही है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का प्रश्न

461. **श्री किन्दर लाल** : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : **श्री हरि विष्णु कामत** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि फिलिपीन ने तिब्बत के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र महासभा के बीसवें सत्र की कार्य-सूची में सम्मिलित करने की मांग रखी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां : संयुक्त राष्ट्र महासभा के बीसवें सत्र की अन्तिम कार्य-सूची में इस सवाल को शामिल कर लिया गया है ।

(ख) भारत सरकार की सहानुभूति तिब्बत के लोगों से है और वह ऐसे हरेक प्रस्ताव का समर्थन करेगी जिसमें तिब्बत के लोगों को मानवाधिकार फिर से दिलाने की बात कही गयी हो ।

एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ

462. **श्री अ०व० राघवन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमर्जन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ देने का प्रश्न तय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[सभा पटल पर रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4584/65 ।]**

अल्जीरिया को उपहार

463. **श्री व०बा० गांधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन ने अल्जीरिया को 13,000 टन की क्षमता का एक भारवाहक जहाज और चार लूशिन भारवाहक विमान उपहार के रूप में दिये हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने भी अभी तक अल्जीरिया को कोई उपहार दिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीन लोक गणराज्य ने फरवरी 1965 में 'शुगुआंग' (उषा-किरण) नामक 1·3268 टन का एक मालवाहक जहाज अल्जीरिया सरकार को भेंट किया था । 17 जून 1965 को चीन ने एन्तोनोव 12 किस्म के चार परिवाहन विमान भी अल्जीरिया को दिए थे । ये बिलड़ा सैनिक हवाई अड्डे पर कर्नल बोमेदीन को सौंपे थे ।

(ख) भारत सरकार ने अल्जीरिया को कई उपहार दिए हैं । इनमें शामिल हैं : अल्जीरिया के शरणार्थियों के लिए 50,000 रुपए के मूल्य के तम्बू और 9,800 रुपए के मूल्य की दवाइयां, अल्जीरिया के बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए 10,200 रुपए के मूल्य के कंबल और कपड़ें, अल्जीरिया में बोन बंदरगाह पर हुई दुर्घटना के शिकारों के लिए 20,000 रुपए के मूल्य के कपड़ें, अल्जीरिया में एमशिला के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए 10,000 रुपए के मूल्य के ऊनी कंबल और दवाइयां ।

Manufacture of Missiles

464. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :
Shri A.N. Vidyalankar :

Will the **Minister** of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to manufacture missiles; and

(b) if so, the stage at which the matter stands at present?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes, Sir.

(b) Project reports for the establishment of facilities for the manufacture of a missile have been drawn up.

भाषा समस्या के लिये पृथक मंत्रालय

465. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा तथा अन्य भाषाओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के काम के लिये केन्द्र में एक पृथक मंत्रालय बनाने का विचार है;

(ख) क्या इस मंत्रालय को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के हाल के निर्णयों को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा जायेगा ; और

(ग) प्रस्तावित मंत्रालय के कार्य विस्तृत रूप में क्या होंगे ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज व्यक्ति

466. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 और 1964–65 में देश में काम दिलाऊ दफ्तरों में राज्यवार कुल कितने व्यक्ति दर्ज किये गये ; और

(ख) बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने के लिये कौन से नये अवसर है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) विवरण [सभा पटल पर रखा जाता है। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4585/65**]

(ख) पंचवर्षीय योजना के अधीन विभिन्न विकास योजनाओं को इस तरह बनाया गया है जिससे बेरोजगार लोगों को मिलने वाले काम के अवसर बढ़ें। अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 10 लाख तक काम के नए अवसर बढ़ेंगे।

जम्मू रेडियो स्टेशन

467. **श्री अब्दुल गनी गोनी** :
श्री समनानी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू रेडियो स्टेशन में लगा ट्रान्समिटर केवल एक किलोवाट का है ;

(ख) क्या उसकी आवाज़ सारे राज्य में सुनाई नहीं देती है; और

(ग) इस केन्द्र में कब सुधार होगा और उसकी क्षमता बढ़ा कर कितनी कर दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) आकाशवाणी के जम्मू केन्द्र में दो ट्रांसमीटर हैं, एक मेडियम वेव एक किलोवाट का, और दूसरा शार्टवेव एक किलोवाट का।

(ख) जी, नहीं, परन्तु श्रीनगर के शार्टवेव ट्रांसमीटर से सारे जम्मू और कश्मीर में काफ़ी अच्छी तरह सुनाई देता है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जम्मू में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मैसूर में टेलीफोन कनेक्शन

468. **श्री बासप्पा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में अभी भी कितने व्यक्तियों के नाम टेलीफोनों की प्रतीक्षक सूचक में हैं;

(ख) और अधिक टेलीफोन मंजूर करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) क्या सरकार टेलीफोनों का उत्पादन का लक्ष्य बढाने के लिये आयोजन कर रही है?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 30 जून, 1965 को 10,377।

(ख) टेलीफोन केन्द्रों में जितनी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है उतने नए कनेक्शन दिये जा रहे हैं। सभी शेष बचीं और नई मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि अतिरिक्त केन्द्र उपस्करों और केबलों को लगाना उपलब्ध सीमित साधनों पर निर्भर करता है।

(ग) जी हां, चौथी योजना में टेलीफोनों के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव है।

हवाई और समुद्री डाक की दरें

469. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई और समुद्री डाक की दरों में परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां, हाल ही में कुछ विदेशों के लिए पार्सल की दरें संशोधित की गई है।

(ख) संशोधन से पहले और बाद की दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में जो सभा पटल पर रखा जाता है, दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4586/65।]**

विद्यार्थियों के लिये तकनीकी पद

470. **श्री श०ना० चतुर्वेदी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार रखती है कि विद्यार्थी बाबूगिरी में न जाकर तकनीकी और औद्योगिक व्यवसायों में जायें ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : देश के 156 रोजगार कार्यालयों में चल रहीं व्यावसायिक मार्गदर्शन और नौजवानों को रोजगार सम्बन्धी सलाह देने की योजनाओं द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है।

कलकत्ता डाक जोन

471. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता डाक जोन को उपलब्ध सभी अनुसूचित सुविधाओं को कंचरापारा से कमारहाटी तक वृहत् कलकत्ता औद्योगिक जोन को भी उपलब्ध करने के लिये क्या कोई योजना है; और

(ख) क्या क्षेत्र की डाक सेवा को भी ठीक ढंग से चलाने के लिये डाक मोटर गाड़ियों, चपरासियों और डाकखाने की संख्या बढ़ाने और रेलवे डाग-व्यवस्था जोन स्थापित करने के सम्बन्ध में भी कोई योजना है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) कलकत्ता की क्षेत्रीय वितरण प्रणाली को हाल ही में बेलघड़िया, आरियादाह तथा कमारहटी डाकघरों तक बढ़ा दिया गया है हालांकि वें कमारहाटी नगरपालिका क्षेत्र में आते हैं। सभी शहरी क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के मानदण्ड एक ही हैं।

(ख) कर्मचारियों की मंजूरी परियात के आधार पर दी जाती है। इस क्षेत्र में सेवा प्रदान करने के लिये डाक-यानों की संख्या बढ़ाने का कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रेल डाक-व्यवस्था की क्षेत्र प्रशासनिक यूनिटें हैं और कंचरापारा से कमारहाटी तक के औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक रेल डाक-व्यवस्था क्षेत्र स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सूचना और प्रसारण मंत्री की विदेश यात्रा

472. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून और जुलाई, 1965 में सूचना और प्रसारण मन्त्री को कितनी बार और कितने दिनों के लिये विदेशों का दौरा करना पड़ा;

(ख) क्या ये दौरे उनके अपने मन्त्रालय के काम अथवा किसी अन्य सरकारी काम के सिलसिले में थे ;

(ग) उन्होंने किन किन देशों का दौरा किया और कितनी बार ; और

(घ) इन दौरों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख), और (ग) सूचना और प्रसारण मन्त्री मई जून और जुलाई 1965 में दो बार विदेश यात्रा पर गई थी—एक बार लंदन और दूसरी बार मंगोलिया। नेहरूस्मारक प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में सरकार के प्रतिनिधी के रुप में उन्होंने 4-6-65 से 14-6-65 तक लंदन की यात्रा की। मंगोलिया के प्रधान मंत्री के निमन्त्रण पर उनके राष्ट्रीय दिवस समारोहों में भाग लेनेके लिए वे मास्को होती हुई उलानवटोर (मंगोलिया) गई और उन्होंने 6 जुलाई से 14 जुलाई 1965 तक वहां की यात्रा की।

ये यात्राएं इन देशों से भारत के संबंधों को सुदृढ करनें की दृष्टिसे राजकीय कामकाज की महत्वपूर्ण अंग थी और इन यात्राओं से उनके अपने मंत्रालय के काम का भी संबंध था। उदाहरण के लिए, नेहरु स्मारक प्रदर्शनी का आयोजन और संचालन हालांकि विदेश मंत्रालय ने किया था, फिर भी ज्यादातर प्रबंध सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किये गए थे।

(घ) इन यात्राओं पर कुल मिलाकर 1584·38 रूपए के बराबर विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी जिसमें वह हवाई भाड़ा भी शामिल है जो सोवियत संघ में खर्च हुआ था। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि सूचना और प्रसारण मंत्री ने उतने भत्ते नहीं लिए थे जितने की वे हक़दार थी।

पूर्वी सैक्टर में भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

473. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जुलाई, 1965 की सुबह को पूर्वी सैक्टर में विमान दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के दो अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी : और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना की जांच करने के लिये एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी संगठित कर दी गई है । दुर्घटना का कारण कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही जाना जा सकेगा ।

संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय विद्यार्थियों का पीटा जाना

474. **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री जं० बं० सिंह विष्ट :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य जुलाई, 1965 के प्रथम सप्ताह में संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिनी राज्यों में कोई भारतीय विद्यार्थी श्वेतांगों द्वारा पीटे गये थे ;

(ख) क्या हमारे दूतावास ने इस बारें में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो संयुक्त राज्य अमरीका से क्या उत्तर मिला है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) जी हां । विदेश विभाग ने इस बात के लिए खेद प्रकट किया है कि एक भारतीय राष्ट्रिक पर अन्यायपूर्वक और अकारण आक्रमण किया गया ।

कीनिया तथा उगांडा के साथ आर्थिक सहयोग

475. **महाराज कुमार विजय आनन्द** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक तथा व्यापार प्रबन्ध परिषद् के प्रधान ने, जिन्होंने कीनिया तथा उगांडा के साथ तकनीकी व आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये नवम्बर/दिसम्बर, 1964 में इन देशों का दौरा किया था, कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) श्री खेड़ा ने सुझाव दिया था कि इन तीन देशों के वरिष्ठ प्रशासकोंको, को, प्रशासनिक अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए और यहां के प्रशासन तथा प्रशासन की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के काम को देखने के लिए, आंमत्रित किया जाना चाहिए । इस पर अमल किया जा रहा है ।

जार्ज टाउन तथा जंजीबार में भारतीय दूतावास

476. **महाराज कुमार विजय आनन्द** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जार्ज टाउन (ब्रिटिश गियाना) में एक सहायक आयोग तथा जंजीबार में एक सहायक उच्चायोग स्थापित करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जार्ज टाउन, ब्रिटिश गियाना, का सहायक कमीशन 21 मई 1965 से काम कर रहा है। जंजीबार में अभी कोई भारतीय मिशन नहीं खोला गया है, हालांकि वहां मिशन खोलने का फैसला कर लिया गया है। सिर्फ़ प्रशासनिक कारणों से इसके खुलने में देर हो रही है ।

तिब्बत से आने वाले शरणार्थी

477. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में तिब्बत के कितने शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश किया ; और

(ख) क्या चीनियों ने उपासना तथा विचारों की स्वतन्त्रता का पुनः दमन करना आरम्भ कर दिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मई, जुन और जुलाई 1965 में 56 तिब्बती शरणार्थी भारत में आए ।

(ख) समाचारों से ऐसा पता लगता है कि तिब्बत में चीनी अधिकारी तिब्बती लोगों की उपासना की स्वतंत्रता तथा अन्य मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता का निरन्तर दमन कर रहे हैं ।

दिल्ली और बम्बई के बीच ट्रंक काल

478. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और बम्बई के बीच ट्रंक काल मिलने में अत्यधिक देर हो रही है तथा आठ घंटे पहले बुक कराई गई निर्धारित समय वाली काल के मिलने में भी 5 घंटे से भी अधिक देर होती है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां, कुछ हद तक परिपथों को कमी और मानसून तथा तारों की चोरी से खुले तार-परिपथों पर हुई खराबी के कारण ।

(ख) अगले वर्ष के आरंभ में दिल्ली-बम्बई सहधुरीय केबल प्रणाली के चालू होने पर इन दोनों स्थानों के बीच बहुत से उच्चस्तरीय परिपथों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

आकाशवाणी से कार्यक्रमों का निरन्तर प्रसारण

479. **श्रीमती लक्ष्मीबाई :**

श्री दी०चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों से सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक लगातार रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) 26 सितम्बर, 1965 से आकाशवाणी के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास केन्द्रों से सुबह 6 बजे से लेकर आधी रात तक, निरंतर कार्यक्रमों का प्रसारण शुरु किया जायगा । इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के श्रोताओं के लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक अधिक कार्यक्रम देने की व्यवस्था है ।

नार्थ बिहार एक्सप्रेस में छंटाई अनुभाग

480. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ बिहार एक्सप्रेस में समस्तीपुर से हावड़ा तक तथा असाम मेल में बरौनी से इलाहाबाद तक छंटाई अनुभाग खोलने के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि ये दोनों अनुभाग रेलवे डाक सेवा के "यु०" विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे ;

(ग) क्या इन मामलों में उन नियमों का पालन किया गया है जो रेल डाक सेवा के विभागों का 1954 में पुनर्गठन करते समय निर्धारित किये गये थे ;

(घ) क्या ये दोनों अनुभाग डाक डिब्बों की कमी के कारण नहीं खोले जा रहे है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामलें में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि अभी तक अनुभाग खोले नहीं गए हैं अत: अब यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) (ख) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

(ङ) इन अनुभागों की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए नये डाक-यानों का निर्माण किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी के कारखाने

481. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी कारखानों के कर्मचारियों को उनके द्वारा सीज़न में किये ये गये उत्पादन के अनुपात से बोनस मिलता था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोनस अध्यादेश के अनुसार उत्पादनकाल में काम करनेवाले बहुत अधिक कर्मचारियों को "आफ-सीजन" में काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों से कम बोनस मिलगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी कारखानों द्वारा भूतकाल में जिस तरह बोनस की अदायगी की गई उसके बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) आर्डिनेंस के अन्तर्गत बोनस की अदायगी का सम्बन्ध लेखा वर्ष में काम किए गए दिनों और कामगारों द्वारा प्राप्त "वेतन या मजूरी" की राशि से होगा । लेकिन आर्डिनेंस के अनुसार सम्बन्धित पक्ष विभिन्न आधारों पर, जो पक्षों को परस्पर स्वीकार्य हो, समझोता कर सकते हैं ।

पर्यटन सम्बन्धी मानचित्र

482. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा पर्यटन सम्बन्धी मानचित्र देश तथा विदेश में प्रकाशित किया गया है जिसमें बागडोगरा को पूर्वी पाकिस्तान का इलाका दिखाया गया है;

(ख) यह मानचित्र कब प्रकाशित किया गया तथा भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह इलाका कब दिया ; और

(ग) इस मानचित्र की कुल कितनी प्रतिया छपी हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) 1956 में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय ने पर्यटन विभाग के लिए, "इंडिया टूरिस्ट मैप (फ़ोल्डर)" की एक लाख प्रतियां छपवाई थीं । बागडोगरा की स्थिति के बारे में गलती का पता लगते ही फ़ोल्डर का वितरण एकदम रोक दिया गया । शेष प्रतियों को शुद्धि की चिप्पी लगा कर, बांटा गया ।

भूटान के महाराजा

483. **श्री दी०चं० शर्मा :**

श्री प्र०चं० बरुआ :

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूटान सरकार का तख्ता उलटने के प्रयासों तथा 31 जुलाई, 1965 को भूटान के महाराजा की हत्या करने के प्रयास की घटना के बारे में सतर्क है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । सरकार इन जघन्य प्रयत्नों के प्रति सजग है, जो, सौभाग्य से, विफल हो गए हैं ।

(ख) इन निंदनीय कुचाली गतिविधियों का पर्दाफाश करने और इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करना भूटान सरकार का काम है । इस उद्देश्य से भूटान के महाराज जो सहायता मांगेंगे, भारत सरकार यथासंभव उसे पूरा करेगी ।

नये ट्रांसमिटर

484. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार नये ट्रांसमिटर, दो 1,000 किलोवाट के मीडियम वेव के तथा दो 250 किलोवाट के शार्ट वेव के लगाने की मंजूरी दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कब तक लगा दिये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भारत सरकारने 100 किलोवाट के मीडियम वेव का एक ट्रांसमीटर और 250 किलोवाट के शार्ट वेव के दो ट्रांसमीटर लगाने के लिए आंशिक व्यय मंजूर कर दिया है। 1,000 किलोवाट का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर भी लगाने का फ़ैसला किया गया है, परन्तु उसके लिए खर्च की मंजूरी अभी नहीं दी गई है।

(ख) आशा है कि ये दो वर्ष के अन्दर लगा दिए जाएंगे।

केरल स्थित मध्यवृत्तीय राकेट छोड़ने का थुम्बा केन्द्र

485. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयन मण्डल में रेडियों तरंगों (वेव) के अध्ययन के लिये उपग्रह सम्बन्धी डेटा एकत्रित करने के लिये केरल स्थित मध्यवृत्तीय राकेट छोड़ने के थुम्बा केन्द्र में शीघ्र ही परीक्षण किये जायेंगे ;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका के राष्ट्रीय नाभिकीय तथा अन्तरिक्ष प्रशासन द्वारा छोड़े गये उपग्रह एक्स-66 से भारत में अब जानकारी प्राप्त हो रही थी ; और

(ग) यदि हां, तो भारत के किन केन्द्रों में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां। एस-66 आयन मण्डलीय संकेतक उपग्रह से आने वाले संकेतों को निरन्तर मानिटर करने के लिये थुम्बा के मध्यवृत्तीय राकेट छोड़ने के केन्द्र में एक संग्राही उपकरण स्थापित करने की योजना विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) जी हां। ऐसी सूचना इकट्ठी करने वाले केन्द्रों के नाम हैं–ऐस्ट्रोफिजिकल प्रयोगशाला, कोडाईकनल, रक्षा इलेक्ट्रोनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली का रेडियो प्रसारण यूनिट।

भारत की परमाणु परियोजनाओं का सर्वेक्षण

486. **श्री अ०ना० विद्यालंकार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय परमाणु परियोजनाओं का सर्वेक्षण करने के लिये हाल में ब्रिटेन के कुछ समाचारपत्र-संवाददाताओं को बुलाया गया था ;

(ख) क्या कोई भारतीय समाचारपत्र-संवाददाताओं को भी बुलाया गया था, और यदि हां, तो कब ; और

(ग) विदेशी समाचारपत्र-संवाददाताओं को बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) (क) तथा (ग) परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोग के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को संसार के सम्मुख रखने के उद्देश्य से

ब्रिटिश विज्ञान समाचारपत्र-संवाददाताओं के एक दल को हमारी परमाणु परियोजनाओं का सर्वेक्षण करने तथा उनके बारे में लिखने के लिये बुलाया गया था।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यकाल की दसवीं वर्ष गांठ के अवसर पर अनेक भारतीय समाचारपत्र-संवाददाताओं को बुलाया गया था तथा सभी प्रमुख भारतीय समाचारपत्रों में इस का पूरा विवरण छपा था।

अणु शक्ति से बिजली तैयार करना

487. **श्री मधु लिमये :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अणु शक्ति से बिजली तैयार करने की तीन योजनाओं, जो इस समय क्रियान्वित की जा रही हैं, में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ;

(ख) इन तीन योजनाओं के अन्तर्गत बिजली कब तक तैयार होनी आरम्भ हो जायेगी ; और

(ग) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत बिजली कब तक तैयार की जाने लगेगी?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई हैं :—

तारापुर परमाणु विद्युत प्रायोजना

प्रायोजना पर कार्य प्रोग्राम के अनुसार चल रहा है। रिऐक्टर तथा टरबाइन भवनों के भूमिगत भाग तथा ऊपरी ढांचे के निर्माण के लिये लगभग 25,000 घन गज कंक्रीट डाली जा चुकी है। स्टील के पात्रों, जिनमें रिऐक्टर तथा प्राइमरी सरकिट स्थापित होने हैं, के निर्माण में भी काफी प्रगति हो चुकी है। वेंडर शापों में उपकरणों, जिनमें दबावसह पात्र तथा टरबाइन जनित्र भी शामिल हैं, के निर्माण में निश्चित् कार्यक्रम के अनुसार पर्याप्त प्रगति हो रही है।

करार के अनुसार यह स्टेशन अक्तूबर 1959 में पूरी तरह चालू होना चाहिये, किन्तु इस बात की सम्भावना है कि कुछ बिजली इस तिथि से कई महीने पहले ही तैयार होने लगेगी।

राजस्थान परमाणु विद्युत प्रायोजना

इस स्टेशन में दो रिऐक्टर यूनिट होगें जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 200 मैगावाट होगी। इनमें से पहले युनिट के निर्माण की मंजूरी सन् 1964 में मिली। दूसरे यूनिट के निर्माण की मंजूरी अभी हाल ही में मिली है बशर्ते कि इसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाई जा सके। विदेशी मुद्रा जुटाने का प्रबन्ध अभी पूरा नहीं हो सका है।

रिऐक्टर भवन की नींव खोदने का काम पूरा हो गया है और 15 जुलाई, 1965 को कंक्रीट बिछाने का कार्य शुरू किया गया। टरबाइन भवन, सर्विस भवन और पम्प हाऊस की नींव खोदने का काम प्रगति पर है।

आयात किये जाने वाले उपकरणों की खरीद के लिये आर्डर दिये जा चुकें हैं। इनका मूल्य प्रायोजना पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा के 40% के बराबर है।

आशा है कि इस स्टेशन का पहला यूनिट सन 1969 के अन्त में तथा दूसरा यूनिट चौथी योजना के पूरा होने से पहले चालू हो जायेगा, बशर्ते कि आवश्यक विदेशी मुद्रा शीघ्र ही प्राप्त हो सके।

मद्रास परमाणु विद्युत प्रायोजना

इस स्टेशन की उत्पादन क्षमता 400 मैगावाट होगी तथा इससे 200-200 मैगवाट के दो रिऐक्टर होंगे ।

इस स्टेशन के निर्माण की मंजूरी इस शर्त पर मिली है कि इसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा शीघ्र ही जुटाई जा सकेगी । विदेशी मुद्रा जुटाने की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हो सकी है ।

निर्माण स्थल पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है ।

आशा है कि यह बिजलीघर चौथी योजना के अन्त तक तैयार हो जायेगा बशर्ते कि इसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध शीघ्र हो जाये ।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट तथा मद्रास परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों में से प्रत्येक के लिए लगभग 200 मीट्रीक टन भारी पानी की आवश्यकता होगी, जिसका यदि आयात किया जाय तो 15 करोड़ रूपये खर्च होंगे । परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक ऐसी योजना पेश की है जिसके आधीन बिना किसी विदेशी सलाह के लगभग 21 करोड़ रूपये से भारी पानी तैयार करने वाला संयत्र स्थापित किया जा सके जिसमें 9 करोड़ रूपये के बराबर विदेशी मुद्रा होगी । इस प्रकार केवल इन तीन रिऐक्टरों के लिये ही आवश्यक भारी पानी प्राप्त करने में 6 करोड़ रूपये के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत होगी । इस संयत्र को अभी तक सरकारी मंजूरी नहीं मिली है, तथा इसकी स्थापना में होने वाली देरी से तीनों रिऐक्टरों के चालू होने में भी देरी होगी । यह योजना इस विभाग द्वारा सरकार को मार्च 1965 में पेश की गई थी । जब तक कि भारत में भारी पानी का उत्पादन नहीं होने लगे, ये तीनों बिजलीघर अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण में रहेंगे ।

कॉफी तथा रबड़ के बागान सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

488. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी तथा रबड़ के बागान सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) काफी बागान मजदूरी बोर्ड ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है । रबड़ बागान मज़दूरी बोर्ड अभी भी काम कर रहा है ।

(ख) काफी मज़दूरी बोर्ड की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) रबड़ बागान मज़दूरी बोर्ड द्वारा अपना कार्य यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

भारत पाकिस्तान सीमा का सीमा-निर्धारण

488-क. **श्री बागड़ी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में भारत-पाकिस्तान सीमा-निर्धारण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कौनसी सीमा का अभी तक सीमा-निर्धारण नहीं किया गया है ; और

(ग) पाकिस्तान के साथ लगने वाली समस्त सीमा का सीमा-निर्धारण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) सीमा स्तम्भ लगाकर जहां सीमांकन किया जा चुका है, वे हैं :—

(1) त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर 550 मील में से 184 मील ; और

(2) पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर 1349 में से 2079 मील में ।

(ख) जहां सीमांकन अभी पुरा नहीं हुआ है, वे हैं :—

त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर :—

(1) त्रिपुरा-सिलहट सब सेक्टर में

(2) त्रिपुरा-चटगांव/चटगांव हिल ट्रेक्ट सब सेक्टर में

(3) त्रिपुरा-नौआखली सब सेक्टर में 22 मील में ।

(ग) पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर :

(1) बेरूबाड़ी में

(2) हिली में

(3) महानंद, बोरोंग और कारातोआ नदियों के किनारे की सीमा में

(4) हांकर खाल और बैखड़ी खाल नदियों के किनारे की सीमा में ।

यह बताना सम्भव नहीं कि समूची सीमा को सीमांकित करने का काम ठीक किस तारीख को पूरा हो जाएगा लेकिन इस काम में प्रगति हो रही है ।

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पंजाबी सूबे के लिये आंदोलन करने की धमकी

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : श्रीमन गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :—

"मास्टर तारा सिंह द्वारा पंजाबी सूबे के लिये आंदोलन की धमकी और प्रधान मंत्री से सन्त फतेह सिंह की मुलाकात ।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नंदा) : श्रीमन् , इस समय मुझे प्रधान मंत्री से सन्त फतेह सिंह की 7 और 8 अगस्त, 1965 को हुई बातचीत का अभिलेख टिप्पण (रिकार्ड नोट) सभा पटल पर रखने की आज्ञा दी जाये और शेष कार्यवाही आगे किसी दिन तक के लिये स्थगित की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस बारे में मुझे आप सूचना देंगे उन्हें कितना समय चाहिये ।

श्री नन्दा : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण सूचना स्थगित रखी जाती है ।

स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलानें वाली सुचनाओं के बारे में

RE : MOTIONS OF ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री स० मो० बनर्जी, श्री मधु लिमये, श्री वारियर से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.....

श्री वासुदेव नायर (अम्बलपुजा) : मुझे अर्न्तबाधा के लिये खेद है परन्तु हमने जो सूचना दी थी वह केन्द्र सरकार से सम्बन्ध रखती है। मेरा आशय श्री गोपालन तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा केरल की जेल में अनिश्चित काल के लिये अनशन से है। अल्पकालिक सूचना की स्वीकृति मंत्री महोदय पर निर्भर करती है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह प्रश्न ऐसे नहीं उठाना चाहिये। मैं श्री गोपालन का बहुत आदर करता हूं। यदि इस सूचना की आज्ञा देता हूं तो तो मेरे लिये बहुत कठिन हो जायेगा। इस प्रकार की जानकारी प्रश्न द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हम किसी मामले के गुण दोषों पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आप ध्यानाकर्षण सूचना की आज्ञा दे सकते है परन्तु वह अल्प सूचना प्रश्न मंजूर नहीं करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या मैं आप से एक स्पष्टीकरण करा सकता हूं? आप ने कहा कि इस मामले में जानकारी मिल जायेगी। क्या हम अल्प सूचना प्रश्न द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे आज ध्यानाकर्षण की 60 सूचनायें मिली हैं। इन की संख्या बहुत अधिक है। माननीय सदस्यों को प्रश्नों की सूचना देते समय समय का भी ध्यान रखना चाहिये। समय बहुत सीमित होता है। मैं इन सूचनाओं को नही ले सकता। सब से पहले हम अविश्वास प्रस्ताव को ले रहे हैं। खाद्य स्थिति पर अलग से चर्चा होगी। इस चर्चा में अपनी बात कहने का सदस्यों को अवसर मिलेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है और उस में खाद्य स्थिति पर भी बात होगी। परन्तु मुझे यह स्थगन प्रस्ताव इस लिये देना पड़ा है कि कोल्हापुर में गोली चली है। वहां खाद्य स्थिति बहुत खराब हो गई है। 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। कलकत्ता में भी कुछ लोग बन्दी बनाये गये हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव अवश्य मंजूर किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। मैंने आप की बात सुन ली है। आप एक राज्य में हुई घटना को यहां चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। यह ठीक है वहां गोली चली है और 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। परन्तु यह राज्यों का विषय है। हम तुरन्त ही अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने वाले हैं। फिर खाद्य स्थिति पर पृथक रूप से भी चर्चा होगी। अतः मैं इस की आज्ञा नहीं दे सकता।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करतें हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के बारे में लेखा परिक्षा रिपोर्ट, 1964

वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी) : मैं केरल राज्य सम्बन्धी निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल रखता हूं ।

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, 1964 ।**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4576/65]**

(2) विनियोग लेखे, 1962–63 **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये, संख्या एल० टी० 4577/65]**

(3) वित्त लेखे, 1962–63 **[पुस्तकालय में रखी गयी । [देखिये संख्या एल०टी० 4578/65]**

गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन अधिनियम,) 1948 की धारा 8 के अन्तर्गत नियम

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं गोदी श्रमिक (रोज़गार का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न लिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गोदी श्रमिक (रोज़गार का विनियमन) संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 29 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1689 में प्रकाशित हुए थे ।)

(2) गोदी श्रमिक (सलाहकार समिति) संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 3 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2103 में प्रकाशित हुए थे ।

पुस्तकालय में रखी गयी [देखीये संख्या एल० टी० 4579/65]

लोक प्रतनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 के अन्तर्गत आदेश

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (आंध्र प्रदेश) संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 22 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1057 में प्रकाशित हुआ था ।

(2) परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (बिहार) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 22 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1058 में प्रकाशित हुआ था ।

(3) परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (बम्बई) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 22 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1059 में प्रकाशित हुआ था ।

(4) परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (मद्रास) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 22 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1060 में प्रकाशित हुआ था ।

[विधि मंत्रालय में उपमंत्री (जगन्नाथ राव)]

(5) परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 22 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1061 में प्रकाशित हुआ था।

(6) परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (पंजाब) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 22 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1062 में प्रकाशित हुआ था।

(7) परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 22 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1063 में प्रकाशित हुआ था।

(8) परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (पश्चिमी बंगाल) संशोधन आदेश, 1965, जो दिनांक 22 जुलाई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1064 में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी 4580/65)

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से संदेश मिला है कि राज्य सभा ने अपनी 17 अगस्त, 1965, की बैठक में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है। मैं विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के बारे में याचिका

PETITION RE : MOTOR VEHICLES ACT, 1939

श्री रंगा (चित्तूर): मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 तथा उस के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के बारे में एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार और संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): श्रीमन, पिछले गुरूवार को इस सप्ताह के सरकारी कार्य की घोषणा करते समय मैं वित्त (संख्या 2) विधेयक उस में शामिल न कर सका। उस समय यह सभा के सामने नहीं था। अब मैं आप की आज्ञा से यह चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव को बाद लिया जाये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चार दिन दिये जायें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं चाहती हूं कि खाद्य स्थिति पर जल्दी सेजल्दी चर्चा की जाये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव तथा खाद्य स्थिति पर विचार होगा। ऐसा जान पड़ता है कि सत्र का समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो इस की सूचना शीघ्र मिलनी चाहिये।

श्री मो०रु० मसानी (राजकोट) : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये 15 घंटे मिलते थे परन्तु रिपोर्ट में 3 दिन कहे गये है।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिरक्षा मंत्रीवक्तव्य देना चाहते थे।

जम्मु तथा काश्मीर में स्थिति के बारें में वक्तव्य

STATEMENT RE : SITUATION IN JAMMU AND KASHMIR

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जब 16 अगस्त को मैं ने वक्तव्य दिया था उस के पश्चात घुसपैठ करने वालों को पकड़ने के हमारे प्रयत्न जारी हैं और हमें काफ़ी सफलता मिली है। एक महत्वपूर्ण सफलता जो हमारी सेनाओं को मिली करगिल की चौकियों पर हमारा पुनः कब्जा है। इन पर हमने पहले मई में कब्जा किया था परन्तु संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव के आश्वासन पर कि उनके प्रेक्षक वहां पर तैनात किये जायेंगे हमने उन्हें खाली कर दिया था। परन्तु हमारी संचार व्यवस्था पर फिर हमला किया गया। इस लिये वहां कब्जा करना आवश्यक हो गया। एक विशेष बात यह है कि पाकिस्तान की नियमित सेनाओंने घुसपैठ करने वालों की काफ़ी सहायता की है। और यह युद्धविराम रेखा के हमारी ओर किया गया है। छम्ब क्षेत्र में पाकिस्तान ने घुसपैठ कर के हमारे क्षेत्र पर गोलाबारी की है। पाकिस्तान के सभी आक्रमण विफल कर दिये गये हैं। शत्रु को बहुत हानि हुई है; और हम अपनी सीमा पर डटे रहे हैं। घुसपैठ करने वालों के 48 शव मिले हैं और वास्तव में उनके अतिरिक्त भी बहुत से पाकिस्तानी मारे गये है और घायल हुए है। हमने अपनी कार्यवाही तेज़ कर दी है और अब कोई विशेष घटना नहीं हुई है। घुसपैठ करने वाले छोटे छोटे गुटों में बट गये है और बहुत से मारे गये हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से वापिस भाग गये है या ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे है। ऐसा भी समाचार मिला है कि नये घुसपैठिये पाकिस्तान की ओर से भेजे जा रहे है। हमारी सुरक्षा सेनाओं को युद्ध विराम रेखा की रक्षा करनी है, घुसपैठियों को आने से रोकना है और पहले आये हुओं को निकालना है। अभी भी 3000 से 5000 तक को वहां से भगाना है। जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों को वहां से हटाना है। यह जम्मू क्षेत्र में किया जा रहा है। वहां पर घुसपैठियों ने लोगों को बहुत तंग किया है। केन्द्र सरकार इस काम में राज्य सरकार की सहायता कर रही है।

अब तक निश्चित रूप से मारे गये घुसपैठ करने वालों की संख्या 374 है जिस में छः अधिकारी हैं। इस के अलावा लगभग 400 हताहत हुए हैं। हमने 95 को पकड़ा है। हमारी ओर से 89 सैनिक मारे गये है। 29 पुलिस वाले भी घुसपैठियों से लड़ाई मे मारे गये हैं।

श्री हो०ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे, इस दिशा में सरकार क्या विशेष कार्यवाही कर रही है?

श्री हरि विष्णु कामत : जैसा कि नवम्बर 1962 में किया गया था, वैसे ही अब भी दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा सभा को जानकारी दी जाती रहनी चाहिए?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In view of the Pakistan's new attack, will the Government declare that this war will not come to an end until and unless entire Kashmir is cleared of the Pakistanies?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : संयुक्त राष्ट्र संघ ने आक्रन्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने में संकोच किया है, उसके बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्री विद्याचरण शुक्ला (महासमुंद) : घुसपैठियों का मुकाबला करने के लिए काश्मीर की जनता ने जो कार्य किया है, क्या सरकार उस पर कुछ प्रकाश डालेगी ?

श्री दी०चं० शर्मा (होशियारपुर) : क्या हम जरूरत पड़ने पर युद्ध विराम रेखा को पार करेंगे?

श्री अब्दुल गनी गोनी (जम्मू और काश्मीर) : क्या हम अपनी प्रतिरक्षा ही करते रहेंगे अथवा जवाबी हमला भी करेंगे !

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों पर हम अब चर्चा नही कर सकते ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : काश्मीर की जनता का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है । यदि अपनी प्रतिरक्षा के लिए हमें जवाबी हमला करना पड़ा तो हम संकोच नहीं करेंगे ।

श्री ही०ना० मुकर्जी : रक्षा मंत्री कहते हैं "हो सकता है, कुछ कठिनाइयां हैं"। क्या यही महाराष्ट्रीय देश भक्ति है ?

Shri Bade : Honourable member should withdraw his words, about Maharashtra.

श्री ही०ना० मुकर्जी : श्री चव्हाण शिवाजी द्वितीय कहे जाते हैं । मेरी बात से चोट लगी है तो मुझे खेद है । 48 घंटे बमबारी हुई है । संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक फिर वहां क्या करते हैं । उनका आखिर क्या कर्तव्य है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक प्रभावशाली सिद्ध नही हो रहे । इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता ।

प्रधान मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : हमनें यह निश्चय किया है कि प्रतिरक्षा मंत्री समय समय पर सदन में अपना जानकारी देने वाला वक्तव्य प्रतुत किया करेंगे, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि उस पर कोई विवाद नहीं होगा । यदि ऐसा होगा तो यह नहीं चलेगा । वक्तव्य तथ्यों पर अधारित होगा । उस पर प्रश्न नहीं पूछे जान चाहिये ।

भारतीय प्रतिरक्षा निर्माण कार्य (संशोधन) विधेयक

INDIAN WORKS OF DEFENCE (AMENDMENT) BILL

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

" कि भारतीय प्रतिरक्षा निर्माण कार्य अधिनियम 1923 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि माननीय प्रतिरक्षा निर्माण कार्य अधिनियम 1923 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/ *The motion was adopted*

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

मंत्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा मंत्री परिषद् में विश्वास का अभाव प्रगट करती है।"

इस कार्य को करते हुए मुझे कोई हर्ष नहीं हो रहा। परन्तु ऐसा करना मेरा कर्तव्य है इस लिए कर रहा हूँ। इस प्रस्ताव का बड़ें व्यापक क्षेत्र है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की बातें इसके अन्तर्गत आ जाती है। पहले मैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की चर्चा करके फिर गृह कार्यों की चर्चा करूंगा। मेरा निवेदन यह है कि गत वर्ष जब नयी सरकार की स्थापना हुई थी तो हमने अपने मत व्यक्त किये थे, परन्तु अपनी न तो अपनी तीव्र भावनाओं को व्यक्त किया था, न ही कोई मत ही व्यक्त किया था। हमने यह महसूस किया था कि नई सरकार और नये प्रधान मंत्री को अपने कार्यों के बारे में कुछ समय मिलना चाहिए। ऐसा करने पर ही उन्हें यह अवसर मिल सकता है कि वह दिखा सके कि वह कितने पानी में है और क्या कर सकते है। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है कि इन 12 महीनों के काल में, हमें इस दिशा में घोर निराशा हुई है। विदेश नीति के कारण आज हमारा संसार भर में कोई मित्र नहीं है। हमने लाभ उठाने के कई सुन्दर अवसर हाथ से खो दिये है।

जिन घर नामों से हमें गत कुछ दिनों दो चार होना पड़ा है उनसे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते है। साम्यवादी चीन और पाकिस्तान में निकटता बढ़ रही है। हमें इस शत्रुता का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमने दोनों का मुकाबला करना है। इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि ऐसा मित्र बनायें, जिन पर जरूरत पड़ने पर हम विश्वास कर सकें। पश्चिमी देशों में पाकिस्तान के प्रति उदासीनता का भाव काफी बढ़ा था परन्तु हमने उस अवसर का लाभ उठा कर पश्चिम के लोक तंत्रीय देशों से अपने सम्बन्ध मजबूत नहीं किये। एक बात हमें यह भी इस संदर्भ में समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक समय अपना बचाव करते रहने से भी काम नहीं बनता, हमें कुछ जवाबी कार्यवाही भी करनी चाहिए। काश्मीर के मामलें में यह बात सत्य है। प्रधान मंत्री की वियतनाम सम्बन्धी घोषणाओं को मैं अपने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध मानता हूँ।

अब मैं अपने आन्तरिक मामलों की ओर आता हूँ। हमारे देश के 35 करोड़ लोग की औसत आय 68 नयें पैसे प्रतिदिन है। एक करोड़ देश में ऐसे लोग है जिनकी आय 10 नयें पैसे है। कुल मिला कर यह प्रति व्यक्ति 27 नयें पैसे बैठती है। यह परिणाम है उन सफलताओं का जो हमें 15 वर्षों के आयोजन के बाद प्राप्त हुआ है। और जिसके लियें हम देश में तथाकथित समाजवाद का प्रचार करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य के बारे में देश में जो निराशा और दुःख है, उसका पता उन घटनाओं से लगता है जो कि देश मे विभिन्न भागों में हो रही है। देश में सर्वत्र इसके लिए दोष प्रकट किया गया है और मुझे खेद है कि मुझें कटु बातें कहनी पड़ रही हैं।

मुझे यह बात तो खेद के साथ कहनी पड़ रही है कि हमारी मुद्रा सम्बन्धी व्यवस्था लगभग अस्त व्यस्त हो चुकी है। देश में क्रय शक्ति काफी क्षीण हुई है। हमारा रुपया युद्ध के पहले रुपये के 14 पैसे के बराबर है। विदेशों में क्रय शक्ति के विचार से हमारा रुपया जो कि 20 अमरीकी सेंटों के बराबर था, अब वास्तव में 10 सेंटों के बराबर रह गया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कीमतें बढ़ रही है। हम बहुत अधिक विदेशी सहायता पर निर्भर करने लगें हैं। यह बात बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अभिलेख पर स्टर्लिंग में हमारी पूंजी सबसे कम हो गयी है। हमारे ऊपर जो विदेशी ऋण है, और प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ता जा रहा है। चालू वर्ष के आरम्भ में यह राशि 2,192 करोड़ रुपये हो गयी थी। इसके अतिरिक्त तीसरी योजना के अन्त में हमारा भुगतान सम्बन्धी दायित्व 650 करोड़ रुपये अथवा उसके तीसरी योजना के पांच वर्षों में भारत से हुए सारे निर्यात आय के छटें भाग के बराबर होने की सम्भावना थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का भी दायित्व होगा। अनुमान के अनुसार यह 1000 करोड़ रुपये होगा जो कि आगामी पांच वर्षों के प्रत्याशित फालतू निर्यात से आय का 28 प्रतिशत भाग है। हमारे लोगों

[श्री मी० रु० मसानी]

तथा हमारे देश का भविष्य उन लोगों द्वारा बन्धनरूप में रखा जा रहा है जो आज पदासीन है। इन सब में हमारा दिवाला सा निकल गया है। और यह सब उस नीति का परिणाम है जो कि हमारी सरकार ने अपनाई हुई है।

चौथी योजना के सम्बन्ध में जो ज्ञापन सभा पटल पर रखा गया है, उससे पता चलता है कि देश की खाद्य स्थिति गम्भीर से गम्भीरतर होती जा रही है परन्तु इस पर भी हमारी प्राथमिकताओं में लेशमात्र भी अन्तर नहीं आया। अभी तक हम भारी उद्योगों के चक्कर में है। मुख्य समस्याओं की नितान्त उपेक्षा की गयी है।। कितने खेद की बात है कि चौथी योजना में कृषि को दूसरी अथवा तीसरी प्राथमिकता देकर उस प्रश्न की कितनी अवहेलना की गयी है। सरकार ने लाखों आश्वासन दिये परन्तु तथ्य यह है कि अब तक मूल्यों की समता किसान के पक्ष में नहीं रही है। वैसे सरकार किसानों के लिए मूल्यों को कम करने की नीति पर चल रही है। मिट्टी का तेल, कपड़ा, लोहा तथा इस्पात इत्यादि का मूल्य बढ़ाने की सरकार ने अनुमति दे दी। यह इस लिए कि सरकार मुद्रास्फिति की नीति अपनाती रही है। कृषि मूल्य आयोग एक मत से इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि गैर सरकारी खरीद के लिए उच्चतम मूल्य निश्चित नहीं किये जाने चाहिए। हमारी सरकार ने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया। उसने यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। वे जो चाहे इस बारे में निर्णय कर ले, उच्चतम मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए अथवा नहीं। ऐसा करने से वह सारा उद्देश्य निष्फल हो गया जिसके लिए इस आयोग को नियुक्त किया गया था।

क्षेत्रीय प्रणाली चल रही है। ये बन्धन बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी यह राष्ट्रविरोधी है और इनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। देश की सामूहिक मंडी राज्यों में विभाजित हो गयी है। इससे एकता की भावना पर कुप्रभाव पड़ा है। परन्तु आर्थिक रूप से भी घातक है। वे राज्य जिनमें कुछ भी फालतू अनाज है दूसरे राज्यों का अहित करने में एकदम स्वार्थरूप मनोवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। जमाखोरी और मुनाफाखोरी की बातें की जाती है, परन्तु मेरा मत यह है कि इस समय सब से अधिक जमाखोर और मुनाफाखोर हमारी केन्द्रीय और राज्य सरकारें हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को जो मोटा अनाज दिया है उस पर उसने 30 से 40 प्रतिशत तक मुनाफा लिया है। इस तरह सरकार के पास कई लाख टन अनाज एकत्रित है, परन्तु फिर भी उसे बाहर नहीं निकाला जा रहा। यह क्यों? देश की स्थिति यह है कि कीमतें बढ़ रही है और लोग इतने निराश हो गये है कि वे गोली लाठी खाने को भी तैयार है।

योजना आयोग ने यह आग्रह किया कि उसकी प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया जाय। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जितनी बड़ी योजना होगी उतनी अधिक दर में वृद्धि होगी। हमें अपनी तीन योजनाओं का जो अनुभव है उससे तो बिल्कुल भिन्न प्रकार का चित्र ही सामने आता है। हमारी प्रथम योजना काफी छोटी थी, परन्तु राष्ट्रीय आय में आशा के विरुद्ध 12 प्रतिशत से 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। दूसरी योजना, आकार में दुगनी थी। उसमें वृद्धि का लक्ष्य 25 प्रतिशत था परन्तु वृद्धि केवल 20 प्रतिशत की हुई। इसी तरह तीसरी योजना में यह वृद्धि 34 के स्थान पर 23 प्रतिशत हो रही, हालांकि यह योजना पहिली दोनों योजनाओं के बराबर थी। इन तथ्यों से यह पता चलता है कि आयोजन और आर्थिक व्यवस्था के अनुमान में प्रतिकूलता है। तथ्यों से यह पता चलता है कि सरकारी उपक्रमों का लाभ, गैरसरकारी उपक्रमों के मुकाबले में आधा रहा है। मतलब यह कि जो पूंजी योजना में लगायी गयी, उसको अधिक उत्पादन व्यय से हटा कर कम उत्पादन काम की ओर लगाया गया। अब चौथी योजना हमारे सामने है। इसमें भी बहुत गलत प्राथमिकतायें दी है। कृषि, संचार और परिवहन ऐसी मदें है जिनके आधार पर देश का औद्योगिक विकास चलता है, परन्तु इन्हें योजना में बहुत बुरी तरह उपेक्षित किया गया है। मेरा मत यह है कि यदि सभा ने इस प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया तो निस्सन्देह देश तबाह हो जायेगा।

दूसरा वित्त विधेयक, कुछ दिन हुए हमारे वित्त मंत्री महोदय ने पुरःस्थापित किया गया था। मेरा मत यह है कि वह इस सदन के लिए अपमानजनक बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि चौथी योजना के छपने तथा हमारे सामने आनें से पूर्व सरकार ने यह अनुमान लगा लिया था कि सभा इस को स्वीकार कर लेंगी। मेरा मत यह है कि गत फरवरी में जो बजट वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया था, उससे मूल्यों वृद्धि की हुई। हालांकि सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वृद्धि नहीं होने दी जायेंगी। आज से कुछ दिन पूर्व जो आयकर प्रस्तुत किया गया है उसके कारण पुनः मूल्यों में वृद्धि हो गयी है। सरकार एक अर्जीब चक्कर में है। सरकार अपनी पूरी शक्ति लगा कर योजना बनाती है और फिर अपने पूरे साधन जुटाने के लियें भी प्रयत्नशील रहती है। इसके लिए फिर जनता पर कर लगाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। उत्पादन कम हो जाता है। इस तरह जो कमी रह जाती है, उसे पूरा करने के लिए पुनः कर लगायें जाते है। एक अजीब सा चक्कर बन जाता है। खेद है तो इस बात का कि हमारी सरकार अपनी अतीत की भूलों से कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहती। जो लोग अपनी पुरानी भूलों से कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं करते उनको इस व्यापक देश का प्रशासन चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रत्यक्ष करों से करदाताओं का कचूमर निकाला जा रहा है। बेंचारे के लिए बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है।

मेरी भविष्यवाणी यह है कि अभी मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। जो शुल्क लगायें जा रहे है उससे लोहा और इस्पात की कीमत बढ़ेंगी, और इस तरह सभी चीजों की कीमत बढ़ जायेंगी। डीजल, पेट्रोल इत्यादि सबकी कीमतें बढ़ेंगी। औद्योगिक उत्पादन और परिवहन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसका इलाज एक ही है कि राष्ट्रीय बचतों को बढ़ाया जायें। इससे हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनरोत्थान कर सकते है। परन्तु यह दूसरा बजट इसे समाप्त करेंगा। इसका निर्माण पर भी कुप्रभाव पड़नेवाला है। चाहियें तो यह था कि वित्त मंत्री करों को कम करते परन्तु वह दूसरा बजट ही ला रहे है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए विधेयक में स्थानापन्न वस्तुओं की व्यवस्था की गयी है। यह बहुत बड़ी भ्रांति है। अतः आयात पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकते। अतः मैं वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री को चेतावनी देता हूँ कि ऐसा करने से देश को बड़ा भारी आघात पहुँचेंगा। यह तीसरा बजट है जो कि वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को अपनी गलत नीति को छोड़ देना चाहिए। हमें सारी स्थिति पर ठंडे दिल से कुछ दिन के लिए विचार करना चाहिए। अब तो सरकार के बड़ें बड़ें मंत्री भी कहने लगें है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह बड़ी बुद्धि मत्ता की बात है।

कितने आश्चर्य की बात है कि योजना आयोग ने भी प्रधान मंत्री की बात को स्वीकार न किया। यही लोग है जो कि आज की देश की बिकट स्थिति के लिए जिम्मेदार है। केवल शब्दों से बाते करतें है, परन्तु उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है। समय है कि उनको इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाय। यह बड़ा व्यापक विशाल देश है, इसकी समस्यायें भी इसी तरह विशाल है, परन्तु गद्दी पर बैठें लोग जिनके हाथ में प्रशासन है उनके हृदय बड़ें छोटें हैं। वें नहीं चाहते कि लोग प्रगति की ओर बढ़ें। लोगों में काफी निराशा है, और योग्य व्यक्ति देश से बाहर भाग रहे है। डाक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर देश में ठीक प्रकार नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते जब वें बाहर जाना चाहतें हैं तो सरकार उन्हें पासपोर्ट नहीं देती। वह चाहती है कि यें सब लोग गुलामों की तरह काम करे। उनकी प्रगति की राह में रूकावटें डाली जाती है और बड़ी प्रतिक्रियावादी नीति पर चला जाता है।

हम तकनीकी प्रगति की बात करते हैं, परन्तु जहां वास्तविक कार्य की बात आती है कोई व्यावहारिक कार्य नहीं किया जाता। सदन के साथ चलना और आगें बढ़ना हमारी सरकार जानती ही नहीं। दश के युवक इस स्थिति को अधिक देर तक नहीं सहन कर सकते। 17 वर्ष से ऊपर का समय गजर गया है। कांग्रेस सत्तारूढ़ है परन्तु वास्तव में ये देश के 44.72 प्रतिशत लोगों के प्रतिनिधि हैं। अनुमानित प्रतिनिधित्व है नहीं और विरोधी दलों की संख्या बहुत अधिक है, इसका यें लोग लाभ उठा रहे है। अगली बार उन्हें 40 प्रतिशत मत भी मिलने की आशा नहीं हो सकती।

[श्री मी० रु० मसानी]

श्रीलंका, हमारा पड़ौसी है, उसने हमें रास्ता दिखाया है। उनका भी अपनी सरकार की नीतियों के कारण सत्यानाश हो रहा था। वहां के लोगों ने वहां सरकार समाप्त कर दी जो कि देश की समृद्धि के राह में रूकावटें पैदा कर रही थी। अब वहां जो सरकार बनी है उसने जनता के हितों के अनुरूप बजट प्रस्तुत किया है। क्या हम उनसे गये गुजरे हुए हैं? क्या वे अधिक देशभक्त हैं? मेरे विचार में ऐसी बात नहीं है। समय आ रहा है कि देश अंगड़ाई लेगा। मैं प्रधान मंत्री को यह चुनौती दे सकता हूँ कि चुनावों में आकर वह जनता का सामना करे। येभी अफवाहें है कि कांग्रस दल चुनावों को स्थगित करवाने का प्रयास कर रहा है। उड़ीसा में तो आज भी स्थिति शोचनीय है। मार्च 1966 में इन्हें वहां से भागना ही पड़ेगा। क्या हमारे प्रधान मंत्री उड़ीसा मतदाताओं के मत का सामना करेंगे? उन्हें एक सन्माननीय लोकतंत्रीय व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। 1966 में वह बात नही होगी जोकि 1962 में दखने को मिली थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं इधर उधर की बातें न करके शास्त्री सरकार की इस सफलताओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास करूंगी। आज स्थिति यह हो गयी है कि लोगों को दो जून खाना भी नसीब नहीं हो रहा। देश के स्वतन्त्र होने पर लोगों को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें खाने के लिये और पहिनने के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ देश भर में लोगों को नागरिक स्वतन्त्रता भी वंचित किया जा रहा है। इन प्रमुख तथ्यों के आधार पर ही हम शास्त्री सरकार के विरूद्ध इस विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि वर्त्तमान सरकार हमारी सीमाओं की भी रक्षा करने में नितान्त असफल रही है। खाद्य स्थिति तो बहुत ही गम्भीर बना दी गयी है। देश में अकाल की स्थिति हो गयी है। चीजों की कीमतें निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। यह बड़ी ही खेद जनक बात है कि सरकार उन लोगों को दंड देने में बिलकुल असमर्थ रही है, जो आज भी स्थिति के लिए उत्तरदायी है। वे राष्ट्र विरोधी है और सरकार की खाद्य नीति को बदलने के प्रभाव कर रहे हैं।

गत महायुद्ध की बात है कि युद्ध के प्रारम्भ होते ही सरकार ने राशन कर दिया था। उन्होंने खुले व्यापार की उस समय हिदायत नहीं की थी। मुनाफा कराने वालों को खुला नहीं छोड़ा था। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं होता, यह खेतों में और कारखानों में भी होता है। खाद्य के मामले में सरकार का रिकार्ड बहुत ही खराब है। जिस देश में लोगों को भोजन ही न मिले उसकी हालत क्या हो सकती है, इस की कोई भी कल्पना कर सकता है। फिर उस हालत में जब खाद्य पदार्थ हमारी अर्थव्यवस्था का विशेष अंग हो। यहां मुनाफा खोरों, काला बाजार करने वालों का एकाधिकार हो। उस देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो करती और युद्ध का मुकाबला करना भी उसके लिए असंभव हो जाता है। मेरा यह निश्चित मत है कि सरकार की खद्य नीति बहुत ही खतरनाक तथा राष्ट्र विरोधी है। खाद्य समस्या का मुकाबला युद्ध कालीन स्तर पर किया जाना चाहिए, परन्तु सरकार इस दिशा में दृढ़ संकल्प दिखाई नहीं देती। हमारा तो यही आग्रह रहा है कि मुनाफाखोरों और जमा खोरों, से बचने के लिए, और उनकी समाज विरोधी वृत्तयों का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है

कि एक सुरक्षित मंडल बनाया जाय और उसका न्यायोचित वितरण किया जाय । परन्तु हमारी कांग्रेस सरकार इसके चुनावों को समक्ष रख कर ऐसा करने में असमर्थ हो रही हैं । अतः इस समस्या को सुलझाने के लिए इस दिशा में सरकार ने कुछ भी नहीं किया ।

देश को स्वतन्त्रता प्राप्त किये 17 वर्ष हो गये । परन्तु आज भी हमारी कमसे कम सामान्य दाम 32 नये पैसे हैं और अधिक से अधिक वह 68 नये पैसे हैं । इससे भी मनोरन्जक बात यह है कि कमी और कीमतों का चढ़ना भी इस वर्ष में हुआ है जब कि जिसमें खाद्य उत्पादन में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है । इस बात की कल्पना करके तो हृदय कांप उठता है जब कि वर्षा नहीं होगी और अनाज की कमी हो जायेगी । बिहार में लोगों पर खाद्यान्नों की मांग करने पर लाठियां बरसाई गई और गोलियां चलाई गयी परन्तु खेद इस बात का है कि इतना होते हुए भी सरकार वहां अपना 3 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी । वह केवल 30,000 टन अनाज की इकट्ठा कर सकी है । कारण यह है कि बड़े प्रभावशाली निहित स्वार्थ इसके विरूद्ध खड़े थे । लोगों ने इसके विद्रोह किया और संगठित हो गये । उसका कारण यह कदापि नहीं था कि किसी राजनीतिक दल ने उन्हें पथभ्रष्ट किया था प्रस्तुत सरकार अपनी सफलता को छिपाने के लिए ऐसा कह रही है ।

हमारी केन्द्रीय सरकार की यह नीति यह रही है कि वायदें करके उन्हें शीघ्र तोड़ देना । जो लोग मुनाफाखोर है, जमाखोर है और गरीबों का खून निचोड़ रहे हैं उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही । सामान्य वितरण भी नहीं हो पा रहा । हमारे आज के खाद्य मंत्री महोदय ने जब पद सम्भालाथा तो बहुत बातें भी की थी । । उन्होंने घोषणा की थी कि वह समाज विरोधी तत्वों पर नियन्त्रण रखेंगे । और उन लोगों को काबू में लायेंगे जिन्होंने हमारी भूख और कमी का अनुचित लाभ उठाते हुए अपने व्यापार करते रहे हैं । कुछ मदद के बाद हमें मालूम हो गया कि उनके दिये हुए वायदे निराधार है । वह प्रस्तावित सुरक्षित भंडार स्थापित करने में असफल रहे हैं । जमा खोरी पर उनका कोई बस नहीं चला और उस पर नियन्त्रण रखने में वह असफल रहे हैं। खाद्य निगमों का संचालन राज्यों पर छोड़ दिया गया । और यही वह चाहते थे । राशन सम्बन्धी कहानी इससे भी अधिक मनोरंजक है । यह खेद जनक बात है कि गत एक वर्ष में सरकार ने अपने कई रूप इस दिशा में बदले है । एक जिम्मेदार सरकार को कभी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिये । सरकार हमारे लोगों को संकट तथा मृत्यु के मुंह में धकेल रही है । ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके मुल्य में वृद्धि नहीं हुई । इसी लिये तो तर्कसंगत आन्दोलन हुए हैं तथा होते रहेंगे । उनको निरूत्साहित करने के लिये भारत प्रतिरक्षा नियमों तथा अन्य दमनकारी उपायों की शरण ली जा रही है । कई सो कम्युनिस्टों और प्रजा सोशालिस्ट पार्टी के सदस्यों विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों को जेलों में ठोंस दिया गया है ।

भारत के प्रतिरक्षा नियमों का इस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है जिससे सभी विरोधी दलों का गला घोट दिया गया है । उनके विरूद्ध तनिक भी साक्ष्य न होते हुए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है । एक उदाहरण जिससे बहुत दुःख होता है, "सर्चलाइट" पत्रिका के सम्पापदक की नजरबन्दी है । यह पुरानी शत्रुता है । इसी प्रकार और भी बदला लेने की कार्यवाहियों के दृष्टान्त हैं । जिस प्रकार से प्रतिरक्षा के अधिकारों का प्रयोग हो रहा है, वे हमारी प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए नहीं, परन्तु उन लोगों की आवाज़ को बन्द करने के लिए है जो सरकार की राष्ट्र विरोधी नीतियों के विरूद्ध सदैव लड़ने को तयार रहते हैं । इनके दुरूपयोग से प्रत्येक संसदीय प्रथा को क्षति पहुंचने का भय है । देश के लोगों का एसी सरकार में कोई विश्वास नहीं रह गया है जिसने आपात के समय सारे राष्ट्र को मुनाफाखोरी तथा जमाखोरों की दया पर छाड़ दिया है और वह भी एक अच्छी फसल के समय । उनकी संसदीय व प्रजातन्त्रीय संस्थाएं हैं जो भारत की प्रतिरक्षा के लिए नहीं, अपितु निहित स्वार्थ वालों के लिए हैं ।

श्री हनुमन्तैय्या (बंगलोर नगर) : विरोधी दलों को एक ही आक्षेप लगाने और एक ही तर्क बार बार देने की आदत पड़ गयी है । लोक तंग के नाम पर कई बातें की जाती है परन्तु हम संसद की गरिया को मदद रखने की भी बात कर नहीं पाते । हम अपनी शिकायते तब ही दूर करवा सकते है, यदि संसद की गरिमा को कायम रखें । कांग्रेसी राज कायर नहीं बन गये । वे वही हैं जिन्होंने सबसे पहले प्रदर्शन किये थे । आज हम स्वतंत्र है और एक संविधान के अन्तर्गत हम अपना कार्य कर रहे हैं । हमें वाद-विवाद के भी संवैधानिक तरीकें अपनाने चाहिए । प्रदर्शन इत्यादि करने के तरीके को ठीक नहीं कहा जा सकता । हमारें माननीय कैसे भी मजदूरों को उकसाने और तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देते हैं ।

इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि यह बात बिलकुल गलत है कि मजदूरों को मजदूरी कम मिलती हैं । असल में एक व्यक्ति की प्रतिदिन की औसत आय एक रूपया है और 50 प्रतिशत लोगों की आय 68 पैसे है । जबकि पटसन व मिल मज़दूरों की औसत आय इस पचास प्रतिशत से सात आठ गुण है । यह भी एक तथा की बात है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन राज्यों के कर्मचारियों के वेतनों से कही अधिक है । फिर भी ये लोग उन्हें उकसाने रहते है । हालाकि इनका सिद्धान्त यही है कि राष्ट्रीय धन का समान वितरण होना चाहिए । यदी समाजवाद की आधार शिला है । असूल की बात तो यह होनी चाहिए कि किसी कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से अधिक वेतन न मिले । जहां उस क्षेत्र का प्रश्न हो जहां कि जोखिम का काम हो तो बात दूसरी है । एक बात जो कि बहत ही महत्व पूर्ण है हमें समझ लेनी चाहिए कि एक बार यदि कर्मचारियों में धन का समान वितरण हो गया, तो बाकी समाज को उसका अनुकरण करना ही होगा । हमारे समाजवादी लोगों ने यह कभी नहीं कहा कि हम भी तब तक एक पैसा नहीं लेंगे जब तक कि अन्य कर्मचारी ठीक स्तर पर वेतन नहीं पाते ।

यह कहा गया है कि चोर बाज़ारी करने वाले धन एकत्र कर लेते है और समाज में असमानता ला कर सामान्य जनता को हानि पहूंचाते हैं । परन्तु हड़ताल आदि कराने से भी तो समाज को वैसे ही हानि होती है । समाजवाद का उद्देश्य यही है कि देश में दान के वितरण में समानता होनी चाहिये । यह ठीक है कि आज देश के सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं । इन में अर्थिक स्थिति, विदेशी मुद्रा, पाकिस्तानी आक्रमण आदि ऐसी समस्यायें है । हमें इन समस्याओं को सफलता पूर्वक सुलझाने के लिये सरकार की सहायता करनी चाहिये ।

आजकल देश के सन्मुख जो समस्यायें हैं उन के समाधान के लिये सभी दलों को पूरा सहयोग देना चाहिये । और प्रर्दशन तथा आंदोलन नहीं होने चाहियें । कांग्रेस पार्टी सभी दलों की आभारी है । जब पाकिस्तान से खतरा हो तो जनसंघ सब से आगे है । जब समाजवादी नीतियों की कार्यान्विति का प्रश्न है तो साम्यवादी दल सरकार के साथ है और जब उत्पादन बढ़ाने की बात हो अथवा बड़े व्यापार की बात हो तो स्वतन्त्र पार्टी सरकार को सहयोग देती है । इस लिये कांग्रेस इन दलो के की विरोधी नहीं है । मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब सभी दल कांग्रेस में मिल जाये और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाये । इस प्रकार देश की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा ।

श्री मसानी ने कहा है कि विदेशों में डालर की अपेक्षा रुपये की कीमत कम है । मैं ने इस सम्बन्ध में बर्मा, लंका, पाकिस्तान की मुद्रा की स्थितियों के बारे में अंकड़े लिये है और देखा है कि स्थिति खराब नहीं है । हां इस में सुधार की आवश्यकता है । वैसे यह बात सभी प्रगतिशील देशों में देखने को मिलेगी । और हमें अपनी प्रगति के आंकने के लिये अमरीका को ही कसौटी नहीं मानना चाहिये । उस देश के संसाधन बहुत अधिक हैं । सरकार प्रयत्न कर रही है और आशा है स्थिति में सुधार होगा ।

यहां पर सुझाव दिया गया है कि भारत को तटस्थता वाली विदेश नीति त्याग कर गुटों में शामिल हो जाना चाहिये । परन्तु यदि इस प्रश्न का गहराई तक सोचा जाये तो पता चलेगा कि ऐसा करना देश के हित में नहीं होगा । मैं अमरीका के बर्ताव का अध्ययन करता रहा हूं । अमरीकाने जहां कहीं

भी बनाया है वह गुट असफल रहा है । इस का मुख्य उदाहरण पाकिस्तान है । जो देश भी अमरीका के गुट में शामिल हुए थे वे अब इस बात पर फिर से विचार कर रहे हैं । हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरु ने जब अपनी विदेश नीति निर्धारित की थी तो यह सब कुछ सोच लिया था । अमरीका तो अपनी नीति अपने हित को देख कर बनाता और दूसरे देशों द्वारा उस का अनुसरण चाहता है । यह ठीक है कि अमरीका अन्य देशों को वित्तीय सहायता देता है परन्तु इस का अर्थ यह नहीं वे देश अमरीका के कहे अनुसार अपनी नीति बनायें । हम उस से मित्रता चाहते है परन्तु मान से रहना चाहते हैं । कांग्रेस पार्टी स्वतन्त्र पार्टी के कहने पर अपनी नीति में परिवर्तन नहीं कर सकती ।

Shri A.P. Sharma (Buxar) : Our country is passing through a very critical time. Our neighbour countries have committed aggression against us. Our freedom is in danger. This no-confidence motion has been brought at an in opportune time. The Communist Party and the S.S.P. are bent upon creating trouble on small matters. The path of agitation and demonstration is not the right path for solving the problems. I want to know from them whether they are pursuing the right way. Is it proper for them in present circumstances? They want to cause as much harm to the ruling Party as possible. By doing so they want to win popular sympathy. They will not succeed in this. They are doing harm to the country.

Government has taken stern action against profiteers and to black marketeers. My information is that ten thousand persons have been punished for these offences. We import foodgrains from other countries to meet country's demands, but our friends of the Communist party ask dock workers to go on strike and hamper the work of unloading. The agitation in Bihar cannot be compared with agitation of 1942. At that time we were agitating against a foreign Government. Now we have our own Government.

The Communist Party is divided into groups. One is leftist and the other is rightist. This division is artificial division. Their aim is to cause harm to the country. We have to be vigilant. In Bihar they have destroyed public property in the name of food agitation. This is not the way of solving problems. It was said here that Communist Party will be helpful in the establishment of Socialism in this country. We have to see that our means for the achievment of ends are peaceful. Communist party will establish a dictatorship in the country.

Swatantra Party wants free enterprise in which there would be no restriction on any thing. According to them there is no need of planning or the present planning is defective. These things have been said by Shri Masani. He wants us to halt and not plan for the future.

There is no useful purpose being served by this no-confidence motion. Its fate is a foregone conclusion. The opposition parties want to gain political ends by this motion. They will claim that they brought forward three such motions in one year. They have an eye on the next general election. Other parties apart, the Swatantra Party has no future. At this time all parties should pay undivided attention to the problems facing our country.

Opposition parties in our country are interested in launching agitations. They indulge in violent demonstrations. They instigate people to stage demonstrations against the Government. All this is not good at this juncture. These parties should know that the ruling party is well aware of the difficulties of our countrymen. The Congress Party knows all the problems very well. We all should try to solve these problems in a proper way.

I oppose this no-confidence motion.

श्री कर्णीसिंहजी बिकानेर : अविश्वास प्रस्ताव लाने का यह उचित समय नहीं है। मैं चाहे प्रतिपक्ष में हूं फिर भी मैंने इस प्रस्ताव लाने वालों को सहयोग नहीं दिया है। इस समय हमारे देश पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर रखा है। हमें इस समय सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहिये। मझे कांग्रैस का समर्थक कहा जाता है। यह किसी सीमा तक ठीक भी है। इस पार्टी में गांधी और नेहरु जैसे महान नता हुए है। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस में बहुत त्रुटियां आ गई है। इस पार्टी में आन्तरिक दलबन्दी बहुत बढ़ गई है। परन्तु देश में लोगों के सामने और कोई पार्टी नहीं है।

आज दश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्नों की है। इस के समाधान के साथ साथ हमें जनसंख्या में वृद्धि को भी रोकना होगा। यह दोनों समस्यायें एक दूसरे से सम्बन्ध रखती है। देश में समाजवाद की स्थापना तथा गरीबी के समाप्त करने की योजना तभी सफल हो सकती है जब जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। हमें परिवार नियोजन सम्बन्धी योजनाओं पर और बल देना चाहिये। यह योजना दश के सभी समुदायों पर लागू होनी चाहिये।

सरकार की बहुविवाह पद्धति को समाप्त करने के लिये सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। यह प्रथा देश के कुछ समुदायों में अभी भी प्रचलित है। सरकार को इस बारे में एक कानून बनाना चाहिये। हमें इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। सरकार को परिवार के सदस्यों की संख्या निर्धारित करनी चाहिये और उस से अधिक संख्या होने पर कर लगाना चाहिये। मुझे समाचार पत्रों में यह पढ़कर बहुत दुःख हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने एक महाराजा को राजदूत बनाने की पेशकश की यदि वह राजनीति से अपना सम्बन्ध तोड़ दें और उन की पत्नी संसद की सदस्यता छोड़ दें। हो सकता है यह बात ठीक न हो परन्तु ऐसा करना कांग्रेस पार्टी के लिये उचित नहीं है।

सरकार को देश में बढ़ रही बेकारी की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। देश के युवकों को रोजगार दिलाने के अधिक प्रयत्न किये जाने चाहियें। हमें अपने देश शिक्षा का स्तर बनाये रखना है और देखना है कि सभी विश्व-विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्तर गिरने न पाये। आज अणुशक्ति का युग है। हमें अपने संसाधनों का पूरा लाभ उठाना चाहिये और अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये।

मुझे सरकार के विरूद्ध यह भी शिकायत है कि सरकार प्रतिपक्ष वाले संसद सदस्यों को विना कारण के गिरफ़तार कर लेती है। एक लोकतन्त्र में एसा करना शोभा नहीं देता सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिये।

हमें अपनी विदेश नीति पर पुनः विचार करना चाहिये। प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि पाकिस्तान ने अपना आक्रमण जारी रखा तो हमें उस के मुकाबले के लिये उन पर आक्रमण करना पड़ेगा। यह ठीक है परन्तु हमें चीन का ध्यान रखना है। तटस्थता की नीति अच्छी है परन्तु हमें अपने मित्र देशों से तभी सहायता मिल सकती है जब हम स्वयं भी शक्तिशाली हो। हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। तटस्थता की नीति पहले ठीक थी परन्तु अब समय बदल गया है। अब हमें चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। इस लिये हमें सब बातों को ध्यान में रख कर अपनी नीति निर्धारित करनी है।

मुझे सरकार तथा सत्तारुढ़ी दल से यह भी शिकायत है कि ये चुनाव लड़ने के लिये बड़े बड़े व्यापारियों से धन लेते है। यह ठीक नहीं है। देश में भ्रष्टाचार पहले ही बढ़ चुका है। और ऐसा करने से स्थिति और बिगड़ेगी।

एक और बात जिस के लिये मैं 1952 से प्रयत्न कर रहा हूं वह सैनिकों तथा पुलिस वालों को सम्पदा शुल्क से छूट दिलाना है। श्री मुरारजी देसाई जब वित्त मंत्री थे तो उन्हों ने सैनिकों जो हताहत हो जाये को इस से छूट दी थी। उस समय पुलिस वालों का प्रश्न नहीं उठाया गया था। परन्तु आजकल पुलिस के जवान भी सीमा पर कार्य कर रहे है। इस लिये उन को भी सैनिकोंकी भान्ति सम्पदा शुल्क से छूट दी जानी चाहिये।

मुझे प्रतिपक्ष वालों से भी कुछ कहना है । उन की संख्या यहां बहुत कम है । यदि इन में आपसी सहयोग नहीं होगा तो यह कांग्रेस पार्टी की सदस्य संख्या में कोई अन्तर नहीं ला सकेंगे । आज देश के सामने कांग्रेस के अतिरिक्त और कोई दल नहीं है । हमारे प्रतिपक्ष वालों को एक नया दल बनाना चाहिये । नहीं तो देश के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं किया जा सकता ।

मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मैं समझौता हूं कि कांग्रेस के अतिरिक्त और कोई दल इस योग्य नहीं कि जो इस समय देश में ठीक प्रकार से कार्य कर सके । जब सभी प्रतिपक्ष वालों में सहयोग होगा और उन में एकता होगी तो मैं अवश्य उन का समर्थन करूंगा । इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । प्रतिपक्ष वालों को पहले अपने मतभेदों को समाप्त करके एक दल बनाना चाहिये । हमें अपने भविष्य के बारे में पूरा विश्वास है और इस समय कांग्रेस पार्टी ही ठीक कार्य कर रही है ।

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : It has become a practice with opposition Parties to table no-confidence motion every year. They do not understand the importance of this motion. This type of motion is brought to change a Government. These parties have their own mutual differences.

Our country is passing through a critical time at this moment. China and Pakistan have committed aggression against our country. There is food shortage in the country. Our friends in opposition have brought this motion. It is not good. These parties indulge in violent activities on the question of food. They should rather condemn such acts of hooliganism. The present food situation is not due to Government's failure. It is due to draught. There has not been adequate rains in the country. I think we all should help Government in such circumstances. All parties should Join hand and help the ruling party in this hour of crisis. This is not the time for staying demonstration. We should not ask people to do things which are not in the interest of nation. This type of motion is not proper at this moment. It is admitted by opposition parties that there is danger on our border, but they do not appreciate Government's policy. It has been demanded that we should abandon our policy of non-alignment and join American Block. America is our friend. She has helped us in hour of need. We are thankful to her. But we should have other friedns also. We cannot become stooges of America. You cannot win war by weapons alone. We have to rely on our own strength. We can face both Pakistan and China. We have patience and courage. We are following a path of truth and righteousness. In such circumstances neither Pakisthan nor China can defeat us. We have full confidence in our capacity.

It is a pity that our friends in opposition parties want to weaken the Government by such no-confidence motions.

Our Government has been doing its best to improve agriculture. We have consulted foreign experts. Community Programme was started to help the farmers. Many a new scheme has been started. Many projects have been started. Irrigation facilities have been augmented. Scientific methods for improving the methods of agriculture have been adopted. You cannot blame Government for any mistake. Everything is being done by it.

Government decides a certain policy after considering all aspects of the problem. It is changed when the needs of the country so demand. How can Government be guided by Opposition parties? The demands of these parties are very different. Some parties are for complete control while others are in favour of free enterprise. Government has to think over every thing and they lay down its policy. I challenge the statement of Shri Masani that Madhya Pradesh Government indulges in profiteering by selling coarse grains at higher prices than what they should be. Madhya Pradesh Government has never undertaken marketing of coarse

[Shri Radhalal Vyas]

food grins. I refute this charge against the Government of Madhya Pradesh. My State is a poor state. It is not so rich as Maharashtra. If M.P. Government puts some restrictions it should lead to a verdict against it. Maharashtra and Gujrat states should also grow wheat and rice and try to be less dependent on other States. They should grow lesser cash crops like tobacco and groundnut. The State should become self sufficient by introducing intenive cultivation.

Shri R.S. Pandey (Guna) : The way Shri Masani has painted our country's picture, while moving this motion, makes it clear that he is not able to see things as they are. He has said that the country is placed in a very sad state of affairs. He has not been able to see things in proper perspective. We want to make progress in a planned way. Our aims to raise the standared of common man. He does not realise that we have to give priority to defence needs in view of the Chinese aggression, hence we cannot give proper attention to other items. There has been some shortfall in our food production. We are importing foodgrains from other countries to make good this shortage. We should not be panicky about this shortage. Our Communist friends try to exploit difficult circumstances in the country. They instigate workers to indulge in strikes and lockouts. It is very harmful for the country.

This no-confidence motion will not serve any purpose. It is sure to be rejected. The opposition parties are trying in vain in this matter. At this time we should fight unitedly against foreign aggressors. We should try to eradicate poverty from our country. It would have been better if all of us would have demoted this time for discussing more constructive things than this. We could have considered some pressing problems like food shortage, soring prices etc.

Mr. Masani has given lot of figures, but has not put forward any constructive suggession. He has not suggested a way out of this difficulty of problem as to how can we raise our agricultural production upto 125 million tons and how can we solve our foreign exchange problem and increase exports. Mr Masani has not brought any light on all these pressing problems facing the country. He has only criticised the Government.

We are aware of the fact that prices are rising in the country. We are trying to find some remedy for this. Government are trying to increase agricultural production during the Fourth Five Year plan. It is quite good that we adopt to modern conditions and use modern Scientific methods and implements for the purpose of increasing agricultural production. With this aim in view we must have a package programme. It is a right step towards the enhancement of production. Our Government are busy doing both the things. On the due hand they are trying to fight poverty and on the other they are busy with the defence of borders. Planning is also going on side by side. We are also determined to safeguard the Sovereig nty and integrity of our beloved motherland.

Shri Masani has referred to the non-alignment policy. He stressed that there should be international friendship. Let me state that the policy of non-alignment is the only correct policy. We will never like to see the country to any power bloc. We should try to increase our Strength by our due efforts. If we become strong, we will automatically have more friends to support us.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई ।]
[DR. SAROJINI MAHISHI *in the chair*]

Let us pay our homage to the Jawans who have laid down their lives for the defence of borders in Kashmir. Also we should appreciate the Spirit of the people of Kashmir for the Co-operation they have offered to the Government. Today is the time when the whole country should be united to safeguard our democracy and sovereignity with these words, I urge upon Shri Masani to withdraw his motion.

श्री पु०र०पटेल (पाटन) : इस अविश्वास के प्रस्ताव के लिए स्वतन्त्र दल 50 व्यक्तियों से अधिक का समर्पण प्राप्त नहीं कर सका अतः साम्यवादी दल ने ही इसका समर्थन किया। यह मनोरंजक बात है कि इन विभिन्न विरोधी दलों की विचार धारा एक नहीं है, परन्तु अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक हो गयी है । मेरा मत यह है कि जो आज की स्थिति है, उसे देखते हुए यह प्रस्ताव लोकतंत्र विरोधी है । आज कोई देश का दल इस योग्य नहीं है कि इस वर्तमान सरकार के स्थान पर अपनी सरकार बना सके । यह ठीक है कि कुछ लोगों को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है । यह अच्छी बात तो नहीं है, परन्तु देश की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि ऐसा करना ही पड़ रहा है । यह तो सिद्ध हो चुका है कि साम्यवादी देश के प्रति वफादार नहीं है । सन्देह है कि वे देश के लिए संकट पैदा करने चाहते है । अतः यह अच्छा ही है कि इन लोगों को सरकार ने नजरबन्द कर दिया है ।

एक बात मैं अपने जनसंघ के मित्रों के बारे में कहना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि उन्हें प्रदर्शनों में अपनी शक्ति नहीं खोनी चाहिए । उन्हें अपनी धन और जन शक्ति काश्मीर के मोर्चे पर लगानी चाहिए और वहां लड़ रही सेनाओं की सहायता करनी चाहिए । इस समय तो इस बात की बड़ी जरूरत है कि एक होकर अपनी सरकार के हाथ मजबूत किये जाए । इसके अतिरिक्त हमें आत्म निर्भर रहना भी सीखना है । हर समय विदेशी सहायता की प्रतीक्षा करते रहना भी ठीक नहीं। हमें अपनी सेना को सुदृढ़ बनाना चाहिए और ब्रिटेन तथा रूस पर आश्रित रहना छोड़ देना चाहिए ।

आर्थिक तौर पर देश ने काफी प्रगती की है । स्वतन्त्रता के बाद के 18 वर्षों में लोगों की आय में वृद्धि हुई है । इसका मुख्य कारण विकास के कार्यों को है और इसका श्रेय सरकार को दिया ही जाना चाहिए । इसके साथ खाद्यानों के आयात की बात रही गयी है । हमें हालात के कारण खाद्यान्नों का आयात करना पड़ रहा है । परन्तु हमें इस दिशा की ओर भी देखना चाहिए कि सभी कारणों के होते हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है । खाद्यान्नों के आयात का हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा कुप्रभाव हुआ है । यह हर्ष की बात है कि हमारे कृषि मंत्री उत्पादन की वृद्धि के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी मत है कि सरकार द्वारा जिस कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गयी थी उसके मूल्य निर्धारण किये है । मेरा मत यह है कि आयोग ने मूल्य निर्धारण करने तथा राज्य सरकारों ने जो मूल्य निर्धारण किये है, उसमें कोई गलत बात नहीं है । हालात के अनुसार इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं था । यह बात कही गयी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुनाफा खोरी की है । मेरे विचार में इस तथ्य की जांच की जानी चाहिए और उसके लिए आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए । मध्य प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय प्रणाली का लाभ उठाया है ।

Shri S.M. Bannerjee (Kanpur) : I support this no-confidence motion. We have been disappointed by the deeds of our Government. I want to draw the attention of the House towards this Kutch Agreement. It is derogatory to the dignity and the honour of our Country. When we heard about the provision relating to the arbitration by an international tribunal, we were disappointed. Such an incident, perhaps is unparallel in the entire history of the world. This is the result of our weak policy. This weak Policy is responsible for the fact that Pakistan is encouraged to send thousands of infiltrators into Kashmir. And thus we find ourselves in a very serious situation.

[Shri S. M. Bannerji]

As far as Kashmir is concerned the Central Bureau of intelligence has already informed the Government regarding the deterioration of the situation there. They were of the opinion that immediate action was necessary to save the situation from getting worse. I want to know from the Government why they failed to take some effective steps right in time. Only a few days before the infiltrators have come, it was stated by the Government that everything is alright.

We are talking about the economic progress. Can we state it with full emphasis that we have actually gone ahead economically, our Government is terribly involved in facts and figures. My opinion is that the economic situation in the Country is very grave. And this is all due to the wrong policy of the Government pursued in this direction. The rich has become richer while poor has become poorer. There is increasing un-employment in the whole Country, the rising prices have made it impossible for the poor people to exist. We are actually passing through the famine conditions. When people come forward and demand food, they get bullets. I wish that Government should realise that people are becoming impatient and the discontentment amongst them is rising. Everything has its limits and I feel that denial of even the bear necessities of life will create some commotion. D.I.R. and other things will not help. I am of the opinion that a Government which is not capable of giving bread to the people, have no right to exist.

It is really very sad that when people come out and demand food, they are met with D.I.R. Government should fight the left Communists on the basis of ideology. Putting them behind bars will not solve the problem. We find today that every section of the people in this country is feeling unhappy with this Government. Government must feel that there is something radically wrong with their policies. It is time that they should give dispassionate consideration to the whole situation. They find out the course, why the country is not marching towards the progress, in spite of best efforts. We should see whether Government have not become unfit to govern?

श्री केप्पन (मवातुपूजा) : संसदीय लोकततंत्र में अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दल के हाथ में एक बढ़ा भारी अस्त्र होता है। इससे वह सरकार और प्रशासन को ठीक करने में प्रयोग करता है। परन्तु विरोधी दल इस अपने अधिकार को कभी किसी विशेष अवसर ही प्रयोग करता है परन्तु भारत में स्थिति बिल्कुल निराली है। यहां हर समय पचास व्यक्ति हाथ खड़ा करके अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं। फिर यह भी बात होती है कि वह पचास व्यक्ति एक मत के नहीं होते वह विभिन्न दलों के लोग होते हैं जो केवल सरकार के विरोध के कारण ही एक साथ हो जाते हैं। उनके आदर्श और विचार प्रस्पर विरोधी ही होते हैं।

इस अविश्वाश के प्रस्ताव का मुख्य कारण यह बताया गया है कि देश में खाद्य संकट है। अतः हमें यह देखना है कि क्या भारत में सचमुच ही कोई खाद्य संकट है। वास्तविकता यह है कि यदि कोई खाद्य सम्बन्धिय कठिनाइयां है भी तो उसका कारण खाद्यान्नों की कमी नहीं प्रत्युत उसका कारण यह है कि लोगों का जीवन स्तर काफी ऊंचा हो गया है। लोगों के पास इस समय अपनी इच्छा के अनुसार खाद्य पदार्थ खरीदने के लिये प्रयाप्त धन है। यह भी एक तथ्य है कि उत्पादकों के पास धन होने के कारण भी अनाज की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है। जब उत्पादकों के पास धन होता है तो वे भी अधिक मूल्य प्राप्त करने के विचार से अपना अनाज खुली मंडी में नहीं बेचते। इस तरह यद्यपि उत्पादन बढ़ जाता है पर आम बाजार में अनाज की कमी स्पष्ट दिखाई दे जाती है।

इस सम्बन्ध में स्थिति इस बात स्पष्ट हो जाती है कि लोगों का जो जीवन स्तर 1951 में था उससे 1961 में वह बहुत ऊंचा हो गया है। व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इस अवधि में लोगों द्वारा की गई व्यक्तिगत बचत 617.43

करोड़ से बढ़ कर 1013·43 करोड़ हो गई थी और इसी अवधि में मकानों, साइकलों, रेडियो सेटों तथा अन्य चीजों पर अधिक धन लगाया गया। अतः यह कहना कि लोग और दरिद्र हो गये हैं तथ्यों पर आधारित नहीं है।

भारत प्रतिरक्षा नियमों तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत की गई गिरफतारीयों के बारे में विरोधी दलों द्वारा दिये गये आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर बताये गये हैं, भारत प्रतिरक्षा नियमों तथा अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत आज तक केवल 3500 लोग गिरफतार किये गये हैं। भारत के वामपक्षी साम्यवादी दल के नताओं को इसलिये गिरफ्तार किया गया हैं क्योंकि वे एक क्रान्ति करने की तैयारी कर रहे थे। साम्यवादियों की एक गुप्त बैठक में यह कहा गया था कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध दोनों देशों में ऐसे आन्तरिक युद्ध को बढ़ाने में सहायता दे सकेगा। जिससे अन्ततोगत्वा मजदूर वर्ग की इसलिये जीत होगी क्योंकि माओ-त्से-तुंग तथा चीनी साम्यवादी दल के नेतृत्व में उन्हें विश्वक्रान्तिकारी सेनाओं से आशातीत सहायता मिल सकती है।

साम्यवादियों को इस बात का भी स्पष्टीकरण करना चाहिए कि क्या भारतीय छात्र संघ को चीनी छात्र संघ से इस देश में क्रान्ति करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं मिला है। ये सभी बातें स्पष्टतः इस बात के द्योतक हैं कि सरकार ने उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में विवेकता से काम लिया है। वास्तव में सरकार को केवल वामपक्षी नहीं अपितु दक्षिण पक्षी साम्यवादियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी चाहिये। यह सुझाव देना उचित नहीं कि सरकार जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही। चालू वर्ष के 7 महीनों में 39,000 व्यापारी पकड़े गये हैं। जब देश के सामने बाहरी संकट हैं तो लोगों को सरकार से सहयोग करना चाहिये यह हमारा दुर्भाग्य है कि वर्तमान संकट में कुछ तत्व गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति देशद्रोही हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]]

आज देश में दो शत्रुओं से खतरा है, अतः इस प्रकार की गड़बड़ी देश को हानि पहुंचा सकती है।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : This is the third time during the last one year that we had to bring a no-confidence motion. The Government has been an utter failure on all the fronts, *e.g.* agriculture, industries etc. We have failed miserably in our foreign policy. We have not developed our military power. Even our police intelligence is not working properly. For the past six months infiltrators are entering our territory and we have no information about them. To-day morning we came to know that boundary pillars were being removed for the past 1½ years. Our military intelligence is also not very successful, it has failed to foreworn us about any military attack. The state of intelligence in States is all the more worse. The I.G.P. Gujarat reported that no land has been occupied, while the fact was that 13,400 acres of land had been occupied in Kanjarkot. It is very strange that our Government is not able to push out the Pakistani's who have infiltrated into our territory in east; they had to pass legislation to turn them out.

We have to bow our head in shame when we find that a large number of infiltrators have entered our territory and could not know about them for a long time. We also very well know the out come of guerilla warfare. How do the Government think that they can settle this problem through peaceful means with the people who have always said that they are the sworn enemies of India? What is the reason that we always bow before the enemy?

The U.N. observers on the cease-fire line are also not impartial. They are allowing armed civilians from the other side to come to our territory but they are not allow our military personnel to cross to the other side of the cease-fire line. Our diplomats in the foreign countries do not project a clear picture

[Shri U. M. Trivedi]

outside about our foreign policy; they are completely under the influence of Western civilisation and are spending their time in drinking and dancing. Our country is being ridiculed outside.

We have created a double citizenship in Kashmir. The residents of Kashmir are citizens of Kashmir as well as India, while the citizens of India are not the citizens of Kashmir. Had this discrimination not been there, the infiltrators wouldn't have dared to enter Kashmir Valley. But it is our misfortune that our Government is relying on people who have always been against us. It is we who have to bear the brunt of this misguided policy.

Kashmir is a part of our territory. Article 1 of the constitution is applicable to it. But I want to know why the whole of constitution is not being enforced there?

I am proud of our military officers and jawans who have shown great valour and bravery in clearing the valley of infiltrators and taken back the Kargil posts. But I am ashamed of our Government which is following a weak-kneed policy. How for will we be following a defensive policy? We must cross the cease-fire line; we should not be satisfied with Kargil, we must advance further. Cannot we strike at any weak point of Pakistan and occupy either Lahore or Karachi and teach it a lesson. Pakistan always strikes first, then there is cease-fire and then negotiations. Unless and until we take some measures to teach Pakistan a lesson, it will be a constant headache for us. We must strive to remove this anti-Indian feeling from Pakistan, not through love and peaceful negotiations, but through fear and force.

There is no further progress in the field of rehabilitation. Why are the people not settled in Nicobar? Why are not 2 lakhs person settled in Kashmir?

In East Pakistan the population of minorities has come down to 70 lakhs from 120 lakhs. What has happened to 50 lakhs? Is it not genocide? But we have not uttered a single word of protest against it. We had undertaken the safety of minorities in Pakistan. Their women are being raped. It is not stirring our conscience. We are sitting here complacently. We are not raising a finger to protest against it.

Planning has landed us in ditch. We cannot get any thing at cheap rate, wheat is selling at Re. 1 per seer and ghee is selling at Rs. 11 per kilo. The poor are not able to get the foodstuffs at cheap rates. It has become difficult for them to make both ends meet. Consumer goods are now beyond the reach of common man. It is difficult to surmise as to where the price line will stop.

The value of our currency is steadily falling down. In Pakistan our one rupee was equivalent to 1½ Pakistani rupees. Now the value has come down. The value of Indian rupee has been reduced in Persian Gulf, Singapore and Malaysia. The reason is not too far to seek. We are over head and ears in debt. Other nations have lost faith in us. When we took over the administration of the country we had gold reserves worth 1800 crores of rupees; now we have not only exhausted those reserves but incurred a loan of Rs. 2,100 crores. Now we are left with currency worth 200 crores which is "the minimum that is available to keep up our currency".

We do not find any ray of hope, if we try to find any place where we have succeeded.

If certain class of persons, have installed air conditioners in their houses, it does not mean that the lot of Common man has improved. A working man was more happy and contented when he was get Rs. 18 as salary then now when he is getting Rs. 120 or Rs. 150 with all this money he is not able to feed or clothe his Children. The Defence of India Rules, which were made for emergency, are being misused to suppress the political parties. Many Marwari Seths have been put behind the bars without trial in Calcutta and Bengal. Recently there was some trouble in Udaipur. Jan Sangh workers along with the S.P. and Collector went round pasified the public. Then came the Minister and he asked the Collector to name a particular person as the mischief monger. When the Collector refused to comply he was transferred in a similar position, the S.P. and the D.I.G. of police were also transferred because they did not comply with the wishes of the hon. Minister. Whether the present policy of suppressing the political parties is justified? If what I have said is true, then you have not right to sit here and run the administration of the country.

श्री खाडिलकर (खेड): इस समय जब देश एक संकट से गुजर रहा है, एक तरफ श्री मसानी जैसे ऐसे व्यक्ति हैं जो देश की आर्थिक व्यवस्था को बिगाडना चाहते हैं और दूसरी तरफ डा० लोहिया जैसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि देश में अराजकता पैदा हो, तो शायद हमारे सामने जो समस्याएं है उनका समाधान हो सके ।

कुछ दिन हुए श्री मसानी ने बम्बई में एक भाषण में कहा था कि हमारी आर्थिक व्यवस्था का विकास रूक गया है और विश्व में हमारी साख में बहुत कम हो गई है । क्या इस प्रकार की बात कहना देश-द्रोह नहीं है ? मैं स्वतन्त्र पार्टी की पत्रिका, 'मार्च आफ दि नेशन' से दो कंडिकाओं को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"उन्होंने पश्चिम जर्मनी सरकार के हाल ही के इस निश्चय का स्वागत किया कि भारत और अन्य विकासोन्मुख देशों को और सरकारी ऋण नहीं देंगे सिवाय कुछ वैध प्रयोजनों के लिये जैसे सड़कों, पुलों, बांधों, बिजली घरों की निर्माण । अन्य प्रयोजनों के लिये वे मार्कीट से ऋण लें ।"

दूसरा अधिक महत्वपूर्ण है :

"श्री मसानी ने यह आशा प्रकट की अमरीका की सरकार भी इसी प्रकार की आर्थिक रोक भारत सरकार पर लगायेगी और आर्थिक सहायता तब तक न दे जब तक भारत सरकार स्फीति नीति का परित्याग नहीं कर देती, प्रस्तावित चौथी योजना को रद्द नहीं कर देती और कृषि को प्राथमिकता नहीं देती ।"

जो कुछ उन्होंने इस सभा में कहा वह तो ठीक है, परन्तु यह खुलेआम कहना कहां तक उचित है कि भारत का दिवाला निकल रहा है और इसको और सहायता मत दो ।

नन्दाजी नें जो वामपन्थी कम्युनिस्टों के विरुद्ध कार्यवाही की थी वह उचित थी क्योंकि उनका यह विचार था कि वे चीनीयों की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। हाल ही में प्रधान मंत्री और योजना आयोग ने यह निर्णय लिया था कि हमारे देश के सामने चाहे कैसा भी संकट हो, संविधान ने हमारे सामने कुछ सामाजिक सिद्धान्त रखे हैं जिनका परित्याग नहीं किया जा सकता ।

इससे पहले कि मैं पूर्व योजनाओं से जो विकास हुआ है उसके बारे में बताऊं, मैं स्वतन्त्र पार्टी के नेता से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह उनके लिये उचित था कि वह देश के बाहर कहें कि भारत का दिवाला निकल रहा है । जब मैं गांवों में जाता हूं तो लोग कुओं, पीने का पानी और शिक्षा की मांग करते हैं; वे रोजगार और अच्छे जीवन यापन की मांग करते हैं । अतः यह योजना का कार्य गरीब लोगों की भलाई के लिये होना चाहिये । पिछली योजना के दौरान हमारे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई अथवा कमी हुई ? रसायन, इंजिनियरिंग और धातुकर्मक उद्योगों में सब समय से अधिक उत्पादन हुआ है। कुछ मामलों में योजना के लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन हुआ है । इसके समर्थन में मैं तथ्य और आंकड़े भी

[श्री खाडीलकर]

दे सकता हूं। कृषि क्षेत्र में चीन के मुकाबिले में हमने अधिक प्रगति की है। जो लोग राजनीति में असफल रहे हैं और निराश हो गये हैं वे ही इस अविश्वास प्रस्ताव को लाये हैं। श्री कर्णीसिंह ने ही ऐसा भाषण दिया था जिसमें कांग्रेस की आलोचना की गई थी और जो सुनने लायक थी। उनकी आलोचना ठीक भी थी। बाकी सभी भाषण ऊटपटांग थे। कम्युनिस्ट पार्टी की हालत क्या है? एक भाग तो कांग्रेस के साथ मिलना चाहता है। दूसरा भाग, जो चरम पंथी है, कांग्रेस का घोर विरोधी है। वह खाद्य संकट का फायदा उठा कर कांग्रेस को गद्दी से हटाना चाहता है। परन्तु उनको यह याद रखना चाहिये कि यदी काँग्रेस सरकार हट गई तो अगले दिन यही लोग शास्त्री जी के पास हाथ जोड़े हुए आयेंगे और कहेंगे की आप ही सरकार चलाइये। हमारी सरकार वर्तमान स्थिति में जो सम्भव प्रगतिशील नीति हो सकती है उस अपना रही है; आपको कोई अधिकार नहीं कि इस प्रकार के कुछ अविश्वास प्रस्ताव लायें। आप लोग अवसरवादी राजनैतिक गठजोड़ कर रहे हैं।

जब हमारे विदेशी शासक राज्य की बागडोर हमें देकर गये, तो हमारे लिये कई समस्याएं छोड़ गये। अब हमारी सरकार को इनको सुलझाना पड़ रहा है। कृषि के मामले में, अन्य चीजों की तुलना में हमने काफी प्रगति की है। मैं आचार्य रंगा को यह बताना चाहता हूं कि उर्वरक के उत्पादन में कमी हुई है। तीसरी योजना के दौरान गैर-सरकारी फर्मों उर्वरक के लिये जो लाइसेंस दिये गये थे, वे फलहीन रहे। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इसके लिये आपके उद्योगपति जिम्मेदार हैं जिन्होंने उन लाइसेंसों का प्रयोग हीं किया जो उनको दिये गये थे। इसी कारण कृषि उत्पादन में भी अधिक वृद्धि नहीं हुई है। केन्द्रीय उत्पादन खाद्य मंत्री कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये एक राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है। अब वह अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, २४ अगस्त, १९६५/भाद्र २, १८८७ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, August 24, 1965/Bhadra 2, 1887 (Saka)